लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]
5th Lok Sabha

[खंड 39 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXXIX contains Nos. 41 to 50]

Preservation Unit
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : **Two Rupees**

विषय-सूची CONTENTS

अंक 43, बुधवार, 24 अप्रैल, 1974/4 वैशाख, 1896 (शक)

No. 43, Wednesday, April 24, 1974/Vaisakha 4, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
812.	बैक्टीरिया से अधिक तत्व वाले प्रोटीन का उत्पादन	Production of High Value Protein from Bacteria	1-2
815.	ऊर्जा संकट के बारे में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिए गए सुझाव	Suggestions made by Chairman of Atomic Energy Commission on Engery Crisis	2-4
817.	कारवाड (कर्नाटक) स्थित कास्टिक सोडा संयंत्र का सरकारीकरण	Take over of Caustic Soda Plant in Karwar (Karnataka)	4-5
819.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक गैसों का वितरण	Distribution of Industrial Gases in West Bengal	5-7
820.	दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों का सुधार	Modification of Telephone Exchanges in Delhi	7-10
822.	स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन की राशि में वृद्धि करना	Raising the amount of Pension to Freedom Fighters	10-13
821.	विदेशी फर्मों को मिश्र उत्पाद की अनुमति देने से विदेशी मुद्रा की बचत	Saving of Foreign Exchange in allowing Product Mix to Foreign Firms	13-15
823.	चंडीगढ़, फाजिल्का और अबोहर संबंधी पंचाट को क्रियान्वित करने के लिए सीमा आयोग की नियुक्ति	Appointment of a Boundary Commission to implement the Award on Chandigarh, Fazilka and Abohar	15-16

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
810.	नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा अवधि	Waiting period for New Telephone connections	16-17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
811.	पश्चिम बंगाल में आक्सीजन और डिजौल्व्ड एसिटीलीन कारखानों की स्थापना करना	Setting up of Oxygen and Dissolved Acetylene Units in West Bengal ..	17
813.	सरकारी कर्मचारियों के कल्याण संघों को सहायक अनुदान	Grants in Aid to Welfare Association of Government Employees ..	17-18
814.	स्वर्गीय डा० सत्येन बोस के जीवन पर वृत्तचित्र	Documentary Film on the Life of late Dr. Satyen Bose	18-19
816.	कन्ननूर जिले में पान्नूर और पथाया-कन्नू उपडाकघरों में डाक प्राप्त करने और बांटने में विलंब	Postal delays in Panoor and Pathayakkunnu Sub Post Offices in Cannanore District	19
818.	मिलावट वाले सीमेंट की चोरी छिपे बिक्री	Sale of Adulterated Cement in Black Market	19-20
824.	पांचवीं योजना में समाज कल्याण कार्य-क्रमों के लिए धनराशि का आवंटन	Allocation for Social Welfare Programme in Fifth Plan ..	20
825.	रेडियो और टी० वी० लाइसेंस फीस और बिना लाइसेंस वाले सैट	Radio and T. V. Licence Fees and Sets without Licences	20-21
826.	हरियाणा की नई राजधानी का निर्माण	Construction of New Capital for Haryana	21
827.	फिल्मों का आयात	Import of Films	21
828.	"मिजो विद्रोहियों और रजाकारों का चीनियों द्वारा प्रशिक्षित विद्रोही नागाओं के साथ मिल जाना" शीर्षक समाचार	News Report 'Mizo Rebels, Razakars Joined hands with Chinese Trained Rebel Nagas, ...	22-22
829.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा जूनियर और सीनियर फैलो को दी गई फैलोशिप	Fellowship given to Junior and Senior Fellows by CSIR	22

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
7903.	ब्रिटेन में भारतीय इंजीनियर	Indian Engineers in Britain ..	22-23
7904.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के नियमों में संशोधन	Amendment of Rules for Grant of Scholarships to S.C. & S.T. Students	23
7905.	पांचवीं योजना में टेलीविजन का विस्तार	T. V. Expansion in Fifth Plan	23
7906.	उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी पासपोर्ट-धारी पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pak. Nationals Holding Pakistani Passports in U.P.	23-24

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7907.	गुजरात की रुग्ण कपड़ा मिलों में नियंत्रक की नियुक्ति	Appointment of Controller in Sick Textile Mills, Gujarat	24
7908.	इन्दौर डिवीजन के लिए टेलीफोन सलाहकार बोर्ड	Telephone Advisory Boards for Indore Division	24
7909.	मध्य प्रदेश में जिला-योजनाओं का क्रियान्वयन	Implementation of District Plans in Madhya Pradesh ..	24-25
7910.	भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा में बैठने के लिए रिलीज्ड शार्ट सर्विस कमीशन तथा एमरजैंसी कमीशन प्राप्त अफसरों के मामले में आयु संबंधी रियायत को वापस लेना	Age Concession withdrawn in case of Released Short Service and Emergency Commissioned Officers to appear in IAS Examination ..	25
7911.	करौल बाग एक्सचेंज, दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र योजना	Opening of P. C. O.s in Karol Bagh Exchange, Delhi	26
7912.	गया में सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialing System of Telephones in Gaya	26
7913.	दिल्ली में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि की वसूली	Recovery of Arreras of Telephone Bills in Delhi	27
7914.	मिश्र उत्पाद	Product Mix ..	28
7915.	अधिक संख्या में रोजगार प्रधान उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य इलैक्ट्रानिक निगमों को प्रोत्साहन	Encouragement to State Electronic Corporations to establish more Employment-Oriented Industries ..	28-29
7916.	लघु उद्योगों के संगठन के महासंघ द्वारा दिल्ली में एक प्रदर्शनी का आयोजन	Exhibition in Delhi by Federation of Association of Small Scale Industries	
7917.	लघु उद्योगों की व्यापार-निदेशिका	Trade Directory of Small Scale Industries	29
7918.	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी	Sanction of Pension to Freedom Fighters	30
7919.	स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के लिए पेंशन की मंजूरी	Sanction of Pension to Widows of Freedom Fighters	30
7920.	वृद्ध, अशक्त तथा बीमार स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गृह	Home for Aged, Infirm and Ailing Freedom Fighters	31
7921.	स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गृहों का प्रबंध	Management of Home for Freedom Fighters	31

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7922.	स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में प्रमाण	Evidence for Grant of Pension to Freedom Fighters ..	31-33
7923.	सी० आई० डी० के एक इन्सपैक्टर के विरूद्ध आरोप	Charges against an Inspector of CID ..	33
7924.	पूर्वी जिला दिल्ली पुलिस संगठन का उद्घाटन	Inauguration of East District, Delhi Police	34
7925.	पोलिटैक्नीकों से पास होकर निकलने वाले इंजीनियरिंग स्नातकों तथा डिप्लोमा धारियों के प्रशिक्षण पर किया गया व्यय	Expenditure incurred in imparting Training to Engineering Graduates and Diploma Holders passing out of Polytechnics	34
7926.	खादी ग्रोमोद्योग भवन, नई दिल्ली में खादी ग्रामोद्योग के ग्रेड लागू करना	Application of KVIC Grades in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi ..	34
7927.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion to Employees in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi ..	35
7928.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को मकान के लिए ऋण देने की सुविधाएं	Facilities of Housing Loans to Employees of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	35
7929.	पश्चिम जर्मन विकास सेवा	West German Development Service ..	35
7930.	गुजरात में स्थिति को सामान्य बनाने की मांग और उसके लिए उपाय करने के बारे में राज्य की नवनिर्माण युवक समिति का ज्ञापन	Memorandum from Navanirman Yuvak Samiti of Gujarat regarding Demands and Measures for Restoration of Normalcy in Gujarat ..	36
7931.	हिन्द मोटर्स तथा युनाइटेड कार्मशियल बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमानों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by Hind Motors and United Commercial Bank	36
7932.	इन्दौर में चम्पाबाग-स्थित इसाक आयरन वर्कस में चोरी किए गए सैनिक बमों का विस्फोट	Explosion of Stolen Military Bombs at Isacc Iron Works at Champa Bagh in Indore	36
7933.	इन्दौर (मध्य प्रदेश) में चम्पाबाग में एक बम-विस्फोट के संबंध में लोगों की गिरफ्तारी	Arrest of Persons in connection with a Bomb Explosion at Champa Bagh, Indore, Madhya Pradesh ..	36-37
7934.	इंडियन एसेम्बली ऑफ यूथ को अमरीकी तथा यू० एन० ओ० का अनुदान	American and U.N.O. Grant to Indian Assembly of Youth	37

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7935.	निरीक्षण के उद्देश्य से तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र के एक एकक में काम को रोक देना	Suspension of Operation of One Unit of Tarapur Atomic Power Station for Inspection	37
7936.	बिजली की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के नगरों तथा फरीदाबाद में औद्योगिक प्रतिष्ठानों का बंद होना	Closure of Industrial Establishments in U.P. Towns and Faridabad due to Power Shortage	37-38
7938.	जम्मू और काश्मीर सरकार के सरकारी लिफाफों पर 'जम्मू काश्मीर सरकार की सेवा में' छापा जाना	Printing of On Jammu and Kashmir Government Service on Official Envelopes of J & K Government ..	38
7939.	दिल्ली में भूमि के प्लाटों का आवंटन	Allotment of Plots in Delhi	38-39
7940.	मूल्य वृद्धि के खिलाफ छात्र संगठनों द्वारा शुरू किया गया आन्दोलन	Movement launched by students Organisations against price Rise ..	39
7941.	राज्यों में बेरोजगार इंजीनियरों के लिए स्वनियोजन आयोजनों का कार्यान्यवन	Implementation of Self-Employment Schemes for Unemployed Engineers in States	39-40
7942.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण	Reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	40-41
7943.	चीन में नागा विद्रोहियों का विचार-परिवर्तन	Brainwashing of Hostile Nagas in China	41
7944.	दिल्ली में बिक्री कर की कम दरों का पड़ोसी राज्यों पर प्रभाव	Impact of Lower Rates of Sales Tax in Delhi on Neighbouring States	41-42
7945.	विदेशी कम्पनियों का सरकारीकरण	Take over of Foreign Companies	42
7946.	'कन्सैन्ट्रेट्स' का आयात प्रतिस्थापन	Import Substitution for Concentrate	42
7947.	विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Companies	42
7948.	नजर के चश्मों का फ्रेम बनाने वाले लघु उद्योगों में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material in Small Scale Spectacle Frame Industry ..	43
7949.	रुग्ण कपड़ा मिलों के लिए सामान का निर्यात	Export of Goods from Sick Taxtile Mills ..	43
7950.	शराब का उत्पादन	Production of Wine	43
7951.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जनसंख्या	Population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	43-44
7952.	रेल-भाड़ों में वृद्धि के विरूद्ध जनसंघ द्वारा दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने आयोजित किया गया प्रदर्शन	Demonstration organised by Jan Sangh in front of Delhi Railway Station against Increase in Railway Freights	44

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7953.	विभिन्न संगठनों की गतिविधियां	Activities of various Organisations ..	44-45
7956.	बम्बई और मद्रास तथा विभिन्न राज्यों की राजधानियों के बीच वैकल्पिक संचार यातायात-मार्ग	Alternate Routing of Telecommunication Traffic between Bombay and Madras and among various State Capitals	45
7957.	पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा महाराष्ट्र में पंजीकृत लघु औद्योगिक एकक	Registered Small Scale Industrial units in West Bengal, Gujarat and Maharashtra	45
7958.	पश्चिम बंगाल में बड़े व्यापार गृहों द्वारा एककों की स्थापना	Setting up of Units by large Houses in West Bengal	46
7959.	कलकत्ता स्टूडियोज में संकट	Crisis in Calcutta Studios	46-47
7960.	उड़ीसा में उद्योगों को घाटा	Loss to Industries in Orissa ..	47
7961.	विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के मामले में अन्तर्ग्रस्त कलकत्ता की फर्म	Calcutta firm involved in foreign exchange violation case	47-48
7962.	लुधियाना-स्थित लघु उद्योगों को दिए गए प्रोत्साहनों को वापस लेना	Withdrawal of Incentives to Small Scale Industries, Ludhiana	48-49
7963.	सरकारी क्षेत्र में समाचार-पत्र	Newspaper in Public Sector	49
7964.	पुरूलिया, पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों को आशय-पत्र जारी करना	Issue of Letter of Intent for Industrial Units in Purulia, West Bengal ..	49-50
7965.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों के लिए लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for Industrial Units in West Bengal	50
7967.	दूर संचार कर्मचारियों के लिए स्नान-गृहों की व्यवस्था	Provision of bathing facility for telecommunication staff	51
7968.	फिलिप्स इंडिया द्वारा माइक्रोफोनों तथा ट्रांसरिसीवरों का निर्माण	Manufacture of Microphones and Trans Receivers by Philips India	51-52
7969.	मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारी	Temporary employees in the Ministry	52
7970.	उत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा विवाद	U.P.-Haryana Boundary Dispute	52
7971.	नई दिल्ली में आयोजित हुए, राज्य सूचना मंत्रियों के ग्याहरवें सम्मेलन में की गई सिफारिशों का क्रियान्वयन	Implementation of the recommendations made in the Eleventh Conference of State Information Ministers held in New Delhi	53
7972.	राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension to freedom fighters from Rajasthan	53
7973.	औद्योगिक लागत और मूल्य संबंधी ब्यूरो	Bureau of Industrial Costs and Prices	54

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7974.	कोर्ट की स्टाम्प पर अंकित ब्रिटिश ताज	British Crown inscribed on court fee Stamps	54
7975.	जम्मू और काश्मीर में सी० आई० ए० की गतिविधियां	Activities of CIA in Jammu and Kashmir	54-55
7976.	त्रिपुरा में टेलीफोन सेवा	Telephone service in Tripura ..	55
7977.	त्रिपुरा में डाकतार कर्मचारियों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिया जाना	Difficult areas allowance to P & T Employees in Tripura	55
7978.	त्रिपुरा में डाक-तार कर्मचारियों को बाढ़ भत्ते का भुगतान	Payment of flood allowance to P & T employees in Tripura	55-56
7979.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की इन्सपेक्टरों के पदों पर पदोन्नति	Promotion of person belonging to S.C. and S.T. to posts of Inspectors ..	56
7980.	भारत रक्षा नियम तथा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों तथा मिलावट करने वालों की गिरफ्तारी	Arrests of hoarders, blackmarketeers and adulterators under DIR and MISA	56-57
7981.	दिल्ली पुलिस में सब-इन्सपेक्टरों की पदोन्नति	Promotion of Sub-Inspectors in Delhi Police	57
7982.	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of pension to Freedom Fighters	57-58
7983.	विभागेत्तर डाक हरकारों (ई० डी० एम० सी०) को महंगाई भत्ते का भुगतान	Payment of Dearness Allowance to EDMC	58
7985.	बड़े उद्योगों के निर्यात-प्रधान उद्योगों में प्रवेश के विरुद्ध लघु उद्योगों का अभ्यावेदन	Representation of Small Scale Industries against entry of large Industries in export-oriented industries ..	59-59
7986.	मुन्नार, अट्टापड्डी, कासरघाट और वायनाद में जनजातियों के विकास के लिए केरल सरकार की योजना	Scheme from Kerala Government for development of Tribals in Munnar, Attappady, Kasarghot and Wynad	59
7987.	पालघाट (केरल) में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के एकक की स्थापना	Establishment of a unit of ITI at Palghat (Kerala)	59-60
7988.	प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स प्राजेक्ट, पालघाट के लिए स्वतंत्र दर्जा	Independent Status for precision Instruments Project, Palghat	60

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7989.	वैज्ञानिक तथा आर्थिक विकास के लिए समन्वित योजना	Coordinated Plan for Scientific and economic development	60
7990.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर विदेशी साम्य पूंजी का सरकारीकरण	Taking over of foreign shares in ITI Ltd., Bangalore	60
799.	कागज उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास एकक	Research and Development unit for Paper Industry	61
7992.	टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए नये टेलीफोन उपकरण की व्यवस्था	Provision of new telephone apparatus for telephone subscribers	61-62
7993.	प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड का विस्तार	Expansion of Pure Drinks Ltd.	62
7994.	ऊर्जा संकट सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसंधान	Research on problem relating to energy crisis	62-63
7995.	लघु प्लास्टिक उद्योग का बंद होना	Closure of Small Plastic Industry	63-64
7996.	स्थायी एवं अस्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या	Number of permanent and temporary Central Government employees ..	64
7997.	गुजरात और बिहार में दंगा भड़काने वाली शक्तियां	Forces that fomented trouble in Gujarat and Bihar	65
7998.	हिंसा के कार्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारतीय कम्युनिस्ट दल के हाथ होने सम्बन्धी मामले	Cases of involvement of RSS and C. P. I. in Acts of Violence ..	65
7999.	पांचवीं योजना में वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए राज्यों को आवंटन	Allocations to States to implement Old Age Pension schemes in Fifth Plan	65-66
8000.	कलाई की घड़ियों का मूल्य	Prices of Wrist Watches	66
8001.	कलाई घड़ी कारखाने की स्थापना के लिए तस्कर व्यापारी के लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र	Application for Licence from Smuggler for setting up of Wrist Watch Factory	66
8002.	जूनागढ़ (गुजरात) के उद्योग लगाने के लिए आवेदन	Applications for setting up Industries in Junagarh (Gujarat)	66-67
8004.	राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को गुजरात के छात्रों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum from Students of Gujrat given to President, Prime Minister and the Home Minister ..	68
8005.	पटना के लिए नई टेलीफोन डायरेक्टरी	New Telephone Directory for Patna	68

अता॰ प्र॰ संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8006.	आई॰ पी॰ एस॰ अधिकारियों का राज्यों को आवंटन	Allotment of IPS Officers to States	69
8007.	राज्यों को आई॰ ए॰ एस॰ अधिकारियों के आवंटन हेतु कसौटी	Criteria for Allotment of IAS Officers to States	70
8008.	राकेट छोड़ने के क्रम में अन्य देशों की तकनीकी सहायता लेना	Technical Cooperation sought from other countries in Rocket Launching	71
8009.	महाराष्ट्र में समुद्र कटाव रोकने सम्बन्धी योजना	Anti Sea Erosion Scheme in Maharashtra	71
8010.	महाराष्ट्र में संकट ग्रस्त कपड़ा मिलें	Sick Textile Mills in Maharashtra ..	71-74
8011	महाराष्ट्र में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Maharashtra	75
8012.	बम्बई के लिए नई टेलीफोन परामर्शदात्री समिति	New Telephone Advisory Committee for Bombay	75
8013.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अवर सचिव	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Under Secretaries	76
8014.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा प्राप्त शिकायतें	Complaints received by Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	76
8015.	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा व्यय न किए गए धन को वापस करना	Unspent amount surrendered by West Bengal Government	77
8016.	बिहार के चम्पारन जिले में टेलीफोनों का कार्यकरण	Functioning of Telephones in Champaran District of Bihar	77-78
8017.	सशस्त्र मिजो-कुकी विद्रोहियों द्वारा मिजोरम की सीमा से मिलते हुए मनीपुर में मोम्बी में ग्राम सुरक्षा चौकी पर आक्रमण	Attack on a Village Guard Post at Mombi in Manipur Bordering Mizoram by Armed Mizo Kuki Rebels	78
8018.	प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये टेलीविजन कर्मचारी	Staff of Television sent abroad for training	78-79
8019.	दिल्ली में टेलीफोनों का एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में स्थानान्तरण	Transfer of Telephones from one Exchange to another in Delhi ..	79-80
8020.	वर्ष 1972-73 और 1973-74 में केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यालयों के विज्ञापनों को विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपवाने में खर्च हुई धन राशि	Expenditure on the Publication of the Advertisements of Central Government Offices in various Newpapers/Magazines during 1972-73 and 1973-74	80

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8021.	पश्चिम बंगाल के औद्योगिक एककों में अप्रयुक्त क्षमता	Unutilised capacity in Industrial Units, West Bengal	80-81
8022.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में कागज परियोजनाएं	Paper Projects in North Eastern Region	81
8023.	गुजरात में औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production in Gujarat ..	81-82
8024.	27 तथा 28 मार्च, 1974 को गुजरात में गोली चलाना	Firing in Gujarat on 27th and 28th March, 1974	82
8026.	सीमेंट, चीनी और कपड़े के उपयोग पर रोक	Curb on consumption of Cement, Sugar and Textile	82-23
8027.	उड़ीसा के ग्रामों में टेलीफोन सुविधाएं	Telephone facilities in villages of Orissa	83-84
8028.	टेलीविजन कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of T.V. programmes	84
8029.	बस्तर (मध्य प्रदेश) में ग्रामीण उद्योग परियोजना	Rural Industries Project in Bastar (M.P.)	84
8030.	त्रिवेणी टीशूज लिमिटेड का विस्तार	Expansion of Triveni Tissues Limited	85
8031.	टेलीग्राफ/टेलीफोन सब-डिवीजन खोलना	Opening of Telegraph/Telephone Sub-Divisions	85-87
8032.	पांचवीं योजना में हिमाचल प्रदेश को आवास के लिए धनराशियों का नियतन	Allocation of Funds to Himachal Pradesh for Housing in Fifth Plan ..	87
8033.	"पांच लाख रोज़गार" कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को आवंटित रोजगार	Jobs allocated to Himachal Pradesh under "half a million jobs" programme	88
8034.	सीमेंट का मूल्य	Cement Price ..	88
8035.	भारतीय सर्वेक्षण संस्थान द्वारा वनस्पतियों के बारे में अनुसंधान	Research in Botany by Survey of India	88
8037.	देश में तांबे के तार की चोरी	Theft of Copper Wire in the country	89
8038.	वर्ष 1974-75 में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए नियत राशि	Funds earmarked for creation of Jobs in 1974-75	89-90
8039.	उड़ीसा, पंजाब, गुजरात और बंगलौर में उद्योगों का आधुनिकीकरण	Modernisation in Industries in Orissa, Punjab, Gujarat, Bangalore ..	90
8041.	लघु क्षेत्र के उद्योगों की समस्याएं	Problems of Small Scale Industries	90
8042.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में सिल्क साड़ियों का गायब होना	Missing silk-saries in K. G. B., New Delhi	91

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8043.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में कार्यवाहक मैनेजर के नाम लेखा	Account in the name of Acting Manager K. G. B., New Delhi.	91
8044.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में स्टाक रख-रखाव प्रणाली	Stock maintaining system in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi ..	91
8045.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी को अनुसंधान के लिए दिए गए अनुदान का उपयोग	Utilisation of Grants given to the Indian National Science Academy for Research	92-93
8047.	राज्यों द्वारा केन्द्र पर सहायता के लिए निर्भर न रहकर अपनी वार्षिक/पांचवीं योजना बनायी जाना	States to have their own Annual/Fifth Plan without depending on Central Assistance	93
8048.	प्लास्टिक फिल्म केपीसेटरों का निर्माण	Manufacture of Plastic Film Capacitors	93-94
8049.	इन्टरनेशनल फ्रैंडशिप सोसायटीज के साथ मंत्रियों तथा कर्मचारियों के संबंध	Association of Ministers and Employees with International Friendship Societies	94
8050.	गुजरात और बिहार में केन्द्रीय बलों का प्रयोग	Deployment of Central Forces in Gujarat and Bihar	94-95
8051.	राव तुलाराम की जीवनी पर वृत्त चित्र बनाने का प्रस्ताव	Proposal to prepare a Documentary Film on the Life of Rao Tula Ram	95
8052.	ट्रक टायरों और ट्यूबों के व्यापारियों और वितरकों द्वारा कांग्रेस चुनाव फंड में चन्दा देना	Contribution to Congress Election fund by Dealers and Distributors of Truck Tyres and Tubes ..	96
8053.	वर्ष 1974 के दौरान बड़ी संख्या में बिकने वाले समाचारपत्रों के कोटे में वृद्धि	Increase in the Quota of Mass Circulation Dailies during 1974	97
8054.	वर्ष 1973-74 तथा वर्ष 1974-75 के दौरान दूरदर्शन केन्द्रों के लिए कुल अनुमानित परिव्यय	Total estimated outlay for T. V. Centres during 1973-74 and 1974-75 ..	97-98
8055.	तारापुर परमाणु परियोजना के कार्यकरण का पुनर्विलोकन	Review of functioning of Tarapur Atomic Power Project	98-99
8056.	कोटा परमाणु विद्युत् परियोजना से बिजली का उत्पादन	Production of Power from Kota Atomic Power Project ..	99
8057.	महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद	Maharashtra-Karnataka Boundary Dispute	100
8058.	लघु उद्योगों द्वारा अधिक खपत वाली वस्तुओं का उत्पादन	Production of consumption items by Small Industries	100
8059.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उद्योग	Industries in North Eastern Region	100-101

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8060.	पश्चिम बंगाल में विदेशी सहयोग की योजनाएं	Foreign Collaboration Schemes in West Bengal	102
8062.	श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement made by Shri Jai Prakash Narayan	102
8063.	गैर-सरकारी क्षेत्र के कारण उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन	U. P's Backwardness on account of Private Sector	102-103
8064.	लघु उद्योग बोर्ड की बैठक	Meeting of Small scale Industries Board	103
8065.	उड़ीसा में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Orissa	103
8066.	उड़ीसा में जनगणना कर्मचारी	Census Employees in Orissa	103-104
8067.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को दिए जाने वाले छात्रावास, अनुदान तथा वजीफे की दर में पुन-रीक्षण करने के बारे में अभ्यावेदन	Representation for Revision of Hostel Grant and Stipend to S.C. and S. T. Students	104
8068.	पश्चिम बंगाल में पिछड़े में विकास के लिए उपयोजना	Sub-Plan for Development of Back-ward areas in West Bengal ..	104
8069.	एक आई० पी० एस० अधिकारी द्वारा खोए गए दस्तावेज	Documents lost by an I. P. S. Officer	104-05
8070.	गैर-सरकारी क्षेत्र में जेसप डिजाइन	Jossop Designs in Private Sector	105
8071.	विदेशों में तथा विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं में काम कर रहे वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविज्ञों द्वारा भारत में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in India by Scientists and Technologists working abroad and in CSIR Laboratories	106
8072.	उपभोक्ता वस्तुओं के लिए इंजीनियरी उद्योग में क्षमता का उपयोग	Utilisation of capacity in Engineering Industry for Consumer Goods ..	106-107
8073.	समाचार प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के सिद्धांत	Criteria adopted for setting up News Broadcasting Stations	107
8074.	अखबारी कागज के उत्पादन के लिए जापान से पेशकश	Offer from Japan for manufacture of Newsprint	107
8075.	गाजीपुर का विकास	Development of Ghazipur ..	107-108
8076.	भूतपूर्व संसद् सदस्यों के नाम से टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in the names of Ex-M. P.s	108

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8077.	टेलीकम्युनीकेशन इंजीनियरिंग सुपरवाइजर्स ऐसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by Telecommunication Engineering Supervisors Association	108
8078.	कृषि को प्राथमिकता देने की राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति की सिफारिश	Priority to Agriculture recommended by National Committee on Science and Technology	109
8079.	ओखला, दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में गोलीचालन	Firing in Industrial Areas of Okhla, Delhi	109-110
8080.	गियाना को दूर संचार के उपकरणों की बिक्री	Sale of Telecommunication Equipments to Guyana	110
8081.	केन्द्रीय सरकार के एक भूतपूर्व मंत्री पर आरोप	Charges against a former Union Minister	110
8082.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली को लाभ तथा हानि	Profit and loss incurred by KGB, New Delhi	110
8083.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध	Ban on C. P. I. ..	111
8084.	राव तुलाराम के जीवन पर, उनकी पुण्य तिथि पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रस्ताव	Proposal to relay special programme on the life of Rao Tula Ram on his Death Anniversary	111
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	111-119
	पश्चिम बंगाल में बिजली की सप्लाई वस्तुतः ठप्प होने का समाचार	Reported virtual breakdown of power supply in West Bengal ..	111-119
	श्री त्रिदिव चौधरी	Shri Tridib Chaudhary ..	111-114
	श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri Krishan Chandra Pant ..	112-119
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	119-120
	प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee— ..	120-121
	कतिपय सिफारिशों के बारे में सरकार के अंतिम उत्तर दिखाने वाले विवरण	Statements showing final replies of Government in respect of certain recommendations	120-121
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	221
	40वां प्रतिवेदन	Fortieth Report ..	121
	प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	121
	57वां तथा 60वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Fifty seventh and Sixtieth Reports and Minutes	121

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	121
119 वां प्रतिवेदन	Hundred and Nineteenth Report ..	121
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति—	Committee on Public Undertakings—	121-122
49वां और 50वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Forty ninth and Fiftieth Reports & Minutes	121-122
नियम 377 के अन्तर्गत मामले—	Matters under Rule 377—	122-125
(I) जादूगुडा काम्पलैक्स से चीन तथा पाकिस्तान को यूरेनियम की तस्करी करने वाले गिरोह का समाचार	Reported racket about smuggling of Uranium from Jaduguda Complex to China and Pakistan	122-123
(II) भारत के प्रादेशिक समुद्र के नीचे की जमीन की मिलकियत का मामला	Ownership of land reclaimed from the Sea within territorial waters of India	123-124
(III) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में गोली चलाए जाने का समाचार	Reported firing at Aurangabad, Maharashtra	124-125
अनुदानों की मांगे, 1974-75	Demands for Grants, 1974-75 ..	125-143
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture	125-126
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	125-126
श्री राम चन्द्र विकल	Shri Ram Chadra Vikal	126-127
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini	127
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji ..	128
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder ..	128-129
श्री भगत राम मनहर	Shri Bhagatram Manhar ..	129
श्री बशेश्वर नाथ भार्गव	Shri Basheshwar Nath Bhargava ..	129-130
श्री लाल जी भाई	Shri Lalji Bhai	130
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi ..	130
श्री एस० एन० सिंह देव	Shri S. N. Singh Deo ..	131
श्री शिव शंकर प्रसाद यादव	Shri Shiv Shanker Prasad Yadav ..	131
श्री दलीप सिंह	Shri Dalip Singh	132
श्री एन० पी० यादव	Shri N. P. Yadav	132
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	Shri R. P. Yadav ..	132-133
कुमारी मणीबेन पटेल	Kumari Maniben Patel ..	133
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra ..	133-134
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	134

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्रीमती सहोदरा बाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai..	.. 134-135
श्री पन्नालाल बारुपाल	Shri Pannalal Barupal	.. 135-136
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ..	136
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey	.. 136-137
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	137
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga ..	137
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	.. 137-143
आधे घण्टे की चर्चा—	Half-an Hour Discussion—	.. 143-147
देना बैंक द्वारा लिपिक संवर्ग में भरती के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का चयन	Selection of Scheduled Castes candidates for recruitment to Clerical Grade by Dena Bank ..	.. 143-147
श्री चन्द्रशैलानी	Shri Chandra Shailani ..	.. 143-146
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi ..	.. 146-147

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 24 अप्रैल, 1974/4 वैशाख, 1896 (शक)

Wednesday, April 24, 1974/Vaisakha 4, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बैक्टीरिया से अधिक तत्व वाले प्रोटीन का उत्पादन

*812. **श्री राजदेव सिंह** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोटिन्जेन विश्वविद्यालय, पश्चिम जर्मनी के सूक्ष्मीजीव विज्ञान संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ माईक्रोबाओलाजी) ने बैक्टीरिया से अधिक तत्व वाली प्रोटीन तैयार करने की नई प्रणाली विकसित की है।

(ख) क्या आक्सीहाइड्रोजन बैक्टीरिया से तैयार की जाने वाली प्रोटीन तथा इसके पोषक तत्व दूध, छैना में अधिक तत्व वाली प्रोटीन के बहुत कुछ समान है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधानकर्त्ताओं से इस प्रणाली को विकसित करने के लिए कहेगी तथा यह देखेगी कि यह वाणिज्यिक रूप से उपयोगी है अथवा नहीं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) सरकार को मालूम है कि गोटिन्जेन विश्वविद्यालय, पश्चिमी जर्मनी बैक्टिरिया से प्रोटीन पर कार्य कर रहा है। कार्य के परिणाम उपलब्ध नहीं है।

(ख) सामान्यतौर पर बैक्टिरिया की प्रोटीन अच्छी किस्म होती है।

(ग) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट इस कार्य को लेने की संभावनाओं पर जांच कर रही है।

श्री राजदेव सिंह : जोरहाट स्थित प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला बैक्टीरिया से प्रोटीन बनाने के कार्यो को आरम्भ करने की सम्भावना के बारे में कब से जांच कर रहा है और उक्त जांच कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यह बहुत दुर्गम क्षेत्र है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मेरे विचार से हम उक्त क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दे सकते क्योंकि यह प्रोटीन मानव उपभोग के लिये उपयुक्त नहीं माना गया है। यहां तक कि पश्चिम के विकसित देश भी इसे उच्च प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि क्या हम कोई संसाधन इस प्रयोजन के लिए लगा सकते हैं या नहीं।

श्री राजदेव सिंह : क्या जोरहाट स्थित प्रयोगशाला प्रोटीन सम्बन्धी कार्य आरम्भ करने के लिये सब उपकरणों से लैस है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं। एक बार जब हम इस कार्य को आरम्भ करने का निर्णय ले लेंगे तभी उपकरणों से लैस होने का प्रश्न उठेगा।

ऊर्जा संकट के बारे में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिये गये सुझाव

***815. श्री पी० गंगादेव**
श्री श्रीकिशन मोदी } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष द्वारा ऊर्जा संकट के बारे में और प्रभावी ऊर्जा कार्यक्रम में बढ़ावा देने के लिए दिये गये सुझावों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने उन सुझावों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। **(ख) और (ग)** परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने बताया है कि थोरियम को ईंधन के रूप में उपयोग में लाने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को शुरू करने के बाद नाभिकीय विद्युत उत्पादन देश की ऊर्जा आश्वयकताओं की पूर्ति में उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

मद्रास के पास कलपक्कम में एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निर्माणाधीन है। इस परीक्षण के सफल होने पर इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है। संभावना है कि इस रिएक्ट के प्रमाणित होने पर 9980 के बाद के दशक में बड़े नाभिकीय विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के लिए मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।

श्री पी० गंगादेव : देश की जल की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इस तथ्य को ध्यना में रखते हुए कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिये बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, मैं योजना मंत्री से, जानना चाहूंगा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिये अपेक्षित

मात्रा में जल उपलब्ध कराने के लिये क्या योजना तैयार की गई है। पांचवीं योजना में आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मोहन धारिया : भारी जल का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। पांचवीं योजना में इन संयंत्रों के लिये भारी जल उपलब्ध कराने के लिये हमने आवश्यक कार्यवाही की है ।

श्री पी० गंगादेव : चूंकि देश में गैस और तेल की सप्लाई 1980 तक सीमित रहेगी, जैसा कि परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष ने बताया है, पांचवीं योजना में उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों में बहुत बड़ी मात्रा में पाये जाने वाली बची-खुची बनस्पतियों, जलाने वाली लकड़ी और गोबर जैसे गैर-वाणिज्यिक ईंधन का पता लगाने के लिये क्या पर्याप्त व्यवस्था की गई है और क्या उक्त ऊर्जा का विकास और वितरण करने के लिये राष्ट्रीय ऊर्जा प्राधिकरण का गठन किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न संक्षेप में पूछें ।

श्री मोहन धारिया : राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग गठित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। लेकिन इस बीच हमने संबद्ध मंत्रालयों की गतिविधियों का समन्वय किया है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये दूसरे प्रश्न का सम्बंध है, जैसा कि इसका उत्तर सदन में दिया जा चुका है, हम अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पादन करने के लिये देश में उपलब्ध यथासम्भव संसाधनों का पता लगाने के प्रयास कर रहे हैं ।

श्री समर गुह : परमाणु ऊर्जा के विकास के बारे में डा० साराभाई द्वारा तैयार किये गये प्रारूप का क्या बना ? क्या यह सच है कि धातुकर्म तथा अन्य प्रयोजनों के लिये हमें कोयले की बचत करनी होती है। इस सम्बन्ध में सरकार से बार-बार यह अनुरोध किया गया है कि हमें गोहाटी अथवा पूर्वी क्षेत्र में कहीं और परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना का पता लगाना चाहिये। तीसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस तथ्य पर विचार किया है कि लेसर किरणों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन तकनीक के रूप में किया जा रहा है। सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री मोहन धारिया : पांचवीं योजना में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के मामले में, डा० साराभाई द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार किया गया है। पूर्वी क्षेत्र में परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कोयले के संरक्षण के बारे में पर्याप्त उपाय किये गये हैं।

SHRI SHRIKISHAN MODI : I want to know whether these suggestions include some suggestions regarding Kota Atomic Energy Plant ? I also want to know how much additional power we can get after its full development and why et has not been developed imediately and I want to know when it will be developed ?

श्री मोहन धारिया : बिजली संयंत्र पहले ही 230 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही है और पांचवीं योजना में 230 मैगावाट बिजली उत्पादन करने वाला एक और यूनिट स्थापित किया जायेगा ।

श्री आर० एस० पाण्डे : परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने ऊर्जा संकट को दूर करने के लिये अनेक उपयोग सुझाव दिये हैं। वे उपयोगी सुझाव क्या हैं और ऊर्जा संकट दूर करने के लिये उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्री मोहन धारिया : हमारे देश में यूरेनियम की सप्लाई सीमित है जबकि थोरियम की सप्लाई अधिक मात्रा में होती है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि थोरियम को फटने-योग्य किस प्रकार बनाया जा सकता है जिससे उसका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिये प्रयोग किया जा सके। इस संदर्भ में हम एक छोटा प्रयोग कर रहे हैं। यदि हमारी नमूना योजना सफल रही, तो हम परमाणु ऊर्जा के लिये अधिक मात्रा म थोरियम का उपभोग कर सकेंगे।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक परमाणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ।

श्री मोहन धारिया : इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत साधारण-सा प्रश्न है।

कारवाड (करनाटक) स्थित कास्टिक सोडा संयंत्र का सरकारीकरण

*817. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने कारवाड के कास्टिक सोडा संयंत्र को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लेने का कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बी० वी० नायक : क्या माननीय मंत्री को इस तथ्य की जानकारी है कि राज्य के उद्योग मंत्री ने स्पष्ट रूप से इस बात का आश्वासन दिया था कि यदि केन्द्रीय सरकार का विचार उक्त संयंत्र को सरकारी नियंत्रण में लेने का हो तो राज्य सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी ? ऐसा 12 फरवरी, 1974 को बंगलौर में हुई सलाहकार समिति की अनौपचारिक बैठक में कहा गया था जिसमें कर्नाटक के 24 संसद सदस्य उपस्थित थे ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि उक्त प्रश्न मूल प्रश्न से कैसे सम्बन्धित है ? आप किस आधार पर यह पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं ? कम से कम आपका पूरक प्रश्न कुछ ऐसी सामग्री पर आधारित होना चाहिये जो सभा के सम्मुख हो।

श्री बी० वी० नायक : मेरा प्रश्न माननीय मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम को 19 अप्रैल, 1974 को लिखे गये पत्र पर आधारित है जिसमें 12 फरवरी, 1974 को बंगलौर में हुई बैठक की समस्त कार्यवाही का उल्लेख किया गया था। उसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि चूंकि कर्नाटक सरकार के पास परियोजना के लिये पर्याप्त धनराशि नहीं है, अत: यदि भारत सरकार इस सरकारी क्षेत्र की परियोजना को नया रूप देना चाहे तो राज्य सरकार को इस सम्बध में कोई आपत्ति नहीं होगी। यह 12 फरवरी, 1974 को बंगलौर में हुई सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही का 16वां मद था।

अध्यक्ष महोदय : आप इन सब बातों का यहां क्यों उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री बी० वी० नायक : जुलाई, 1971 से मेरा यह प्रयास रहा है कि मैं इस सम्मानीय सदन और कर्नाटक सरकार का ध्यान 2500 एकड़ भूमि और 10,000 व्यक्तियों की समस्या की ओर आकर्षित करूँ। उन्हें भूमि से हटाया जा रहा है। प्रत्येक बार जब मैं यह प्रश्न उठाता हूं तो मंत्री महोदय स्पष्ट उत्तर नहीं देते जिसके परिणामस्वरूप संसदीय प्रणाली बेकार हो गई है। मैंने अपने पत्र में समस्त कार्यवाही का उल्लेख किया है। यदि माननीय मंत्री का वह अभी प्राप्त नहीं हुआ है तो जब उन्हें वह पत्र प्राप्त होगा तो क्या वह उस पर उचित तौर से विचार करेंगे और कर्नाटक सरकार, विशेषकर उद्योग मंत्रालय से उस विषय पर विचार करेंगे ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : माननीय सदस्य ने पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को पत्र लिखा है ....

श्री बी० वी० नायक : उक्त पत्र श्री सुब्रह्मण्यम को लिखा गया है ......

श्री सी० सुब्रमण्यम : मुझे बताया गया है कि उन्हें यह उत्तर भेज दिया गया है कि किसी भी कास्टिक-सोडा संयंत्र को नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री बी० वी० नायक : क्या मैं सभा पटल पर पत्र रख सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप पत्र उन्हें उनके कार्यालय में दे दें, यहां नहीं।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक गैसों का वितरण

*819. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में औद्योगिक गैसों के वितरण की क्या व्यवस्था है ;

(ख) क्या वितरण व्यवस्था के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस शिकायत के तथ्य क्या हैं तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) औद्योगिक गैसों के वितरण पर नियन्त्रण नहीं है। प० बंगाल में उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं को औद्योगिक गैसें सामान्य व्यापारिक स्रोतों द्वारा वितरित की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ए० के० एम० इसहाक : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है। प्रश्न यह था कि क्या वितरण प्रणाली के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है। माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि औद्योगिक गैसों का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होता है अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में होता है और क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ उत्पादन होने के कारण इस बारे में कोई शिकायत नहीं की गई थी और इसीलिये प्रश्न का उत्तर नाकारात्मक है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में होता है। प्रश्न स्पष्ट रूप में यह था कि क्या वितरण प्रणाली के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है। मैंने इसका उत्तर नहीं में दिया था क्योंकि इस बारे में हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री ए० के० एम० इसहाक : चूंकि उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में है अतः आपको शिकायत करने का कोई अवसर ही नहीं है। इसीलिये प्रश्न का उत्तर 'नकारात्मक' है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम्: मुझे यह नहीं पता कि क्या इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री ए० के० एम० इसहाक : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक गैस क्षेत्रों की क्या आवश्यकता है ? पश्चिम बंगाल में कितनी मात्रा में औद्योगिक गैसों का उत्पादन होता है। क्या औद्योगिक गैसों की मांग और सप्लाई में अन्तर है और क्या इन गैसों का इस्पात संयंत्रों में कोई उपयोग है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : लगभग 8 करोड़ क्यूबिक मीटर की वर्तमान प्रतिस्थापित क्षमता में पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठापित क्षमता लगभग 2 करोड़ 90 लाख है। दो नये आशय-पत्र जारी किये गये हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में स्थित उद्योगों के लिये और अधिक गैस की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से हम इस ओर ध्यान देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी अभी माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि देश को और अधिक गैस की आवश्यकता है। उन्होंने बताया है कि गैस की और आवश्यकता के कारण दो नये आशय-पत्र जारी किये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की लगभग 2 करोड़ 90 लाख क्यूबिक मीटर की प्रतिष्ठापित क्षमता में, इंडियन आक्सीजन, जो एक ब्रिटिश फर्म है, की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है और क्या वह कम्पनी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन पर नियंत्रण करती है जबकि देश में इसकी कमी है और यदि हां, तो क्या सरकार ने कभी इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने पर विचार किया है जिससे वितरण पर कम से कम इस प्रकार नियंत्रण किया जा सके कि आवश्यकताएं पूरी हो सकें क्योंकि कुछ बड़े ग्राहक सरकारी क्षेत्र में स्थित एकक हैं, जिनमें रक्षा कारखाने आदि शामिल हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि अब तक मुझे वितरण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त होगी तो हम निश्चित रूप से ध्यान देंगे। उत्पादकों में इंडियन आक्सीजन मुख्य उत्पादक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 2 करोड़ 90 लाख क्यूबिक मीटर की प्रतिष्ठापित क्षमता में से वे कितना उत्पादन करते हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मैं तब तक प्रश्न पूछ सकता हूं जिससे वह दोनों का उत्तर दे सकें ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : आसंनसोल स्थित इण्डियन आक्सीजन का उत्पादन 57 लाख क्यूबिक मीटर है। शाम नगर स्थित इण्डियन आक्सीजन का उत्पादन 510,000 क्यूबिक मीटर है और कलकत्ता स्थित इण्डियन आक्सीजन का उत्पादन 72 लाख क्यूबिक मीटर है। अतः लगभग 140 लाख क्यूबिक मीटर का उत्पादन होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने पूछा था कि क्या सरकार ने विशेषकर आवश्यक क्षेत्रों के लिये वितरण पर नियंत्रण करने के लिये किसी योजना पर विचार किया है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अभी तक वितरण प्रणाली के बारे में कोई शिकायत नहीं रही। यदि कोई त्रुटि है तो हम अवश्य उसकी जांच करेंगे।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि लगभग 290 लाख क्यूबिक मीटर के उत्पादन के लिये लाइसेंस दिये गये हैं अथवा अधिक क्षमता बनाई जानी है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि लगभग 175 लाख क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन किया जा रहा है तथा यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि और अधिक औद्योगिक गैस के उत्पादन के लिये लाइसेंस या आशय पत्र जारी किये जाने चाहियें। अन्यथा उद्योग अस्त-व्यस्त हो जाएंगे।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : जैसा कि मैंने कहा है पश्चिम बंगाल को अधिकांश भाग मिल रहा है। किन्तु यदि उसे अतिरिक्त गैस की आवश्यकता है तो हम इसकी जांच करेंगे। मैंने यह आश्वासन भी दिया है। यदि अधिक गैस की आवश्यकता होगी तो अन्य कारखानों की स्थापना के लिये हम आशयपत्र जारी कर देंगे। किन्तु यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सी फर्मों को आशयपत्र जारी कर दिये गये हैं। क्या यह सच है कि कुछ सरकारी उपक्रमों में अधिक औद्योगिक गैस का उत्पादन किया जायेगा अथवा औद्योगिक गैस का उत्पादन करने के लिये सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत अतिरिक्त एककों की स्थापना की जायगी क्योंकि सरकार की नीति यह होगी कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को गैस की सप्लाई के लिये गैर-सरकारी उपक्रमों पर आश्रित न रहना पड़े।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मै नहीं समझता कि हमें गैर-सरकारी गैस पर निर्भर क्यों नहीं रहना चाहिये। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादित गैस का उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नहीं होना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : सरकार स्वयं इस गैस का उत्पादन क्यों नहीं करती ? वह गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादित गैस पर क्यों निर्भर करती है ?

दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों का सुधार

*820. **श्री विक्रम महाजन** : क्या संचार मंत्री दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों के सुधार के बारे में 14 नवम्बर, 1973 के तारांकित प्रश्न-संख्या 43 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली के क्रास-बार पद्धति वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का सुधार कार्य इस बीच पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) दिल्ली के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को इससे कितनी राहत मिली है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिल्ली टेलीफोन के क्रास बार एक्सचेंजों में सुधार का काम चल रहा है, जिसका अधिकांश काम अक्तूबर, 1974 तक पूरा हो जाएगा। आशा है कि संपूर्ण सुधार-कार्य मार्च, 1975 तक पूरा हो जाएगा।

(ख) दिल्ली के विभिन्न क्रास-बार एक्सचेंजों में 25 प्रतिशत से लेकर करीब 40 प्रतिशत तक सुधार-कार्य पूरा हो चुका है। जब सभी सर्किटों में सुधार का काम पूरा हो जाएगा तभी यह पता चलेगा कि कालें न मिलने के दोसों के किस सीमा तक दूर होने की संभावना है। आशा है कि सुधार-कार्य पूरा हो जाने के बाद सेवा के स्तर म काफी सुधार हो जाएगा।

श्री विक्रम महाजन : हमारा टेलीफोन विभाग एक अद्‌भुत विभाग है । यह विभाग किसी प्रणाली के परिणामों को जाने बिना उसे अपना लेता है और उसमें सुधार करना आरम्भ कर देता है किन्तु उसे इन परिवर्तनों का परिणाम भी ज्ञात नहीं होता क्योंकि मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि मुझे उन सुधारों की जानकारी केवल तभी ज्ञात होगी जब परिवर्तन कर दिये जाएं । मेरे विचार से परिवर्तन करने से पूर्व उन्हें प्रयोग करके देख लेना चाहिये जिससे यह ज्ञात हो जाये कि उनसे क्या सुधार होगा । अतः में जानना चाहता हूं कि "क्रास-बार" पद्धति आरम्भ करने की किसने सलाह दी थी ? इस बात को ध्यान में रखकर कि यह पद्धति विफल रही है उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्य-वाही की गई है जिन्होंने इसकी सलाह दी थी ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : "क्रास-बार" पद्धति आरम्भ किये जाने का निर्णय वर्ष 1963-64 में किया गया था । "पेंटेकोस्टा क्रास-बार" नामक पद्धति का निर्णय विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किये जाने के पश्चात् किया गया था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विदेशी विशेषज्ञों द्वारा ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : केवल विदेशी विशेषज्ञ ही नहीं, उसमें हमारे विशेषज्ञ भी थे । बाद में इसके कार्यकरण में कुछ दोष दृष्टिगत हुये । जिन क्षेत्रों के लिये यह पद्धति आरम्भ की गई थी उनमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । कुछ तकनीकी समितियों ने इसकी जांच की है । उन्होंने ऐसे कुछ क्षेत्रों का पता लगाया है जहां दोष उत्पन्न हुये थे । कुछ सर्किटों में सुधार किया जाना है तथा कुछ सहायक उपकरणों का डिजाइन बनाया जाना है । इस दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया गया है । वास्तव में इस बात की एक समिति ने जांच की है कि इनमें से कुछ उपकरणों का हमारे यहां की परिस्थिति के अनुकूल किस प्रकार फिर से माडल तैयार किया जाना चाहिये । यह कार्य बंगलौर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जा रहा है ।

जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है कि कई क्षेत्रों में 'अपग्रेडिंग' का कार्य चल रहा है । 50 से 40 प्रतिशत तक कार्य पूरा किया जा चुका है । आशा है अधिकांश कार्य अक्टूबर तक पूरा कर दिया जाएगा तथा सम्पूर्ण कार्य मार्च, 1975 तक पूरा हो जाएगा । प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार यह कार्य आरम्भ होने के पश्चात् इस समय भी कुछ सीमा तक सराहनीय सुधार हुआ है । अत : हमें कुछ प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

श्री विक्रम महाजन : बार-बार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि उनके विभाग ने टेलीफोन बिलों के रूप में उपभोक्ताओं से अधिक राशि वसूल करली है तथा उन्हें कोई राहत नहीं दी गई । लगभग एक वर्ष पूर्व यह प्रश्न किया गया था कि क्या सरकार ने कोई ऐसा मीटर बनाया है जिससे टेलीफोन उपभोक्ताओं को यह ज्ञात हो सके कि उसके टेलीफोन से कितनी कालें हुई हैं । इसका यह उत्तर दिया गया था कि इस प्रणाली के बारे में प्रयोगात्मक कार्य-वाही की जा रही है । यह परीक्षण कहां तक सफल हुए ? क्या कोई ऐसा उपकरण बनाया गया है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इस समय मैं यह नहीं कहा सकता कि इस कार्य के लिए किसी मीटर का उपयोग किया जाता है या नहीं । मैं यह बता सकता हूं कि अधिक राशि के बिल बनाए जाने आदि के बारे में कुछ शिकायतें की गई हैं । इस मामले की जांच की जा रही है । यदि किसी एक महीने में या कुछ महीनों में असाधारण रूप से अधिक राशि के बिल बने

हैं तो यह स्वाभाविक है कि उसके कारणों की जांच की जाए। कारणों का पता लगने पर कुछ राहत दी जानी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बेचारे जिन व्यक्तियों के टेलीफोन इस अद्‌भुत 'क्रास-बार' प्रणाली से संबद्ध हैं न मुझे उनमें से किसी का नम्बर मिलता है और न ही उन्हें मेरा नम्बर मिलता है इस स्थिति में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह समस्या उस उपकरण में दोष के कारण उत्पन्न हुई है जो अमरीका की इन्टरनेशनल टेलीग्राफ एण्ड टेलीफोन कम्पनी से खरीदा गया था तथा इसलिए इसमें सुधार किया जा रहा है। कुछ समय पहले भी उस कम्पनी से अपने खर्च पर कुछ सुधार करने के लिए कहा गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह उपकरण ही दोषपूर्ण है अथवा यह सच है कि 'क्रास-बार' प्रणाली हमारे देश की जल-वायु तथा अन्य परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। वास्तविक समस्या क्या है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : महोदय! 'क्रास-बार' प्रणाली का समस्त विश्व में प्रयोग नहीं किया जाता। किन्तु यहां उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे देश में पेंटेकोस्टा प्रणाली-क्रासबार प्रणाली अपनाई गई है। विश्व के कई देशों में कई प्रकार की 'क्रास-बार' प्रणालियां चल रही हैं। इसी विषय पर हमने बी० टी० एम० कम्पनी के साथ विचार-विमर्श किया है तथा उसने इस 'अपग्रेडेशन' कार्य पर होने वाले खर्च का कुछ भाग वहन करना स्वीकार कर लिया है। वास्तव में उनके साथ एक करार हुआ है। मेरा अनुमान है बी० टी० एम० कम्पनी द्वारा लगभग 122 लाख रुपयों के मूल्य का सामान दिया जा रहा है। उनके साथ आगे चर्चा किए जाने के पश्चात् उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया है कि जनशक्ति पर व्यय के लिए कम्पनी 80 लाख रुपयों की राशि देगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा यह प्रश्न नहीं है। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे इंजीनियरों तथा विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह उपकरण ही दोषपूर्ण था अथवा क्या उनके विचार से पेंटेकोस्टा प्रणाली-क्रास-बार प्रणाली भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है तथा इसी कारण इसको अपग्रेड किया जाना है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जी नहीं। इसके चालू होने के पश्चात् इसका पता लगा। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं जो इस संबंध में अपना कोई मत व्यक्त कर सकूं कि इस प्रकार की प्रणाली अपने आप में अच्छी है या बुरी। अपने अनुभव तथा हमें प्राप्त शिकायतों के आधार पर ही हमने इस मामले की जांच कराई है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत साधारण था। वह यह जानना चाहते थे कि क्या यह उपकरण दोषयुक्त था अथवा यह पूरी प्रणाली ही दोषपूर्ण है।

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी : मैं इस समय यह नहीं बता सकता कि यह प्रणाली ही दोषपूर्ण है। किन्तु हमें प्राप्त अनुभव के आधार पर भारत में इस प्रणाली में यदि किन्हीं दोषों का पता होगा तो उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

श्री राम नारायण शर्मा : क्या इस प्रकार की शिकायतें सभी 'पेंटेकोस्टा' क्रास-बार' एक्सचेंजों से प्राप्त हो रही है अथवा केवल दिल्ली से ही ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इस आशय की शिकायतें कि यह प्रणाली दोषपूर्ण है सभी क्रास-बार एक्सचेंजों से प्राप्त हो रही हैं परन्तु दिल्ली में उनकी संख्या अधिक है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रख-रखाव संबंधी पहलू भी महत्वपूर्ण है।

श्री जगन्नाथ राव : क्या यह सच है कि वर्तमान असंतोषजनक स्थिति का कारण यह है कि क्रासबार प्रणाली के साथ 'स्ट्राडर' प्रणाली को सम्बद्ध रखने में कठिनाई हो रही है?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मेरे विचार से ऐसा नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य श्री महाजन के पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि जब नई क्रास-बार प्रणाली के आधार पर बिल बनाए जाते हैं और, यदि अधिक राशि के बिलों के बारे में कुछ शिकायतें की जाती हैं, तो कई महीनों के बिलों की जांच नहीं की जाती और उस अवधि के लिए औसत निकाल लिया जाता है। यदि बिल की राशि बहुत अधिक है तब कुछ राहत दी जाती है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या किसी विशेष अवधि के लिए असाधारण रूप से बिलों की राशि औसत राशि से भी अधिक होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? ऐसी स्थिति में प्रायः यही उत्तर जाता है कि बिलों की जांच कर ली गई है तथा कोई रियायत नहीं दी जा सकती। क्या ऐसे मामलों की जांच की जाएगी जिससे उन्हें रियायत दी जा सके? इन बातों का मुझे भी अनुभव है।

प्रो० शेर सिंह : यदि हमें इन शिकायतों की जानकारी दी जाए तो हम अवश्य उनकी जांच करेंगे। यदि बिलों की राशि अविश्वसनीय रूप से अधिक हो, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया है, तो हम उसकी जांच करते हैं तथा ऐसी स्थिति में केवल औसत राशि वसूल की जाती है। तथापि इस मामले की जांच की जाएगी।

स्वाधीनता सेनानियों की पेंशन की राशि में वृद्धि करना

*822. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जीवन निर्वाह के खर्च में हुई वृद्धि को देखते हुए स्वाधीनता सेनानियों को दी जा रही पेन्शन की 200 रुपये प्रति मास की राशि में वृद्धि पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को दक्षिण खण्ड स्वाधीनता सेनानियों के इस वर्ष जनवरी में मदुरै में हुए सम्मेलन में पारित उस संकल्प की प्रति प्राप्त हुई है जिसमें सरकार से इस पेन्शन की राशि को बढ़ाकर 500 रुपये प्रति मास करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) भाग (ख) में उल्लिखित संकल्प की एक प्रतिलिपि सरकार को प्राप्त हुई है। सरकार वर्तमान परिस्थितियों में न्यूनतम पेन्शन में सामान्य वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं समझती है। वर्तमान योजना में न्यूनतम 200 रुपये प्रतिमास मे पेन्शन की व्यवस्था है परन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में उससे अधिक पेन्शन की अनुमति दी जा सकती है।

AN HON. MEMBER : Mr. Speaker, Sir, Question No. 821 has not been taken up.

MR. SPEAKER : You are right. It will be taken up after it.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Mr. Speaker, Sir, in accordance with the recommendations of the Third Pay Commission, the Government are paying Rs. 436 to their Upper

Division Clerks, Rs. 353.40 to Lower Division Clerks and Rs. 272.50 to Jamadars and Daftaries, and Rs. 266.90 to Peons, Sweepers and Chaukidars during these days of rising prices. If it is considered justified, what is the justification in not increasing the amount of pensions granted to the freedom fighters for their maintenance that of the members of their families ? May I know whether it is not a case of discrimination against them ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI UMA SHANKAR DIXIT) : Sir, I think it is not fair that the freedom fighters, who did great service and sacrifice for the country, should be compared with the peons and clerks of Government. We are not giving them compensation. The assistance being given to them is nothing but an honorarium.

Besides, Sir, most of them have certain other sources of income. This financial assistance is being given only to those freedom fighters whose income is less than Rs. 5,000. The comparison made by the Hon. Member is not fair.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Sir, the basis of my comparision was different. I consider myself a freedom fighter. To-day we are all equal—whether freedom fighters or common men. Thus, this comparison should not be taken otherwise. The main idea is that if these employees can be paid this much amount, freedom fighters should also be paid increased pensions. Anyhow, I am not satisfied with his reply.

Secondly, the Hon. Minister has stated that they have tried to increase the amount given to some persons. May I know the number of freedom fighters who have been granted more than 200 Rupees as pensions and the reasons and justification therefor ?

With reference to part (b) of this question I want to know whether it is a fact that the amount of pension given to the wife of a deceased freedom fighter having a large family is only Rs. 100 and if so, why this difference ?

SHRI UMA SHANKAR DIXIT : Sir, cases of enhancement are considered on the basis of four conditions. Firstly, the period of time for which a freedom fighter had to remain behind bars, is taken into consideration, or whether he had to bear much suffering of different nature or whether his income from other sources is low or medium or higher. Secondly, how many persons are dependent on him. If the number of his dependents is higher we consider his case. If he is alone or he has only a few members in his family, his case is considered differently.

While granting pension, we take into considerations the health and age of the freedom fighter. That way about 200 to 250 rupees have been granted to 14 persons, 300 rupees to 78 persons, 301 to 350 rupees to 7 persons, and 351 to 400 rupees to 3 persons and 500 rupees to 3 persons only.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : There are hundreds of such people who have suffered 17, 15 and 13 years' imprisonment. They are known to me and we remained in jail together but they have not been granted any pension. It appears that in this matter too, Government is adopting a partisan policy and pension is being granted to those persons who are yes men of Government.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT : This is not correct. If he can cite instances, we will definitely consider them.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : We have told you many a time.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT : Tell me again.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : All right I will write you again.

SWAMI BRAHMANAND : During last twenty-five years, a large number of freedom fighters have died and now whatever is being given to the rest of them is too little. After the death of a freedom fighter, his wife is being granted 100 rupees only and that too in the name of grant ? How is it justified ? Those who fought for the freedom of the country, there is no money for them and those who remained slaves, are now rulers of the country.

I want to know if there is any dearth of money or gold with the Government? I think there is no dearth of money with the Government but there is dearth of wisdom with the Government. Gold worth billions of rupees has been recovered. Today nobody abides by the advice of the freedom-fighters. Top class freedom fighters such as Pandit Sundar Lal and Raja Mahendra Pratap are there, if Government makes use of their wise counsel, billions of rupees can be made available and given to freedom fighters.

MR. SPEAKER: The Hon. Member has not asked anything he is just advising the Minister. This question has been discussed in this House time and again. Now why not to shift over to the next question?

SHRI D. N. TIWARI: It has not been replied why the widows and minor children of freedom fighters are being granted 100 rupees only? Why this partiality? Secondly for the last two months, the pensions are being granted to freedom fighters at a snail's pace. Why is it so? So many years have passed when we got our freedom, but there are thousands of people about whom decision has not been taken so far.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: It was already decided in principle that living freedom fighters will be given such & such amount as pension and their wives will get lesser amount. In view of this principle, the ceiling of 100 to 200 rupees has been imposed and in the same content I have replied the previous questions.

Regarding the second questions of the Hon. Member, I may submit that those whose applications were complete in all respects including documentary proof of their having undergone imprisonment, pension has been granted to them. The applicants whose cases were considered to be incorrect were either informed of rejection or their applications were filed. The remaining cases were referred to the State Governments for furnishing of proofs. We have also asked the State Governments to set up Committees to look into the cases in which no proofs are available. If they are satisfied that, a particular individual deserves pension, he too is granted pension. But a freedom fighter who fails to furnish a proof or fails to set the recommendation of the State Government, cannot be helped in any way.

SHRI D. N. TIWARI: The pension applications which were sent from Bihar were duly recommended by the State Government, but even those have been rejected.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: They should take full responsibility and scrutinise the applications properly.

SHRI D. N. TIWARI: They have fully secrutinise the applications.

श्री समर गुह: क्या यह सत्य है कि कर्नल मिश्र जिन्होंने उस समय नेता जी का जीवन बचाने के लिए अपने जीवन की बलि दे दी थी, जबकि उत्तरी बर्मा में उन्हें ब्रिटिश सेना ने घेर रखा था--की विधवा का पेंशन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र बार-बार अनुरोध करने पर भी नामंजूर कर दिया गया है? जब तक सभी विचाराधीन प्रार्थनापत्रों के बारे में निर्णय नहीं कर लिया जाता तब तक मैं केवल कुछ मामलों के अलावा पेंशन बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पेंशन के लिए कुल कितने प्रार्थनापत्र अनिर्णीत पड़े हैं?

श्री उमा शंकर दीक्षित: जहां तक इनके प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि किन परिस्थितियों में उस बिशिष्ट मामले के बारे में निर्णय लिया गया है। यदि वह मुझे पत्र लिखें, तो मैं निश्चय ही जांच पड़ताल करके उन्हें यह बताऊंगा कि उस मामले की वास्तविक स्थिति क्या है।

श्री समर गुह: ठीक है।

श्री उमा शंकर दीक्षित : जहां तक प्रार्थनापत्रों के निपटाने का सम्बन्ध है, प्राप्त होने वाले 1,98,093 प्रार्थनापत्रों में से 76,651 को मंजूर किया जा चुका है, 28,615 को नामंजूर किया जा चुका है। 14,107 प्रार्थनापत्र फाइल कर दिये गये हैं और 78,720 प्रार्थनापत्रों के बारे में अभी स्पष्टीकरण प्राप्त होने है।

DR. GOVIND DASS RICHHARIYA : May I know if Hon. Minister is aware of the fact that there are a good number of freedom fighters who were awarded more than 6 months' imprisonment but because of Gandhi-Irwin Pact, they were released earlier? May I know if Government is also considering the proposal that those who were released earlier should also get this facility and pension should be granted to them also?

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT : Similar cases of six or seven types of freedom fighters were raised for which we had no clarification. All such cases were referred to the Cabinet for clarification. As soon as we receive the clarification, much of the fog will be clear and we will be in a position to take necessary action in such cases.

श्री नूरूल हुडा : क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में कुछ ऐसी जाली एजेंसियां जीवित या मृत स्वतन्त्रता सेनानियों के जाली हस्ताक्षर बनाने में लगी हुई है और उनके द्वारा पेंशन देने की सिफारिश की जा रही है और सरकार द्वारा पेंशन मंजूर करते समय पत्रों की अपेक्षित छानबीन नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार हमें यह बताएगी कि स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन का अनुचित उपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री उमाशंकर दीक्षित : स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के अपात्र व्यक्तियों को पेंशन देने के सम्बन्ध में अनियमितताओं की कुछ शिकायतें हमारे पास आई हैं। अब तक हमारे पास इस प्रकार की 310 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्यवार शिकायतों के आंकड़ों का एक विवरण है। मैं उसे पढ़ सकता हूं।

सभी शिकायतों की जांच की जा रही है। 124 मामलों में तब तक पेंशन बंद कर दी गई है जब तक राज्य सरकारों से की गई जांच पूरी न हो जाये। 16 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। इस प्रकार की शिकायतों की जांज राज्य सरकारों या केन्द्र शासित क्षेत्रों के साथ विचार करके गुण दोषों के आधार पर की जाती है और प्रत्येक मामले में अपेक्षित आदेश जारी किये जाते हैं।

राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं। शिकायतों के जो मामले प्राप्त हुए : आन्ध्रप्रदेश : 12; बिहार : 29; चण्डीगढ़ : 1; दिल्ली : 49; गोआ : 3; गुजरात : 1; हरियाणा : 10; हिमाचल प्रदेश : 2; जम्मू तथा कश्मीर : 1; कर्नाटक : 4; केरल : 7; मध्य प्रदेश : 7; महाराष्ट्र : 10; उड़ीसा : 25; पंजाब : 36; राजस्थान : 4; तमिल नाडु : 24; उत्तर प्रदेश : 64 और पश्चिम बंगाल : 21। कुल : 310।

विदेशी फर्मों को मिश्र उत्पाद की अनुमति देने से विदेशी मुद्रा की बचत

*821. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री उपक्रमों को **मिश्र उत्पाद** के लिए अनुमति के बारे में 27 फरवरी, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 107 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजीवाले विदेशी फर्मों को मिश्र उत्पाद

की अनुमति देने से चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई; और

(ख) क्या विभिन्न व्यापार चिह्नों, बड़ी मात्रा में औषध निर्माण, फार्मूलेशनों, मिश्र उत्पाद पत्रों, लाइसेंसिंग समिति के निर्णय तथा विदेशी मुद्रा की बचत का आपस में बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) चूंकि इस विषय में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है अतः अपेक्षित जानकारी का संकलन करना संभव नहीं है। फिर भी, सरकार द्वारा समय-समय पर अपनायी गई उदार नीति के फलस्वरूप बड़ी मात्रा में औषध निर्माण तथा फार-मुलेशनों का उत्पादन बढ़ा है इससे आयात के बिलों की रकम में कमी तथा विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

श्री भालजी भाई परमार : मैं यह जानना चाहता हूं कि उद्योग (विकास तथा विनि-यमन) अधिनियम 1951 के किन उपबन्धों के अन्तर्गत मिश्र-उत्पाद/अनापत्ति पत्र दिये गये और यह अधिनियम की किन धाराओं के अन्तर्गत आता है? क्या इन मिश्र-उत्पाद पत्रों के बारे में कोई अधिसूचना जारी की गई थी? यदि नहीं, तो, इन पत्रों का कानूनी औचित्य क्या है? क्या मंत्री महोदय इस बात का ब्यौरा देंगे कि मदवार तथा फर्मवार कितने मिश्र उत्पाद पत्र जारी किये गये और जारी पत्रों, उनकी क्षमता तथा अन्य सम्बद्ध उपादान क्या थे? गैर-कानूनी ढंग से जारी किये गये इन उत्पाद-पत्रों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ढंग से कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई?

मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम तथा लाइसेंस समिति में से सर्वोच्च कौन है? यदि अधिनियम सर्वोच्च है और यह पत्र अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत नहीं आते हैं, तो वह गैर-कानूनी है और इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए तथा पत्र वापिस लिए जाने चाहिए।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इस प्रश्न का सम्बन्ध पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय से है। अब तक इसके बारे में 50 से भी अधिक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसीलिए अब पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय द्वारा श्री हाथी की अध्यक्षता में इस कार्य के लिए एक समिति का गठन किया गया है। श्री हाथी इस विषय के विशेषज्ञ हैं और श्री चावड़ा भी इस समिति के सदस्य हैं। अब इस सम्पूर्ण मामले की जांच की जा रही है। मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वह समिति के निष्कर्षों के उपलब्ध होने तक प्रतीक्षा करें।

श्री भालजी भाई परमार : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या यह सत्य है कि प्रत्येक मिश्र-उत्पाद पत्र पर ट्रेड मार्क अधिनियम के अन्तर्गत एक विशिष्ट ट्रेड-मार्क लगा होता है और इसके आधार पर यह नया उत्पाद (न्यू आर्टिकल) कहलाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन मिश्र उत्पाद पत्रों पर बार-बार विदेशी-मुद्रा खर्च करनी पड़ती है जिसमें कि प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती जा रही है क्योंकि उसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

क्या सरकार जारी किए गए सभी मिश्र उत्पाद पत्रों को उसी प्रकार वापिस ले लेगी जैसे कि वह जारी किए गए थे? क्या मंत्री महोदय इन पत्रों को विधि मंत्रालय को सौंपने के लिए तैयार हैं, ताकि उनके कानूनी औचित्य को आंका जा सके या उनकी वास्तविक स्थिति आंकने के लिए उसे सी० बी० आई० को भेजा जायेगा; यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इस मामले में सी० बी० आई० की जांच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि इसकी वैधता की ही जांच करवानी हो तो वह तो विधि मंत्रालय द्वारा ही करवाई जा सकती है कि इस में कोई अवैधता तो नहीं है। परन्तु अब इन सभी पहलुओं पर समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। हमें देखना यह है कि इसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं।

चंडीगढ़, फाजिल्का और अबोहर सम्बन्धी पंचाट को क्रियान्वित करने के लिए सीमा आयोग की नियुक्ति

***823. श्री भान सिंह भौरा**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह चण्डीगढ़, फाजिल्का और अबोहर के बारे में अपने पंचाट को क्रियान्वित करने के लिए सीमा आयोग स्थापित करे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवादों के बारे में 29 जनवरी, 1970 को केन्द्र सरकार द्वारा की गई घोषणा से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श हो रहा है।

SHRI B. S. BHAURA : It is an issue creating tension between Punjab and Haryana. There are frequent statements, sometime by Akali party and sometime by the Chief Minister. It is stated by the Chief Minister of Punjab that he will not allow the transfer of Fazilka and Ahohar. It was stated by the Prime Minister that 'she will give her decisions when both the Chief Minister will agree. The decision has to be taken by 1975. They are not agreeing. In that case may I know why a Boundary Commission consisting of linquistic experts is not being set up by Central Government?

SHRI UMA SHANKER DIKSHIT : As far as my knowledge goes, the Chief Minister of Punjab has not stated that he will not accept the decision. He has not expressed any opinion about Fazilka and Abohar as quoted by you. We want to decide this issue as early as possible by informal and formal discussions. We are not interested in just biding the time. We are seriously considering the proposal to appoint a Boundary Commission and we would like to take a final decision as early as possible.

SHRI B. S. BHAURA : On 15th April, Shri Mirdha had stated at Chandigarh that decision on Chandigarh is to be implemented by 1975. The Hon. Minister had stated in Lok Sabha "for transfer of Abohar and Fazilka to Haryana, no time limit has been set." So one says that it will be implemented by 1975 and the other says that no time limit has been set. May I know whether you want to implement it or want the present position to continue *i.e.* Chandigarh as Union Territory and Abohar and Fazilka as they are? May I know whether you want to take any decision by 1975?

SHRI UMA SHANKER DIKSHIT : We do not want to continue with the present position for a long time.

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : सर्वप्रथम तो मुझे प्रश्न में प्रयोग किये गये 'एवार्ड' शब्द पर ही आपत्ति है। यह एक 'एवार्ड' नहीं अपितु सरकारी फैसला था। श्रीमान्, देश की वर्तमान राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें सीमा आयोग की नियुक्ति करने से पूर्व, सीमा विवाद से सम्बद्ध सभी पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। दूसरे मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह पंजाब सरकार के दृष्टिकोण पर भी विचार करेंगे और आयोग का गठन किसी दबाव के नीचे आकर जल्दबाजी में नहीं करेंगे।

श्री उमाशंकर दीक्षित : प्रथम तो उन्होंने एक सुझाव दिया है जिस पर अमल हो सकता है। दूसरे, हम निश्चय ही उन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे जो इस मामले से सम्बद्ध होंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : प्रधान मंत्री के फैसले के अनुसार अगले वर्ष चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया जायेगा। हरियाणा को नई राजधानी का निर्माण करने के लिए जिस 20 करोड़ रुपये की धनराशि का आश्वासन केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया था, वह अभी तक हरियाणा सरकार को नहीं दी गई है अतः मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि जब तक हरियाणा सरकार द्वारा नयी राजधानी के निर्माण के लिए कदम नहीं उठा लिये जायेंगे तब तक चण्डीगढ़ पंजाब को नहीं दिया जायेगा ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : नयी राजधानी का निर्माण करने के लिए स्थान का चयन तथा अन्य प्रारम्भिक कार्यों से सम्बद्ध मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श किया गया था। स्थान के चयन के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही फैसले के अनुसार अपेक्षित धनराशि जुटाने के लिए कोई अनुरोध ही हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। परन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि निर्णय पर इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा अवधि

810. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए वर्तमान 30 मास की प्रतीक्षाअवधि को घटा कर आधी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक कर लिया जायेगा, और

(ग) दस वर्ष से अधिक समय से जिन लोगों के आवेदन विचाराधीन हैं, उन्हें कब तक टेलीफोन दे दिए जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) और (ख) योजना आयोग को भेजे गए दूर संचार के 5वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में (ईशू 2, दिसम्बर, 1972) ऐसा प्रस्ताव रखा गया

है जिससे टेलीफोन कनेक्शनों के लिए औसत प्रतीक्षा-अवधि 2.5 वर्ष से कम हो कर 1.3 वर्ष रह जाए। लगभग वर्ष 1982-83 तक प्रतीक्षा-अवधि समाप्त करने की भी योजना बनाई गई है।

(ग) कोई निश्चित तारीख बता पाना सम्भव नहीं है क्योंकि इन इलाकों में कनेक्शन देने के लिए मौजूदा टेलीफोन जाल या क्षमता का विस्तार करना होगा।

पश्चिम बंगाल में आक्सीजन और डिज़ोल्व्ड एसिटीलीन कारखानों की स्थापना करना

*811. **श्री हाजी लुतफल हक:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री पश्चिम बंगाल में औद्योगिक गैसों की कमी के बारे में 20 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 3035 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में आक्सीजन और डिजोल्व्ड गैसों के कारखानों को स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं, कारखानों को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा और इन की क्षमता कितनी होगी और उक्त कारखाने कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : पश्चिम बंगाल में आक्सीजन और डिजोल्व्ड एसिटीलीन गैस बनाने के लिए स्थापित कारखानों के अतिरिक्त इन गैसों का उत्पादन करने के लिए दो और प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

इन दोनों प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार है:

क्रम सं०	फर्म का नाम	स्थापना स्थल	स्वीकृत वार्षिक क्षमता (दस लाख घन मी०)		कार्यान्वयन की अवस्था पूंजीगत माल इत्यादि की स्थिति
1.	श्री दिलीप कुमार जाजौदिया, कलकत्ता।	बताया नहीं गया है।	0.90	0.20	फर्म ने आक्सीजन संयंत्र के लिए क्रयादेश नहीं दिया है। अतः परियोजना का क्रियान्वयन करने की अवधि बताना कठिन है।
2.	श्री राम रूप शर्मा, कलकत्ता।	हावड़ा	0.70	—	फर्म को आक्सीजन संयंत्र अगस्त 1975 तक मिलने की आशा है। परियोजना को अगले वर्ष के अन्त तक क्रियान्वित करने का अनुमान है।

सरकारी कर्मचारियों के कल्याण संघों को सहायता अनुदान

*813. **श्री पी० वेंकटासुब्बैया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के कल्याण संघों को कल्याण कार्यों के लिए सहायता अनुदान दिए जाते हैं;

(ख) ऐसे संघों की संख्या कितनी है और इन्हें गत तीन वर्षों में सहायता अनुदान के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) क्या यह सहायता अनुदान सामान्यत: वर्ष के अन्त में दिये जाते हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कल्याण कार्य करने हेतु अनुदान वर्ष के आरम्भ में दिये जाएं क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जिन संघों को सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है, उनकी संख्या तथा उन्हें दी गई कुल धनराशि के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	संघों की संख्या	कुल धनराशि
1971-72 . . .	85	रु० 96,745.93
1972-73 . . .	92	रु० 78,179.55
1973-74	85	रु० 1,06,547.40

(ग) जी नहीं श्रीमान्। यह देखने के लिए कि सहायता अनुदान, अनुदान-ग्राही की वित्तीय स्थिति को देखते हुए न्यायोचित है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिछला अनुदान उसी प्रयोजन के लिए व्यय किया गया था, जिसके लिए उसकी आवश्यकता थी, संघों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अगला आनुदान मंजूर किये जाने के पूर्व पिछले वर्ष में दिए गए अनुदान के लेखे का लेखा-परीक्षित विवरण प्रस्तुत करना जाहिए। अधिकांश कल्याण संघ निर्धारित तारीख अर्थात् 30 जून तक पिछले वर्ष के लेखे प्रस्तुत कर देते हैं, और उन्हें वित्तीय वर्ष के मध्य तक अनुदान मंजूर कर दिए जाते हैं। केवल उन्हीं संघों के मामले में सहायता अनुदान की मंजूरी में देरी हो जाती है, जो निर्धारित समय का पालन नहीं करते और लेखे देरी से प्रस्तुत करते हैं, अथवा लेखों के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों के अनुसार कार्रवाई करने में अनुचित रूप से अधिक समय ले लेते हैं । ऐसे संघों के मामले में, जिनके बारे में यह समझा जाता है कि वे कुशलता से कार्य कर रहे हैं और अनुदान का भी उचित प्रयोग कर रहे हैं, यदि उन्हें अप्रैल-जून की अवधि के दौरान उपयोग के लिए ऐसे अनुदान की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें पिछले वर्ष दी गई धनराशि के 25 प्रतिशत तक अग्रिम सहायता अनुदान दिया जाता है।

स्वर्गीय डा० सत्यन बोस के जीवन पर वृत्त-चित्र

*814. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सुविख्यात वैज्ञानिक स्वर्गीय डा० सत्येन बोस के जीवन पर वृत्त-चित्र बनाने के लिए कहीं से कोई पेशकश अथवा अनुरोध उनके मंत्रालय को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय द्वारा ऐसा वृत्त-चित्र बनाया जा सकता है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) : सूचना और प्रसारण मंत्रालय को स्वर्गीय डा० सत्येन बोस पर एक डाकुमेन्ट्री फिल्म बनाने का सुझाव दिया गया था। मन्त्रालय ने यह सुझाव मान लिया है ।

कन्ननूर जिले में पान्नूर और पथायाकन्नू उपडाकघरों में डाक प्राप्त करने और बांटने में विलम्ब

*816. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कन्ननूर जिले में पान्ननूर और पथायाकुन्नु उपडाकघरों में डाक प्राप्त करने और बांटने में भारी विलम्ब होता है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी हां, कुछ विलम्ब जरूर होता है।

(ख) तेलीचेरी से जो सीधी डाक बस इन डाकघरों के लिए जाती थी, वह बस अब नहीं चलती। इसलिए, इस समय डाक एक चक्करदार मार्ग से भजी जा रही है। विलम्ब का यही कारण है।

(ग) जी हां, कुछ शिकायतें आई हैं।

(घ) इस बारे में नीचे लिखे कदम उठाए गए हैं;

(i) तेलीचेरी-पान्नूर सीधे मार्गों पर एक बस की व्यवस्था करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से कहा गया है।

(ii) कुट्टापरम्बा के रास्ते डाक ढोने के लिए नवम्बर, 1973 से दो साइकिल हरकारे लगाए गए हैं।

मिलावट वाले सीमेन्ट की चोरी छिपे बिक्री

* 818. **श्री एन० शिवप्पा**
श्री भोगेन्द्र झा } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 28 मार्च, 1974 के दिल्ली के समाचारपत्र में "मड बोइंग सोल्ड एज सीमेन्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय उपभोक्ता परिषद का भी यही विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) और (ग) उपभोक्ता परिषद ने केवल बड़े शहरों में बड़ी मात्रा में सीमेन्ट में होने वाली मिलावट के सिद्धान्तहीन और तत्वों द्वारा की जाने वाली बिक्री के विषय में प्राप्त शिकायतों के वारे में सूचित किया था तथा इसकी जांच कराने का निवेदन किया था। यह शिकायत कोई विशेष न होकर सामान्य रूप में है। जब तक निश्चित मामले सरकार की जानकारी में नहीं लाए जाते तब तक जांच कर सकना मुश्किल है।

मिलावटी सीमेंट बेचना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किए गए सीमेंट (किस्म नियन्त्रण) आदेश, 1962 का उल्लंघन करना है। यह एक संज्ञेय अपराध है और इसका उल्लंघन करने वारे व्यक्ति पर अपराध के सम्बन्ध लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 में निर्दिष्ट परिभाषा के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी से भारतीय दंड संहिता अपराधी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी अदालत में अभियोग चलाया जा सकता है। सामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को शक्ति दे दी गई है।

पांचवीं योजना में समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए धनराशी का आवंटन

*824. **डा० सरदीश राय :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना में समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए आबंटित धनराशि में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 1 फरवरी, 1974 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन में पांचवीं योजना में इस कटौती के विरुद्ध विचार व्यक्त किए गए; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवीं योजना में समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए जो अस्थायी आवंटन किया गया है, फिलहाल उसे कम करने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 1 फरवरी, 1974 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के अलावा इसका भी अनुरोध किया कि पांचवीं योजना में समाज कल्याण क्षेत्र के लिए जो आवंटन किया जा चुका है उसमें किसी प्रकार की कमी न आने दी जाये क्योंकि यह क्षेत्र मुख्यतः समाज के कमजोर तथा विपन्न वर्गों के लिए है । पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा।

रेडियो और टी० वी० लाइसेंस फीस और बिना लाइसेंस वाले सैट

*825. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1973 में राज्यवार, रेडियो और टी० वी० सेटों की लाइसेंस फीस के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई; और

(ख) उक्त अवधि में राज्यवार, कितने रेडियो और टी० वी० सैट बिना लाइसेंसों के चलते हुए पाए गए?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6812/74।]

हरियाणा की नई राजधानी का निर्माण

* 826. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा को नई राजधानी के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार ने 20 करोड़ रुपये दे दिए हैं;

(ख) क्या हरियाणा सरकार ने अपनी नई राजधानी के लिए स्थान का चुनाव करने के सम्बन्ध में उठाए गए कदमों की सूचना केन्द्रीय सरकार को दे दी है; और

(ग) क्या हरियाणा सरकार ने पंचाट के बाद से अब तक निर्माण लागत में हुई तीव्र वृद्धि को देखते हुए 20 करोड़ की इस राशि में वृद्धि करने के लिए कहा है और यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्।

फिल्मों का आयात

*827. **श्री शशि भूषण :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री फिल्मों के आयात के बारे में 14 नम्वर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 536 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच इस बारे में ब्यौरा तैयार किया गया है कि कितनी फिल्मों का आयात किया जायेगा और किन-किन देशों से; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) : चालू आयात नीति की मुख्य विशेषता है—फिल्म वित्त निगम, जिसको कैनेलाइजिंग एजेन्सी घोषित किया गया है, के माध्यम से विश्व के हर भाग से अच्छे स्तर तथा व्यापारिक लाभ पर जोर देते हुए आयात/देशानुसार कोई कोटा नहीं है।

"मिजो विद्रोहियों और रजाकारों का चीनियों द्वारा प्रशिक्षित विद्रोही नागाओं के साथ मिल जाना" शीर्षक समाचार

*828. **श्री निहार लास्कर**
श्री विभूति मिश्र } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान एक स्थानीय दैनिक समाचारपत्र के दिनांक 30 मार्च, 1974 के अंक में "मिजो विद्रोहियों और रजाकारों का चीनियों द्वारा प्रशिक्षित विद्रोही नागाओं के साथ मिल जाना" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सम्पूर्ण पूर्वोत्तर प्रदेश की सुरक्षा को अत्यधिक खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ग) इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) और (ख) सरकार ने उक्त रिपोर्ट देखी है। परन्तु इस बात की निश्चित रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि मिजो विद्रोही तथा रजाकार चीन में प्रशिक्षित नागा विद्रोहियों के साथ मिल गये हैं जिससे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नया खतरा पैदा हो गया है।

(ग) भारत सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी विद्रोह से कारगर ढंग से निपटने के लिए वर्मा तथा बंगलादेश की सरकारों के साथ सहयोग के सभी मार्गों का उपयोग करती है। मणिपुर व नागालैण्ड सरकारें तथा मिजोराम प्रशासन और सुरक्षाबल इस मामले में कड़ी सतर्कता बरत रहे हैं।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा जूनियर और सीनियर फैलों को दी गई फैलोशिप

*829. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् जूनियर और सीनियर रिसर्च फैलों को प्रति माह कितनी फैलोशिप दे रही है;

(ख) फैलोशिप में कब से वृद्धि नहीं की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार फैलोशिप में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् 300 रुपये प्रति माह की कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति और 400 रुपये प्रतिमाह की वरिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति और 500 रुपये प्रतिमाह (पोस्ट डोक्टोरल अनुसंधान कर्ताओं के लिए) प्रदान करती है।

(ख) सितम्बर 1966 से।

(ग) सी० एस० आई० आर०, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले अभिकरणों द्वारा संयुक्त रूप से इस मामले की जांच की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

INDIAN ENGINEERS IN BRITAIN

7903. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state whether Government propose to collect information through the Indian Embassy in Britain in regard to the number of Indian Engineers in Britain at present?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM) : The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) maintains an Indian Abroad Section of the National Register for registration of

Indian Scientists, Engineers, Technologists, Medical Personnel etc. in overseas countries (including U.K.). Forms for registration are available with Indian Missions Abroad. Registration is voluntary.

1,303 Indian Engineers in U.K. were on the Register as on 1-1-1974.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के नियमों में संशोधन

7904. **श्री अम्बेश :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) भारत सरकार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में सुधार के तौर पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां नियमों के संशोधन पर इस समय विचार कर रही है।

पांचवीं योजना में टेलीविजन का विस्तार

7905. **श्री के० मालन्ना :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में टेलीविजन के विस्तार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : चौथी पंचवर्षीय योजना की चालू योजनाओं की पूर्ति के परिणामस्वरूप पांचवीं योजना के दौरान मद्रास, लखनऊ (कानपुर के निकट रिले केन्द्र सहित), कलकत्ता (मिदनापुर तथा आसनसोल के निकट रिले केन्द्रो सहित), जालन्धर (कसौली में रिले केन्द्र सहित) में टेलीविजन केन्द्र तथा मसूरी में एक रिले केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त, उन क्षेत्रों, जो उपग्रह संचार टेलीविजन प्रयोग द्वारा कवर किए जायेंगे, में सेवा जारी रखने के लिए पांचवीं योजना की नई योजनाओं के भाग के रूप में पटना, कटक और हैदराबाद में तीन और केन्द्र तथा इनसे सम्बद्ध अनेक रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है।

PAK NATIONALS HOLDING PAKISTANI PASSPORTS IN U.P.

7906. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the present number of Pakistani nationals, holding Pakistani Passports in Uttar Pradesh, districtwise; and

(b) The number among them of those whose period of visas was extended during the last six months ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) & (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

APPOINTMENT OF CONTROLLER IN SICK TEXTILE MILLS, GUJARAT

7907. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) the number and names of the sick textile mills in Gujarat at present where Government have appointed controllers; and

(b) the statement of the loss and profit of these mills for the year 1973-74?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. B. RANA): (a) and (b) A statement is attached. [Placed in Library, See No. L.T. 6813/74]

TELEPHONE ADVISORY BOARDS FOR INDORE DIVISION

7908. SHRI G. C. DIXIT: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:—

(a) whether Telephone Advisory Boards have been constituted for the districts of Indore Division in Madhya Pradesh and if so, when they were constituted last time and the names of the present members of the Boards;

(b) whether he is aware of a large number of complaints in regard to the working of telephone system in Indore Division; and

(c) whether the said Boards are proposed to be reconstituted and if so, when and the special measures taken to remove complaints of telephone subscribers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (PROF. SHER SINGH: (a) to (c) Yes. A Telephone Advisory Committee has been set up at Indore. It was constituted in November, 1972 and is likely to be re-constituted in November, 1974 after expiry of its present term. A list showing the names of the members of the Committee is attached.

The working of the Indore Telephone system has shown improvement as compared to the last year. The complaints have registered a decrease by 12% and faults by 5%.

Special measures are being taken to minimise complaints and faults. Some of these are permanent fittings of distribution points, proper wiring upto the subscribers' premises, special up keep of indoor and outdoor plant etc.

STATEMENT

Telephone Advisory Committee—Indore

Term will expire on 31-10-74

Interests Represented *Names*

1. State Government—Collector, Indore.
2. M.L.A.—Shri Radha Kishan Malviya.
3. M.P.—Shri Phool Chand Verma.
4. Trade & Commerce—Shri Kailash Agarwal.
5. Press—Shri Rahul Barpute.
6. Medical Profession—Dr. R. G. Gaur.
7. Unrepresented interests—Shri Mahendra Bhatnagar.

IMPLEMENTATION OF DISTRICT PLANS IN MADHYA PRADESH

7909. SHRI G. C. DIXIT: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the progress made in regard to the implementation of district plans in Madhya Pradesh;

(b) whether non-officials are proposed to be associated with the district-based plans;

(c) whether funds for the implementation of these plans in Madhya Pradesh are provided by the Planning Commission; and

(d) if so, the amount thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA): (a) & (b) According to the Draft Fifth Five Year Plan of Madhya Pradesh, District Planning Cells have been established in all the districts to assist in the proper co-ordination and periodic assessment of the progress of projects at the district level. District Planning Committees comprising of the Members of Parliament elected from the District, Members of Legislative Assembly, Chairman of the Janpath Panchayats, Chairman of the Municipal Committees and the Cooperative Bank have also been established for helping and assisting the district administration in the planning and development processes.

(c) The Central assistance to States is released in the form of Block grants and Block loans and not for any specific programmes or areas. It is for the State Government to provide adequate funds for the implementation of District Plans from within the Plan provisions.

(d) Does not arise.

भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा में बैठने के लिए रिलीज्ड शार्ट सर्विस कमीशन तथा एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरो के मामले में आयु सम्बन्धी रियायत को वापस लेना

7910. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा में बैठने के लिए रिलीज्ड शार्ट सर्विस कमीशन तथा एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों की आयु सम्बन्धी रियायत इस बीच वापस ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को नौकरी देने की सरकार की नीति पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) रिलीज्ड एमरजेंसी कमीशन अधिकारी तथा शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारी, रिलीज्ड एमरजेंसी कमीशन अधिकारी (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज) नियम, 1971 की शर्तों के अधीन आई० ए० एस० आदि परीक्षाओं में बैठने के लिए आयु में छूट प्रदान करने के हकदार थे। ये नियम 27 जनवरी, 1974 तक लागू थे। ये नियम तदनुसार, समाप्त हो गए हैं, इन्हें वापस नहीं लिया गया है। फिर भी ये रियायतें, एमरजेंसी कमीशन तथा शार्ट सर्विस कमीशन के ऐसे अधिकारियों के लाभ के लिए थी, जो कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में शामिल हुए थे या जिन्हें 10 जनवरी, 1968 (वह तारीख जिस दिन पिछली एमरजेन्सी समाप्त कर दी गई थी) से पूर्व कमीशन प्रदान किया गया था, ताकि उन्हें उपयुक्त सिविल नियुक्तियां प्राप्त करने के उन अवसरों की क्षतिपूर्ति की जा सके, जिन्हें उन्होंने पिछली एमरजेंसी के दौरान सेना में स्वेच्छा से शामिल होकर खो दिया था। चूंकि एमरजेसी कमीशन्ड तथा शार्ट सर्विस कमीशन्ड के ऐसे अधिकारी, जो कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में शामिल हुए थे या जिन्हें 10 जनवरी, 1968 के पूर्व कमीशन दिया गया था, उस अवधि के दौरान जिसमें उक्त नियम लागू थे, भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षाओं में बैठने के लिए उपलब्ध अवसरों का पहले ही उपभोग कर चुके हैं, इसीलिए उक्त नियमों के 28 जनवरी, 1974 से समाप्त होने से संबंधित भूतपूर्व-सैनिक कर्मचारियों का संविलियन करने की सरकार की नीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

करौल बाग एक्सचेंज, दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

7911. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करौल बाग एक्सचेंज में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र प्रतीक्षा सूची में हैं, ये कब से प्रतीक्षा सूची में हैं तथा उनकी स्थापना में लगभग कितना समय लगेगा, और

(ख) संसद् सदस्यों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने इनमें से लम्बित कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को खोलने की सिफारिश की थी कि इनको (टाप प्राइरिटी) आधार पर खोला जाए तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र संख्या के बी०/पी० सी० ओ०/145 के बारे में स्थिति क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) '56' और '58' करोल बाग एक्सचेन्जों में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की 773 मांगें अनिर्णीत पड़ी हैं। सबसे पुरानी मांग 1-1-1971 की है। एक्सचेंज क्षमता की कमी के कारण फिलहाल ये मांगें पूरी नहीं की जा सकतीं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली के विभिन्न एक्सचेजों में जिनमें करोल बाग एक्सचेंज का इलाका भी शामिल है 65,000 लाइनें और जोड़ी जा रही हैं। क्षमता उपलब्ध हो जाने पर ये मांगें धीरे-धीरे पूरी कर दी जाएंगी। अलबत्ता सभी सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का औचित्य भी सिद्ध नहीं होता। बकाया पड़ी अर्जियों की छान-बीन की जा रही है और जिन मामलों में औचित्य सिद्ध होता है और यह सुविधा देना व्यवहार्य है, उनमें उत्तरोत्तर सार्वजनिक टेलीफोनघर खोल दिए जाएंगे।

(ख) संसद् सदस्यों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त तेरह मामलों की भी जांच-पड़ताल की जा रही है। एक सामान्य प्रकार के सार्वजनिक टेलीफोन-घर (बिना सिक्का बक्स के) के लिए आई अर्जी, जो क्रम संख्या के बी०/पी० सी० ओ०/145 पर दर्ज थी, मंजूर कर ली गई थी और आवेदक के नाम तारीख 3-2-1973 का एक पत्र रजिस्ट्री डाक से भेज दिया गया था और उसके साथ संलग्न करार नामें का एक निर्धारित फार्म भी भर कर लौटाने के लिए प्रेषित किया गया था। चूंकि इस पत्र का कोई उत्तर नहीं आया था इसलिए रजिस्ट्री डाक से दो स्मरण पत्र भी भेजे गए थे। इन पत्रों को लेने से इन्कार कर दिया गया था। इसके बाद, यह मामला खत्म कर दिया गया था।

गया में सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था

7912. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गया (बिहार) में सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की व्यवस्था करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) गया में एक आटोमेटिक एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) सरकार उपयुक्त जमीन प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रही है। यदि समय से जमीन मिल गई तो आशा है कि गया का आटोमेटिक एक्सचेंज वर्ष 1972-80 तक बन कर तैयार हो जाएगा।

दिल्ली में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि को वसूली

7913. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में दिसम्बर, 1973 से अब तक अदा न की गई टेलीफोन बिलों की बकाया राशि की वसूली में कुछ राहत दी है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 के लिए कुल कितनी बकाया राशि वसूल की जानी है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) राजस्व स्थिति इस प्रकार है :—

(i)	अप्रैल-दिसम्बर, 73 के दौरान भेजे गए बिलों की रकम .	1699.67 लाख रुपए
(ii)	ऊपर (i) में दिखाई गई रकम में से दिसम्बर 73 तक वसूल की गई रकम	1545.06 लाख रुपए
(iii)	31-12-73 को वसूल की जाने वाली बकाया रकम (इसमें पिछली अवधि के बिल भी शामिल हैं) .	143.97 लाख रुपए

(ग) (1) चूंकि टेलीफोन सेवा के बिल सेवा प्राप्त कर लिए जाने के बाद जारी किए जाते हैं, इसलिए कुछ बिल हमेशा बकाया पड़े रहते हैं। इनकी वसूली करने का कार्य एक लगातार प्रक्रिया है और डाक-तार विभाग इस मासले को प्रमुख महत्व देता है।

(2) बकाया बिलों की वसूली की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है :—

शुरू में टेलीफोन पर याद दिहानी कराई जाती है। इस प्रक्रिया की जगह रजिस्ट्री से स्मरण पत्र जारी करने को एक वैकल्पिक सुविधा अभी हाल ही में चालू की गई है। अगर याद दिलाने पर भी बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है तो टेलीफोन काट दिए जाते हैं। टेलीफोन कटने के बाद बकाया बिलों को वसूली के लिए व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किए जाते हैं या मांग पत्र भेजे जाते हैं। यदि ये कदम भी बेकार साबित होते हैं तो प्राईवेट उपभोक्ताओं के मामले में रकम वसूली की संभावनाएं देख कर अन्त में कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार, देनदार उपभोक्ताओं से पुरानी बकाया रकमों को वसूली के लिए डाक-तार विभाग एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य करता है।

(3) सरकारी विभागों से बकाया बिलों को शीघ्र वसूली के लिए सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों को लिखा गया है कि वे अपने अधिकारियों की बिलों का शीघ्र निपटारा करने के बारे में हिदायतें जारी करें और एक संपर्क अधिकारी भी नामित करें, जिसके साथ डाक-तार विभाग के अधिकारी बकाया बिलों को शीघ्र अदायगी के सम्बन्ध में लिखा पढ़ी कर सकें।

(4) जिन उपभोक्ताओं के नाम 31-3-73 तक के बिल बकाया पड़े हैं उन सभी उपभोक्ताओं को हाल ही में एक विशेष स्मरण पत्र जारी किया गया है।

(5) इस सामान्य प्रक्रिया के अलावा पुराने बकाया बिलों को वसूली के लिए समय-समय पर गहन और विशेष पुनरीक्षण कार्य भी किए जाते हैं।

मिश्र उत्पाद

7914. श्री भालजी भाई परमार : क्या औद्योगिक विकास मंत्री उपक्रमों को मिश्र-उत्पाद (प्रोडक्ट मिक्स) के लिए अनुमति के बारे में 27 फरवरी, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 107 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत मिश्र उत्पाद की अनुमति देने के लिए संशोधन करने पर सरकार इस मामले को विधि मंत्रालय को सौंपेगी तथा क्या लाइसेंस समिति को इस मामले में आम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 29ख, उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने उत्पाद मिश्र के बारे में उपक्रमों को उत्पादन में आवश्यक सुविधाएं देने हेतु तथा अधिकतम उत्पादन करने के लिए कतिपय शर्तों के अधीन समय समय पर अनुदेश जारी किए थे। जैसा कि 27 फरवरी, 1974 के तारांकित प्रश्न सं० 107 के उत्तर में कहा गया था। औद्योगिक उपक्रमों द्वारा विविधता लाने विषयक सरकार की वर्तमान नीति 16 फरवरी, 1973 की अधिसूचना संख्या एस० सी० 98 (ड०)/आई० डी० आर० ए०/29ख/73/1 जो विधि मंत्रालय के परामर्श से जारी की गई थी, में दी गई है।

अधिक संख्या में रोजगार प्रधान उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य इलेक्ट्रोनिक निगमों को प्रोत्साहन

7915. श्री वयालार रवि : क्या इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार और अधिक संख्या में रोजगार प्रधान उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य इलैक्ट्रोनिक निगमों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और कितनी राशि की सहायता दी जायेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) इलैक्ट्रोनिक्स विभाग लघु तथा मध्यम क्षेत्रों में इलैक्ट्रोनिक यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दे रहा है, ताकि तकनीकी उद्यमकर्ताओं के लिए विशेष रुप से रोजगार की व्यवस्था की जा सके। कुछ राज्यों ने जैसा कि केरला पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में राज्य सरकारों ने अलग इलैक्ट्रोनिक निगमें भी स्थापित की हैं और ये निगमें लघु और मध्यम यूनिट स्थापित करने के कार्य को प्रोत्साहित कर रही हैं, इन यूनिटों की ये विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करतीं हैं। जहां कहीं भी संभव है, कर्यात्मक इलैक्ट्रोनिक इस्टेटों को भी स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ताकि उद्यमकर्ताओं को यूनिट परिचालन के लिए विकसित भूमि और काम करने के लिए तैयार स्थान उपलब्ध हो सकें। विभाग इस प्रकार की इस्टेटों पर प्रत्येक राज्य सरकार को परीक्षण (टेस्टिंग) और विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये के अनुदान की व्यवस्था कर रहा है, ताकि यह निश्चय किया जा सके कि इन यूनिटों द्वारा तैयार किया हुआ इलैक्ट्रोनिक उत्पादन बहुत अच्छे दर्जे का है और उत्पादन में सुधार लाने

के लिए लगातार विकास सम्बन्धी कार्य चलता रहे और नई वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। आशा है कि पांचवीं योजना की अवधि के दौरान संगठित तथा लघु सैक्टरों में इलैक्ट्रोनिक यूनिटों के द्वारा 3.6 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर बनाए जा सकेंगे।

लघु उद्योगों के संगठन के महासंघ द्वारा दिल्ली में एक प्रदर्शनी की आयोजना

7916. **श्री मनीराम गोदरा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के संगठन के महासंघ ने हाल ही में दिल्ली में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था;

(ख) इस प्रदर्शनी के आयोजन के लिए सरकार ने कितना अनुदान दिया था ;

(ग) क्या सरकार ने तत्सम्बन्धी लेखों की जांच की थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) भारतीय लघु उद्योग संगठनों के संघ ने मार्च/अप्रैल, 1971 में नई दिल्ली में एक "अखिल भारतीय लघु उद्योग प्रदर्शनी" का आयोजन किया था।

(ख) 1,50,000 रुपये।

(ग) और (घ) संघ के निजी संगठन होने के कारण उसके हिसाब-किताब की लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा की गई थी।

लघु उद्योगों की व्यापार-निदेशिका

7917. **श्री माधोराम शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने लघु उद्योगों के संगठन के महासंघ को लघु उद्योगों की एक व्यापार निर्देशिका प्रकाशित करने के लिए कोई अनुदान दिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुदान किस तिथि को दिया गया था और उसकी राशि कितनी थी; और

(ग) क्या सरकार उक्त निर्देशिका की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख)	1963-64 . . .	27,000 रुपये
	1971-72	50,000 रुपये

(ग) सरकार द्वारा 1963-67 में दी गई वित्तीय सहायता पर फेडरेशन द्वारा तैयार की गई निदेशिका की एक प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

दूसरी निदेशिका फेडरेशन तैयार कर रहा है।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी

7918. **श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशन के लिए उन स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदनपत्र अभी तक मंजूर नहीं किए गये हैं; (1) जो छ: महीने से अधिक विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में रहे परन्तु जिन्हें सजा नहीं दी गई, और (2) जो छ: माह से अधिक कठोर कारावास भोगने के पश्चात् अपील में छोड़ दिये गये;

(ख) जिन लोगों को 1930 और 1931 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण 6 महीने और इससे अधिक जेल की सजा दी गई परन्तु 6 महीने पूरे होने से पहले ही गांधी-इरविन समझौते के परिणामस्वरूप छोड़ दिये गये उनके मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस सम्वंध में कि उक्त स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर सकें कब तक निर्णय कर लेगी?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) इन मामलों को, शीघ्र किये जाने वाले निर्णय को ध्यान में रख कर, निपटाया जायेगा।

स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं के लिए पेंशन की मंजूरी

7919. **श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहीदों और स्वतन्त्रता सेनानियों की उन विधवाओं के नाम, आयु तथा पतों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके पेंशन सम्बन्धी आवेदन उनके स्वर्गीय पतियों के कारावास तथा रिहाई की ठीक-ठीक तिथियां न देने के कारण नामंजूर कर दिए गए हैं यद्यपि उन्होंने साथी वर्तमान/भूतपूर्व संसद-सदस्यों, वर्तमान/भूतपूर्व विधायकों से कारावास का पर्याप्त साक्ष्य दिया है कि उनके स्वर्गीय पति 6 मास या इससे अधिक समय तक जेल में रहे हैं;

(ख) क्या इन विधवाओं ने अभ्यावेदन किया है कि क्योंकि उनके स्वर्गीय पति 30 वर्ष या इससे भी पहले जेल गए थे, इसलिए उनके लिए उनके जेल जाने तथा रिहाई की ठीक-ठीक तिथियां बताना संभव नहीं है; और

(ग) क्या सरकार दी गई जानकारी को पर्याप्त मानने और उक्त विधवाओं को पेंशन देने पर विचार कर रही है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) पूछी गई सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। तथापि, 31-3-1974 तक प्राप्त 1,98,093 आवेदनपत्रों में से 1,19,373 आवेदनपत्र निपटा दिए गए हैं और 78,720 विचाराधीन हैं क्योंकि वे अधूरे हैं। 15-4-74 तक 76,651 मामले स्वीकृत किये गये हैं। 28615 अस्वीकृत किये गये हैं और काफी समय से अपेक्षित सूचना के अभाव में 14,107 मामले फाइल कर दिये गये हैं।

(ख) तथा (ग) स्वतंत्रता सेनानियों की जो विधवायें अपने पतियों की राजनैतिक यातनाओं के बारे में निर्धारित दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहती हैं, उनके मामले राज्य सरकार की सत्यापन रिपोर्टों/राज्य/जिला स्तर की सलाहकार समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रख कर निपटाये जाते हैं।

वृद्ध, अशक्त तथा बीमार स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए गृह

7920. **श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश क्षेत्र में वृद्ध, अशक्त, बीमार तथा विकलांग स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए दिल्ली में तथा दक्षिण क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों के लिए पांडिचेरी में क्रमशः दो अस्थायी गृह स्थापित करने के लिए भवन लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गृह किस तिथि से खोले जायेंगे और समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर उन गृहों में प्रवेश देने के लिए आवेदन-पत्र किस तिथि से मांगने आरम्भ हो जायेंगे जैसा कि स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के मामलों में किया गया था; और

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक गृह में केवल 50 व्यक्तियों तक को प्रवेश देने तथा उसमें प्रवेशार्थ इच्छुक शेष वृद्ध तथा स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रवेश देने से इनकार करने का निर्णय किया है जबकि अधिकांश ऐसे व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए उनका कोई निकट सम्बन्धी नहीं है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) स्थायी गृहों का निर्माण होने तक सरकार का दिल्ली में एक अस्थायी गृह शुरू करने का विचार है जो उपयुक्त स्थान की उपलब्धता पर निर्भर है। आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के ढंग, भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, दैनिक प्रशासन और अन्य सभी पहलुओं के बारे में आगे ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट तारीख बताना सम्भव नहीं है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गृहों का प्रबंध

7921. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृद्ध, अशक्त, बीमार तथा विकलांग स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए दिल्ली और पांडिचेरी में प्रस्तावित दो गृहों का संपूर्ण प्रबन्ध भारत सरकार स्वयं गृह, स्वास्थ्य समाज कल्याण मंत्रालयों सहित अपने किसी मंत्रालयों के द्वारा अपने हाथ में ले लेगी; और

(ख) दिल्ली में ऐसे गृह का रोजमर्रा का प्रशासन दिल्ली प्राशासन को सौंपने के क्या कारण हैं जबकि इस गृह में प्रवेश पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को देश के सभी उत्तरी राज्यों से लिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस योजना को कार्यरूप दिया जाना है। गृह के दैनिक प्रशासन और सभी अन्य पहलुओं से सम्बन्धित आगे ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में प्रमाण

7922. **श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान**
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेन्शन के लिए आवेदन करने वाले उन स्वाधीनता सेनानियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें सरकार ने यह नोटिस दिया है कि उनके द्वारा अपने कारावास के

बारे में निर्धारित प्रमाण न दिये जाने के कारण उनके मामलों पर विचार रोक दिया गया है और कि यदि वे 31 मार्च, 1974 तक अपेक्षित जानकारी नहीं देते हैं तो पेन्शन के प्रति उनके आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिये जाएंगे;

(ख) उन व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित जानकारी पेश कर दी थी और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) राज्यवार उन आवेदकों की संख्या कितनी है जो ऐसा न कर सके तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों की भी संख्या कितनी है जिन्होंने यह सूचित किया कि अपने जेल रिकार्डों तथा सह-वंदी, संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों से प्रमाण-पत्रों के द्वारा अपनी कारावास अवधि के 30 वर्ष और इससे अधिक अवधि व्यतीत होने के बाद साक्ष्य प्रस्तुत करना उनके लिए संभव नहीं है; और

(घ) उनकी कठिनाइयों को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ख) तथा (ग) : अपेक्षित सूचना सहज उपलब्ध नहीं है।

(घ) व्यक्तियों से प्राप्त अतिरिक्त सूचना को ध्यान में रखकर ऐसे मामलों पर पुर्नविचार किया जाएगा। जो आवेदक अपेक्षित सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उनके मामले इस अनुरोध के साथ संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेज दिये जायेंगे कि वे अपनी रिपोर्ट भेजने से पहले राज्य/जिला स्तर समिति से भी परामर्श कर लें।

विवरण

24-4-1974 के लिये अतारांकित प्रश्न सं० 7922 के भाग (क) में मांगी गई सूचना का विवरण

राज्य का नाम	31-3-74 तक सूचना/साक्ष्य की कमी के कारण फाइल किए मामलों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	883
असम	314
बिहार .	2733
चंडीगढ़ .	15
दिल्ली . .	206
गुजरात .	1
हरियाणा	269

1	2
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू व कश्मीर	267
केरल	1065
कर्नाटक	1352
मध्य प्रदेश	481
महाराष्ट्र	57
उड़ीसा	301
पांडिचेरी	259
पंजाब	959
राजस्थान	169
तमिलनाडु	580
उत्तर प्रदेश .	2200
पश्चिम बंगाल	1829
जोड़ .	13944

सी० आई० डी० के एक इन्सपेक्टर के विरुद्ध आरोप

7923. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० आई० डी० अपराध शाखा का एक इन्सपैक्टर उत्तरी दिल्ली जिला के एक कुख्यात व्यक्ति से घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के अधीन एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इन्सपेक्टर को गिरफ्तार किया गया था।

पूर्वी जिला दिल्ली पुलिस संगठन का उद्घाटन

7924. **श्री विभूति मिश्र :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तैनात भारतीय पुलिस सेवा के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने मुख्यतः इस कारण से कि भारतीय पुलिस सेवा के एक कनिष्ठ अधिकारी को पूर्वी जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया तथा इसके फलस्वरूप दिल्ली में तैनात भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों में असन्तोष व्याप्त हुआ, हाल ही में गठित पूर्वी जिला (दिल्ली पुलिस) के उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लिया; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) यह सही नहीं है कि भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली में नये पूर्वी जिले के उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लिया। उनमें से अधिकांश उसमें उपस्थित थे।

5—M 296 LSS/74

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पोलिटैक्नीकों से पास होकर निकलने वाले इंजीनियरिंग स्नातकों तथा डिप्लोमा-धारियों के प्रशिक्षण पर किया गया व्यय

7925. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या प्रधान मंत्री इंजीनियरिंग विभागों में काम कर रहे इंजीनियरिंग स्नातकों के बारे में 27 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4748 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोलिटैकनीकों और इंजीनियरिंग कालेजों से प्रति वर्ष कितने इंजीनियरिंग डिप्लोमा-धारी और स्नातक प्रति वर्ष पास होकर निकलते हैं तथा उनको प्रशिक्षण देने पर कितना वार्षिक व्यय आता है; और

(ख) सरकार में उनके लिए कितने पद रिक्त पड़े हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार, ऐसे स्नातकों तथा डिप्लोमा-धारियों की संख्या, जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान अर्हता प्राप्त की, इस प्रकार है :—

	1970-71	1971-72	1972-73
इंजीनियरिंग स्नातक .	17768	18223	16505
डिप्लोमा-धारी . .	22276	16563	15191

प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय में एक संस्था से दूसरी संस्था में, तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में काफी अन्तर रहता है। फिर भी प्राप्त सूचना के अनुसार एक इंजीनियरिंग स्नातक के प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय रुपये 2,000/- से लेकर रुपये 3,500/- प्रतिवर्ष के बीच अलग-अलग रहता है और इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारियों पर रुपये 1,000/- से लेकर रुपये 2,000/- तक के बीच अलग-अलग रहता है।

(ख) उनके लिए प्राप्त रिक्तियों की संख्या भी समय-समय पर तथा एक विभाग से दूसरे विभाग में बदलती रहती है। इस सम्बन्ध में कोई केन्द्रीकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

APPLICATION OF K.V.I.C. GRADES IN KHADI GRAMODYOG BHAVAN, NEW DELHI

7926. SHRI HIRALAL DODA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) the facts about the grades attached to different posts in the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi;

(b) whether all the grades of Khadi and Village Industries Commission are also made applicable to the employees of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

PROMOTION TO EMPLOYEES IN KHADI GRAMODYOG BHAVAN, NEW DELHI

7927. SHRI HIRALAL DODA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT and SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2580 on 28th November, 1973 regarding seniority list of employees in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi and state :

(a) the action taken so far for filling of the vacant posts by giving promotions to the employees of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi;

(b) the time by which these vacant posts are likely to be filled ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI) : (a) and (b). The Staff Selection Committee for Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi, is being constituted. Action for filling up the vacant posts by promotion and selection will be taken soon after the constitution of this Committee.

FACILITIES OF HOUSING LOANS TO EMPLOYEES OF KHADI GRAMODYOG BHAVAN, NEW DELHI

7928. SHRI HIRALAL DODA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) whether housing loans are provided to the employees of Khadi and Village Industries Commission and Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi on the pattern of Government employees;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) Whether Government would consider the question of providing the said facility to the employees of Khadi and Village Industries Commission and Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI) : (a) to (c) The proposal for the grant of house building advances to the employees of the Khadi and Village Industries Commission, on the pattern of the rules applicable to the Central Government employees, has been accepted in principle. The necessary regulations governing the grant of such house building advances as also the question of its extension to trading staff are to be finalised.

पश्चिम जर्मन विकास सेवा

7929 **श्री के मालमा**
श्री प्रबोध चन्द्र } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम जर्मन विकास सेवा ने भारत में काम करना बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या कुछ क्षेत्रों में यह भावना व्याप्त है कि लगभग सभी व्यवसायों तथा व्यापार में नौकरियों के जो अवसर उन भारतीयों को उपलब्ध होने थे जो पूर्णतः अर्हता प्राप्त हैं परन्तु बेकार हैं, वह अवसर एक प्रकार से इसके वालिन्टियरों के मिला रहे थे ; और

(ग) यदि हां, जो तत्संबन्धी विवरण क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) से (ग) चूंकि भारत सरकार ने जर्मनी से भारत में सेवा के लिए भेजे गए प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की किस्म के स्वयंसेवक पर्याप्त संख्या में तैयार कर लिए हैं और उनकी अग्रेतर सेवाओं के लिए सरकार अब जर्मनी से अनुरोध नहीं कर रही है अतः जर्मन संघीय गणराज्य ने भारत में जर्मन स्वयंसेवकों की सेवायें इस समय सेवारत स्वयं सेवकों का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद बंद कर देने का निश्चय किया है ।

गुजरात में स्थिति को सामान्य बनाने की मांग और उसके लिये उपाय करने के बारे में राज्य की नवनिर्माण युवक समिति का ज्ञापन

7930. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की नवनिर्माण युवक समिति के सात सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 6 मार्च, 1974 को राष्ट्रपति से मिला था और उन्हें एक ज्ञापन दिया था जिसमें उनकी मांगें तथा राज्य में स्थिति को सामान्य बनाने के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों का उल्लेख था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने उनके द्वारा लगाए गये आरोपों की जांच की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) आज के अतारांकित प्रश्न संख्या 8004 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

हिन्द मोटर्स तथा युनाइटेड कर्मांशयल बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमनों का उल्लंघन

7931. **श्री ए० के० एम० इसहाक**: क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्द मोटर्स तथा यूनाइटेड कार्मशियल बैंक द्वारा किये गये लगभग 10 लाख पौंड के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के बारे में की गई शिकायत की जांच की प्रगति क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): प्रवर्तन निदेशालय के मैसर्स यूनाइटेड कार्मशियल बैंक लिमिटेड द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड को विनिमय की अवमूल्यन-पूर्व की दर पर 9,32,222 पौंड की विदेशी मुद्रा का अगाऊ सौदा करने के एक मामले का पता लगाया गया था । निदेशालय द्वारा जांच पूरी कर लेने पर (i) मैसर्स यूनाइटेड कार्मशियल बैंक लिमिटेड कलकत्ता तथा इसके निदेशकों को उचित समय पर, (ii) सर्वश्री आर० बी० शाह तथा वी० एल० पुरोहित, तत्कालीन महाप्रबन्धक तथा उक्त बैंक के कलकत्ता स्थित मुख्य कार्यालय के प्रबन्धक और (iii) मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स कलकत्ता तथा इसके निदेशकों को उचित समय पर कारण बताओ नोटिस जारी करके न्याय निर्णय संबंधी आवश्यक कार्यवाहियां आरम्भ कर दी गई हैं ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी बैंक तथा मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स के विरुद्ध एक मामला दर्ज कर लिया ह । इसकी जांच चल रही है ।

EXPLOSION OF STOLEN MILITARY BOMBS AT ISACC IRON WORKS AT CHAMPA BAGH IN INDORE

7932. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether four persons were killed and 14 others injured in a bomb-explosion on the 5th February, 1974 in 'Isacc Iron Works' at Champa Bagh in Indore (Madhya Pradesh); and

(b) if so, the facts in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : (a) and (b). The information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House on receipt.

ARREST OF PERSONS IN CONNECTION WITH A BOMB EXPLOSION AT CHAMPA BAGH, INDORE MADHYA PRADESH

7933. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Indore Police arrested two persons in February, 1974 in connection with a bomb explosion at Champa Bagh in Indore and has recovered three bomb shells from them;

(b) whether these bomb shells were examined and whether they were live ones; and

(c) if so, the facts in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) to (c). The information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House on receipt.

इंडियन एसेम्बली आफ यूथ को अमरीकी तथा यू० एन० ओ० अनुदान

7934. **श्री रंजन दास मुन्शी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में संगठित इंडियन एसेम्बली आफ यूथ अपने कार्यकलाप लाने के लिये अमरीकी तथा यू० एन० ओ० अनुदान प्राप्त कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

निरीक्षण के उद्देश्य से तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र के एक एकक में काम को रोक देना

7935. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**: क्या **परमणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र के अधिकारी निरीक्षण के उद्देश्य से इस केन्द्र के एक एकक में काम को रोक देने की योजना बना रहे हैं क्योंकि इसका उत्पादन बहुत घट गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह उत्पादन किस सीमा तक कम हो गया है ; और

(ग) उक्त एकक पुन: कब काम करना आरम्भ कर देगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, ईलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) आजकल तारापुर परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट को ईंधन बदलने की वार्षिक प्रक्रिया के लिए बन्द रखा गया है। बिजलीघर का पहला यूनिट सामान्य रूप से कार्य कर रहा है तथा फिलहाल इसे सामान्य अनुरक्षण/यथावश्यक निरीक्षण के लिए बन्द करने के सिवाय और किसी भी प्रकार से बन्द करने का कार्यक्रम नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के तथा फरीदाबाद में औद्योगिक प्रतिष्ठानों का बन्द होना

7936. **श्री सरजू पांडे**
श्री एस० एन० मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की भारी कमी के कारण उत्तर प्रदेश के नगरों तथा फरीदाबाद में अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्द हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को जबरन छुट्टी दी गई है ; और

(ग) इन कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम्) : (क) से (ग) जहां तक फरीदाबाद का संबंध है बिजली की कमी के कारण कोई भी औद्योगिक उपक्रम बन्द नहीं हुआ है क्योंकि फरवरी से मार्च, 1974 के बीच केवल कुछ तिथियों में अस्थाई तौर पर बिजली

वंद हुई थी। कर्मचारियों को केवल बिजली न मिलने वाली तिथियों पर अस्थाई तौर पर काम से अलग रखा गया था।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अनुसार बिजली की कमी का उत्तर-प्रदेश के कस्बों के औद्योगिक एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा वर्ष 1973 में 6259 कर्मचारियों को काम से अलग रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों को काम पर लगाने के अभ्युपायों पर विचार कर रही है।

PRINTING OF "ON JAMMU AND KASHMIR GOVERNMENT SERVICE" ON OFFICIAL ENVELOPES OF J&K GOVERNMENT

7938. SHRI LAMBODAR BALIYAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Government of Jammu and Kashmir prints on its official envelopes the words "On Jammu and Kashmir Government Service" instead of printing the words "On Government of India Service" and this practice is still continuing even after 27 years of Independence;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether the Central Government will take some action in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (PROF. SHER SINGH): (a) No, Sir. The J&K Government are now printing their official envelopes superscribed 'On India Government Service' after exhausting their old stock.

(b) The J&K Government was permitted to use the old stock for some time till it was exhausted.

(c) Instructions have been issued that any articles superscribed 'On J&K Government Service' are to be treated as unpaid.

दिल्ली में भूमि के प्लाटों का आवंटन

7939. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम नई दिल्ली में भूमि के प्लाटों के आवंटन के लिए वर्ण क्रमानुसार 1970 में गवर्नमेंट सर्वेन्ट एच० सी० एस० द्वारा बनाई गई प्रतीक्षा-वी० सूची में शामिल किया गया है;

(ख) क्या बहुत से उन अन्य आवेदकों के नाम प्रतीक्षा में शामिल किए गए थे जिन्होंने बहुत पहले आवेदन-पत्र दिए थे; और

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनसार बसन्त बिहार गवर्नमेंट सर्वेन्टस कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी ने 1969 और 1970 में दिल्ली प्रशासन को इस अनुरोध के साथ सदस्यों की पूरक सूचियां प्रस्तुत की कि उन सूचियों में शामिल व्यक्तियों को आवंटन किए जाने के लिए अतिरिक्त प्लाट बनाए जाएं। ऐसी पूरक सूचियां 5 अप्रैल, 1969 को (50 नामों की), 19 जनवरी, 1970 को (25 नामों की) और अगस्त 1970 में (63 नामों की) भेजी गई थीं सात अन्य व्यक्ति जिनकी भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गई थी, भी शामिल किए गए थे इनमें से 19 जनवरी, 1970 को भेजी गई केवल 25 व्यक्तियों की सूची व क्रमानुसार नहीं थी, अन्य सूचियां वर्णक्रमानुसार थीं। इसलिए ऐसी क्रम जिसमें सूचियां प्राप्त हुई थीं में समेकित कुल 145 व्यक्तियों की प्रतीक्षा-सूची तैयार की गई थी। इनमें से

10 व्यक्तियों को किसी एक अथवा अन्य कारण से सूची से निकाल दिए (ग्राफ आउट कर दिए) गए और 135 व्यक्तियों की एक प्रतीक्षा-सूची रह गई। तत्कालीन उप राज्यपाल द्वारा सितम्बर, 1970 में अनुमोदित इस सूची में श्री बालेश्वर प्रसाद का नाम क्रम सं० 105 पर था।

(ख) तथा (ग) दिल्ली प्रशासन से मालूम हुआ है कि कुछ व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त हुई थी कि उनका नामांकन सदस्यों के रूप में नहीं किया गया हालांकि सदस्यता के लिए आवश्यक आवेदन-पत्र दे दिए थे। कोआपरेटिव सोसाइटी से दिल्ली प्रशासन को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, मैनेजिंग कमेटी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नामांकन के लिए बड़ी संख्या में आवेदकों में से व्यक्तियों का चयन किया और 20 दिसम्बर, 1970 को अपनी बैठक में जनरल बाडी मैनेजिंग कमेटी के उस निर्णय का अनुमोदन कर दिया गया था।

मूल्य वृद्धि के खिलाफ छात्र संगठन द्वारा शुरू किया गया आन्दोलन

7940. **श्री धामनकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान देश में मूल्य वद्धि और बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ शीघ्र ही एक 'मिलिटेंट' नाम से संयुक्त आन्दोलन शुरू करने के अनेक छात्र संगठनों के निर्णय की ओर दिलाया है ;

(ख) क्या अपने आन्दोलन को वास्तव में शुरू करने से पूर्व छात्रों के संयुक्त दल द्वारा उन्हें मांगों की कोई सूची पेश की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सरकार को मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, आदि के विरुद्ध छात्रों के आन्दोलनों की जानकारी है। इस महीने के प्रारम्भ में कुछ छात्र संगठनों ने प्रधान मंत्री को एक संयुक्त ज्ञापन दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मूल्य वद्धि, बेरोज़गारी आदि की समस्या सुलझाने के लिए कदम उठाने, लोक वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने और लोगों के समर्थन से चोर-बाजारी, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी रोकने की मांग की गई थी। होस्टलों में रहने वाले छात्रों को राज्य सहायता से स्टैंडर्ड भोजन की व्यवस्था करने; छात्रवृत्तियों की राशि तथा संख्या बढ़ाने तथा आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों को केवल चोर-बाजारी करने वालों, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों समेत देश द्रोहियों तथा समाज-विरोधी तत्वों के विरूद्ध प्रयोग करने की भी मांग की गई थी।

सरकार तथा शैक्षणिक प्राधिकारी छात्रों की उचित शिकायतों के समाधान के लिए सभी सम्भव प्रयत्न कर रहे है।

राज्यों में बेरोजगार इंजीनियरों के लिए स्वनियोजन आयोजनों का कार्यान्वयन

7941. **श्री तरुण गोगोई**
श्री निहार लास्कर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की सलाह पर बेरोजगार इंजीनियरों के स्वनियोजन के लिए तैयार की गई योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर पाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना केवल संघ-राज्य क्षेत्र दिल्ली में ही लागू की गई है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस संबन्ध में राज्य सरकारों को और वित्तीय सहायता देने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के अलावा, अन्य राज्यों से बेरोजगार इंजीनियरों के स्व-रोजगार के बारे में जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उन पर भी योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ग) तकनीकी उद्यमियों को सहायता देने की स्वीकृति स्कीमों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर बड़े पैमाने पर इंजीनियरों को स्व-रोजगार के अवसर सुलभ करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, बड़े, मध्यम और लघु उद्योग, कृषि, भूमि संरक्षण, बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई, कृषि सेवा केन्द्र, संचार, कमांड एरिया विकास आदि जैसे विभिन्न योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अन्य वर्गों के व्यक्तियों के अलावा इन्जीनियरों के लिए पांचवीं योजना के दौरान काफी रोजगार सुलभ होने की संभावना है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिकल्पित 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष विकास की दर के आधार पर, और इंजीनियरों की आवश्यकता लगभग 85,000 होगी। पांचवीं योजना अवधि के दौरान इंजीनियर बनने वालों तथा बेरोजगार इंजीनियरों की पिछली संख्या को देखते हुए पांचवीं योजना अवधि के दौरान इंजीनियरों को रोजगार देने में किसी प्रकार की गम्भीर समस्या उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।

जहां तक पीछे से चले आ रहे बेरोजगार इन्जीनियरों का सम्बन्ध है, इंजीनियरिंग डिग्री-होल्डरों में विभिन्न योजनाओं और विशेष रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से काफी सुधार होने की संभावना है। योजना आयोग के कहने पर रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ने अगस्त/सितम्बर, 1973 के दौरान हाल ही में जो त्वरित सर्वेक्षण किया उससे अन्य बातों के अलावा यह भी पता लगता है कि देश भर में 31-12-1972 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों के अनुसार रोजगार की तलाश करने वाले 22,808, इंजीनियरिंग की डिग्री वालों में से लगभग 5,000 ऐसे थे जो बेरोजगार थे। आशा है कि विभिन्न कार्यक्रमों, जिन्हें 1973-74 के उत्तरार्थ में काफी गति मिली के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप स्थिति में काफी सुधार होगा। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि दिसम्बर, 1971 से दिसम्बर, 1972 के मध्य रोजगार चाहने वाले इंजीनियरिंग के डिग्रीधारियों में से 19.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई, परन्तु दिसम्बर, 1972 से दिसम्बर, 1973 के अन्त तक तदनुरूप वृद्धि केवल 1.73 प्रतिशत रही। इसके विपरीत सब प्रकार के रोजगार के इच्छुकों में दिसम्बर, 1971 के अन्त और दिसम्बर, 1972 के अन्त के मध्य वृद्धि की दर 35.20 प्रतिशत थी और यह घटकर दिसम्बर, 1972 के अन्त तथा दिसम्बर, 1973 के अन्त के मध्य 19.19 प्रतिशत रह गई। (1973 के आंकड़े अस्थायी हैं):

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण

7942. श्री गजाधर माझी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विभागों और कार्यालयों द्वारा विज्ञापित कुछ पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए विशेष रूप से आरक्षित घोषित किए जाते हैं ; और

(ख) क्या इन पदों के लिए चयन केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से ही किया जाता है अथवा उन्हें अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आरक्षित रिक्तियों पर चयन के लिये, चाहे वह आरक्षित तथा अनारक्षित दोनों ही रिक्तियों पर भर्ती के लिये सम्मिलित चयन हो, अथवा केवल आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती के लिये किया गया पृथक चयन हो, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों का विनिर्णय उन्हीं जातियों के उम्मीदवारों के बीच में से किया जाता है, सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में नहीं ।

चीन में नागा विद्रोहियों का विचार-परिवर्तन

7943. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागालैंड के मुख्य मंत्री श्री विजोल द्वारा यूनाइटिड न्यूज आफ इंडिया को चीन द्वारा विद्रोही नागाओं के विचार परिवर्तन के बारे में दिए गए इन्टरव्यू की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तत्संबंधी तथ्यों की जांच की है ; और

(ग) अभी तक पकड़ने में न आये चीन-प्रशिक्षित नागाओं की अनुमानित संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) तथा (ख) नाइटेड न्यूज आफ इंडिया के साथ एक इन्टरव्यू में नागालैंड के मुख्य मंत्री ने कहा कि जिन न ाओं ने चीन में प्रशिक्षण लिया, उनमें से कुछ दृष्टि कोण में एक निश्चित परिवर्तन के साथ लौ ।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार नागालैंड में अभी तक पकड़ में न आये चीन-प्रशिक्षित नागाओं की संख्या लगभग 250 है।

दिल्ली में बिक्री कर की कम दरों का पड़ोसी पर प्रभाव

7944. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बिक्री कर की दर पड़ोसी राज्य सरियाना की तुलना में कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी वजह से हरियाना को भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है क्योंकि वे उद्योगपति और व्यापारी जिनके कारखाने हरियाना में है और पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है, हरियाना अथवा दिल्ली में बिक्री-कर की अदायगी से बचने की दृष्टि से अपने सामान की खेप की बुकिंग संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् । हरियाणा और दिल्ली के बीच बिक्रीकर की दरों में भिन्नता है।

(ख) और (ग) : सरकार को जानकारी है कि हरियाणा और दिल्ली के अन्य पड़ोसी राज्य दिल्ली में बिक्री-कर की उच्चतर दरों की मांग कर रहे हैं। किन्तु दिल्ली उत्तरीभारत का परम्परागत वितरक केन्द्र है। अनेक उद्योगपत्तियों तथा व्यापारियों ने जिनके कारखाने पड़ोसी राज्यों में हैं अपने पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में स्थित किये हैं और वे अपनी उत्पादन की गई वस्तुएं दिल्ली

से बेचते हैं। स्थादीय अधिनियम अथवा केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 में समाहित उपबन्धों के अनसार दिल्ली में की गई बिक्री पर दिल्ली में लागू होने वाले कर वसूल किए जायेंगे जब तक कि स्थानीय बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत बेची गई वस्तुएं दिल्ली में बिक्री कर से मुक्त न हों और उस मामले में ऐसी बिक्री कर से मुक्त होगी।

TAKE OVER OF FOREIGN COMPANIES

7945. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) the names of foreign companies taken over by Government during 1972-73 and 1973-74; and

(b) the names of other foreign companies to be taken over by Government during 1974-75 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. B. RANA) : (a) and (b) Necessary information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

'कन्सैन्ट्रैट्स' का आयात प्रतिस्थापन

7946. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में "कन्सैन्ट्रेट्स" के आयात प्रतिस्थापन का विकास करने से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ;

(ख) क्या एयरडिट वाटर बनाने में काम आने वाली सामग्री का उत्पादन करने वालों के लिए सरकार ने कोई आयात प्रतिस्थापन पुरस्कार रखा है ; और

(ग) दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बचत के लिए देश में "कन्सैन्ट्रेट्स" के बनाने के लिए प्रोत्साहन देने के बारे म सरकार की नीति क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) तथा (ख) हल्के पेय बनाने के लिए सांद्रण (कंसैन्ट्रेट्स) आयात करने की अनुमति नहीं है। केवल सांद्रण बनाने के लिए अपेक्षित उन कच्चे मालों का, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं आयात करने की अनुमति है। वातित जल सांद्रण के लिए आयात प्रतिस्थापन हेतु कोई पुरस्कार देने का प्रश्न इन परिस्थितियों में नहीं उठता है ।

(ग) विदेशी मुद्रा की बचत करने के विचार से हल्के पेयों के लिए सांद्रण बनाने के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने हेतु सभी प्रोत्साहन और सहायता दी जा रही है ।

विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

7947. **श्री अटलबिहारी वाजपेयी**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नजर के चश्मों का फ्रेम बनाने वाले लघु उद्योगों में कच्चे माल की कमी

7948. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नजर के चश्मों के लघु फ्रेम निर्माताओं को कच्चे माल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान) : (क) चश्मों के फ्रेम बनाने के लिए कच्चे माल की अधिकांशतया कोई कमी नहीं बतायी गयी है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रुग्ण कपड़ा मिलों के लिए सामान का निर्यात

7949. **चौ० राम प्रकाश :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अधिगृहीत रुग्ण कपड़ा मिलों ने वर्ष 1973-74 में हमारे निर्यात-व्यापार में अपना योगदान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योगदान कितना रहा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) । (क) जी हां ।

(ख) सरकारी प्रबंध के अधीनस्थ कपड़ा मिलों द्वारा वर्ष 1972 और 1973 में क्रमशः 8.70 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रु० के वस्त्रों का निर्यात किया गया है ।

PRODUCTION OF WINE

7950. SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) whether the production of wine has gone up after Independence;

(b) whether demand for wine is increasing day by day;

(c) if so, the production in 1947 and 1973; and

(d) the total income accrued to Government therefrom since then ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. B. RANA) : (a) to (d) The demand for wine has not been assessed. According to available information there was no unit producing wine in the organised sector in 1947. A few of the units approved in recent years have gone into production; but the precise information regarding their production in 1973 is not readily available. The Central Government does not derive any income from the manufacture of wines.

Population of Scheduled castes and Scheduled Tribes

7951. Shri Chhatrapati Ambesh : ill the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the population of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes living in urban and rural areas in the country, separately, as per the latest census; and

(b) the number of men, women and children among them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs Shri F. H. Mohsin : (a) and (b) According to the 1971 Census, the population of scheduled castes and scheduled tribes in rural and urban areas of the country by sex are as follows:

Population as per 1971 Census

	Rural			Urban		
	Persons	Males	Females	Persons	Males	Females
1. Scheduled Castes	70441388	36261548	34179840	9554508	5076487	4478021
2. Scheduled Tribes	36720681	18498874	18221807	1294481	682576	611905

The information about children is not available at present.

DEMONSTRATION ORGANISED BY JAN SANGH IN FRONT OF DELHI RAILWAY STATION AGAINST INCREASE IN RAILWAY FREIGHTS

7952. SHRI G. P. YADAV : will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the local Congress leaders tried to create disturbances when a demonstration had been organised in front of Delhi Railway Station on behalf of the Jan Sangh to protest against the increase in railway freights; and

(b) if so, the action Government have taken ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : (a) No Sir.

(b) Does not arises.

विभिन्न संगठनों की गतिविधियां

7953. **श्री समर ग** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को एक शिष्टमण्डल से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ संगटनों पर प्रतिबन्ध लगाने की सरकार से मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या भारतीय संविधान के उपबंधों और सिद्धांतों का उल्लंघन करके एसे संगठनों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में सरकार के पास तथ्यपूर्ण जानकारी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या जनता की जानकारी के लिए ऐसे समाचारों को प्रकाशित करने का सरकार का विचार है ;

(ङ) क्या विभिन्न रूप में विदेशी एजेंटों को कार्यरत करने का प्रयास करने और देश में संचालित तथाकथित "फ्रेंडशिप एसोसियशनों" का अनगिनत देशों ने समर्थन किया है ; और

(च) क्या ज्ञापन के बारे में कोई निर्णय लेने से पूर्व ज्ञापन में उल्लिखित संगठनों और तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप एसोसियशनों की गतिविधियों के बारे में सरकार सार्वजनिक न्यायकि जांच करायगी ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (च) विभिन्न संगठन जिनकी गतिविधियां साम्प्रदायिक सद्भाव बनाय रखने तथा राष्ट्रीय एकता के हित के प्रतिकूल है उनसे आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 के उपबधों के अन्तर्गत निपटा जा सकता है जिसने गैर-कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम, 1967 की धारा 2 में समाहित "गैर कानूनी संगठन" की परिभाषा की सीमा को विस्तृत कर दिया है। क्या किसी संगठन के सम्बध में कानून के उपबन्धों को लागू किया जाए इस प्रश्न की सरकार

द्वारा समय समय पर ऐसे संगठन के सम्बन्ध में उनको उपलब्ध सामग्री को देखते हुए जांच जाती है।

सरकार को फ्रेंडशिप एसोसियशनों के माध्यम से किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा अपने एजेन्ट रखने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

बम्बई और मद्रास तथा विभिन्न राज्यों की राजधानियों के बीच वैकल्पिक संचार यातायात मार्ग

7956. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और मद्रास के बीच संचार यातायात के वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ;

(ग) क्या देश के राज्यों की विभिन्न राजधानियों के बीच दूर-संचार यातायात के वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) और (ख) जी हां। इस समय बम्बई को बंगलूर के रास्ते मद्रास के साथ एक 960 चैनल काएक्सिएल केबिल प्रणाली के जरिये जोड़ा गया है। पूना, सिकन्दराबाद और विजयवाड़ा के रास्ते से एक वैकल्पिक माएक्रोवेव/कोएक्सिएल प्रणाली के जरिये बम्बई को मद्रास से जोड़ने का विचार है। इस प्रणाली के वर्ष 1976 के मध्य तक तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। पूना-सिकन्दराबाद-विजयवाड़ा-मद्रास का सेक्शन पहले ही पूरा हो गया है और पूना-बम्बई माइक्रोवव लिंक पर काम चल रहा है।

(ग) और (घ) राज्यों की राजधानियों को परस्पर सीधे जोडने का कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिर भी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित माइक्रोवेव और कोएक्सियल योजनाओं के पूरा हो जाने पर कुछ राज्यों की राजधानियों का एक दूसरे के साथ सीधे संचार सम्पर्क स्थापित हो जाएगा।

पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा महाराष्ट्र में पंजीकृत लघु उद्योग एकक

7957. **हाजी लुतफल हक**
श्री ए० के० एम० इसहाक } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्ष के दौरान, उद्योग वार तथा जिला वार पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्रय में पंजीकृत लघु औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है तथा उनमें कुल पूंजी निवेश कितनी है और उनमें उत्पादन दर कितनी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्योग निदेशकों के पास दर्ज लघु उद्योग एककों का जिले वार ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6864/74**]।

कुल पूंजी विनियोजन आदि संबंधी जानकारी लघु उद्योगों की राष्ट्रीय गणना पूरी हो जाने के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेगी।

पश्चिम बंगाल में बड़े व्यापार गृहों द्वारा एककों की स्थापना

7958. **हाजी लुतफल हक**
श्री एस० एन० सिंहदेव } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति के प्रतिवेदन में वर्गीकृत 20 बडे व्यापार गृहों से संबंधित या उनके द्वारा नियन्त्रित उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनको गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र जारी किए गए, और वे एकक कहां कहां स्थापित किए जायेंगे, उनकी क्षमता क्या होगी तथा इनमें कितना पूंजी निवेश किया जायेगा ; और

(ख) आशय पत्र/लाइसेंस कब प्राप्त हुए और क्या उद्योग स्थापित हो गए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिंग पालिसी इन्क्वायरी कमेटी, (1969) की रिपोर्ट जिसकी प्रतियां संसद लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, के भाग 2 के परिशिष्ट 2-क में 20 बडे गृहों के फर्मों के नाम दर्ज हैं। सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए लाइसैंसों/आशय पत्रों के ब्यौरे जैसे पार्टी का नाम, लाइसेंस/आशय पत्र की तिथि, स्वीकृति क्षमता, स्थापना स्थल तथा सरकार द्वारा दिए गए सभी औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों के माध्यम से बनने वाली वस्तुओं के नाम "वीकली बुलैटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज इण्डियन ट्रेड जनरल तथा जनरल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड में प्रकाशित किए जाते हैं, इन प्रकाशनों की प्रतियां भी संसद लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं।

पं० बंगाल में उद्योगों की स्थापना हेतु इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिंग पालिसी इन्क्वायरी कमेटी (1969) की रिपोर्ट में वर्गीकृत बड़े गृहों से सम्बन्धित अथवा उनके द्वारा नियंत्रित फर्मों को वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 की अवधि में 45 औद्योगिक लाइसेंस तथा 17 आशय पत्र दिए गए थे। संलग्न विवरण में वर्षवार, गृहवार तथा प्रकार वार ब्यौरा दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6815/74] इस प्रकार जारी किए गए 45 औद्योगिक लाइसेंसों में से 29 काम चालू रखने हेतू लाइसेंस थे जो स्थापित की जा चुकी है क्षमता को विनियमित करने अथवा जिसके लिए प्रभावी कदम उठा लिए गए थे, के सम्बध में थे, जहां तक अन्य स्वीकृतियों का सम्बध है, सामान्यतया एक नए उपक्रम के स्थापित करने में लगभग 3 से 4 वर्ष तक लग जाते हैं ; अतएव ये लाइसेंस क्रियान्वियन की विभिन्न स्थितियों में है।

कलकत्ता स्टूडियोज में संकट

7959. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 में फिल्म डिवीजन के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के स्टूडियोज से कितने वृत-चित्र लिये गए ;

(ख) क्या मंत्रालय को पता है कि कलकत्ता स्टूडियोज वित्तीय समस्या के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं और इस प्रकार तकनीशियन और अन्य कर्मचारी भुखमरी की स्थिति में चल रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कलकत्ता स्टूडियोज में वृत्ति-चित्रों की संख्या न बढाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) 1972-73, 1973-74 के दौरान बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के फिल्म बनाने वालों से ली गई फिल्मों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, हां । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक गहन अध्ययन किया था । उसकी सिफारिशें सदन की मेज पर रख दी गई थी और उनको राज्य सरकार, जिनके क्षेत्र में इस पर कार्यवाही करने की अधिकांश जिम्मेदारी आती थी, के ध्यान में भी लाया गया। केन्द्रीय सरकार ने किसी भी ऐसी योजना , जो पश्चिम बंगाल के सम्पूर्ण फिल्म उद्योग को पुनर्जीवित कर सके, में सहायता देने की पेशकश की है ।

(ग) फिल्म प्रभाग के कार्य के एक भाग को स्थानान्तरित करने के दृष्टिकोण से कुछ विधायन कार्य कलकत्ता की प्रयोगशालाओं को दिया गया था और एक प्रादेशिक फिल्म निर्माण केन्द्र, जो कलकत्ता के निर्माताओं तथा फिल्म कर्मचारियों के द्वारा फिल्मों का निर्माण करेगा, को स्थापित करने का निर्णय किया गया है । इसी प्रकार पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में एक टेलीविजन फिल्म निर्माण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

विवरण

बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के फिल्म बनाने वालों से 1972-73, 1973-74 के दौरान ली गई फिल्मों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण ।

वर्ष	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास
1972-73 .	14	3	—
1973-74 . .	25	4	2

उड़ीसा में उद्योगों को घाटा

7960. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले, ईंधन-तेल, रेल डिब्बों विद्युत की कमी तथा कच्चे एवम् तैयार माल का आवागमन न होने के फलस्वरूप विशेष रूप से उड़ीसा में विभिन्न उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं, जिन पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) अन्य बातों के साथ कोयला, ईंधन तेल और रेलवे बैगनों की कमी तथा परिवहन की रुकावटों से उड़ीसा सहित सारे देश के औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। धातुकार्मिक, इंजीनियरी तथा रसायन उद्योग विशेषत: प्रभावित उद्योग हैं ।

विदेशी मुद्रा के उल्लिखित के मामले में अन्तर्ग्रस्त कलकत्ता की फर्म

7961. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की एक फर्म मैसर्ज एसोसिएटेड ब्रिटिश मशीन टूल्ज मेकर (इंडिया) लिमिटेड एक करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के मामले में अन्तर्ग्रस्त थी ;

(ख) क्या इस फर्म से एक विदेशी उपक्रम होने के नाते सरकार ने उल्लंघनों और जुर्माने के आधार पर जो इस पर लगाया जा सकता था, 25 लाख रुपये की जमानत की मांग की थी और इस फर्म ने जमानत की राशि वर्ष 1965 में रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया, कलकत्ता के पास जमा करा दी थी ;

(ग) क्या इस फर्म के विरुद्ध मामले को हाल ही में निपटा दिया गया है और इस पर एक लाख रुपये से अधिक राशि का नाममात्र जुर्माना दिया गया है और रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया, कलकत्ता को निदेश दिया गया है कि फर्म के नामांकित व्यक्ति को शेष धनराशि लौटा दी जाय ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या अधिकारियों द्वारा न्याय निर्णय संबंधी जो आदेश दिये जाते हैं उन पर सरकार को पुनर्विलोकन करने का अधिकार होता है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) मैसर्स एसोसिएटेड ब्रिटिश मशीन टूल्ज मेकर (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के अधीन कुछ अपराधों में अन्तर्ग्रस्त थी। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उक्त फर्म को जिस धनराशि के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, वह 26 लाख रुपए से कुछ ऊपर थी। जिस धनराशि के लिये अपराध सिद्ध हुए थे वह (लगभग) रु० 2,06,000/– की थी। उक्त मामले का न्याय-निर्णय किया गया और रु० 1,02,800/– का जुर्माना किया गया था। उक्त पार्टी द्वारा जुर्माने की पूर्ण धनराशि जमा कर दी गई है। न्याय-निर्णय के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की गई है।

मैसर्स एसोसिएटेड ब्रिटिश मशीन टूल्ज मेकर (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ते से कोई भी जमानत नहीं मांगी गई थी। किन्तु उक्त फर्म द्वारा विदेश में धन भेजने की आज्ञा दिए जाने के लिए रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया से किए गए अनुरोध पर कार्रवाई, न्याय निर्णय संबंधी उपर्युक्त कार्यवाहियों के निष्कर्ष लम्बित रहने के कारण आस्थगित पड़ी हुई थी।

(घ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें केन्द्रीय सरकार को न्याय-निर्णय के आदेशों की पुनरीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई हो। विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 52 की उप धारा (4) के अधीन ऐसे आदेशों की स्वप्रेरणा अथवा अन्य प्रकार से समीक्षा कर सकता है।

लुधियाना स्थित लघु उद्योगों को दिये गये प्रोत्साहनों को वापस लेना

962. **श्री पी० श्री गंगा देव**
श्री श्रीकिशन मोदी } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 18 मार्च, 1974 को चण्डीगढ़ के एक समाचार-पत्र में "इंजीनियरिंग यूनिट्स हैव स्टार्टिड लुकिंग अप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश भर में तथा विशेष रूप से लुधियाना में लघु उद्योगों को दिये जाने वाले नकद प्रोत्साहन को वापस ले लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्यात पर नकद प्रोत्साहन की ग्राह्यता को वापस लेने या कम करने का निर्णय का संबंध उद्योगों या प्रदेशों के किसी एक विशेष क्षेत्र से नहीं है। नकद निर्यात पर नकद प्रोत्साहन देने की ग्राह्यता को वापस लेने या कम करने का निर्णय वस्तु के अधिक मूल्य और इस तथ्य को कि सरकार से बिना किसी क्षतिपूरक सहायता के भी निर्यात किया जा सकता है को ध्यान में रख कर किया गया है बाइसिकलों के संबंध में नकद क्षतिपूरक सहायता जो पहले ग्राह्य थी 22-2-74 से वापस ले ली गई। जहां तक बाइसिकिल के पुरजों का संबंध है नकद क्षतिपूरक सहायता 14-3-74 से उनके निर्यात पर कम कर दी गई है। सिलाई की मशीनों के निर्यात पर नकद क्षतिपूरक सहायता में की ग्राह्यता के संबध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

सरकारी क्षेत्र में समाचारपत्र

7963. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन कारणों से मजबूर होकर सरकारी क्षेत्र में समाचार पत्र उद्योग को नहीं रखा गया है ; और

(ख) क्या इसी बात से यही कारण रेडियो तथा टेलीविजन जैसे अन्य जन प्रचार माध्यमों पर लागू नहीं होता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सरकारी क्षेत्र में कोई समाचार पत्र प्रकाशित करना जरूरी नहीं पाया गया है। तथापि, वहां के पाटकों, जहां समाचारपत्र कम ही पहुंचते हैं या बिल्कुल नहीं पहुंचते, की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार हिन्दी, बंगला, मराठी, तमिल, उर्दू तथा अंग्रेजी में भित्ति समाचार-पत्र प्रकाशित कर रही है। सरकार विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों के लिए अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण निकाल सकती है ताकि दूर-दूर के लोगों को भी सूचना मिल सके। सरकार विभिन्न पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कतिपय पत्रिकायें भी प्रकाशित करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों को आशय पत्र जारी करना

7964. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों के लिए कितने आशय पत्र जारी किए गए हैं ;

(ख) उसे कहां स्थापित किया जायेगा और इसमें पूंजी निवेश कितना है और प्रत्येक एकक की प्रस्तावित क्षमता कितनी है ;

(ग) उद्योग बार अद्यतन कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) ये एकक कब से कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउरहमान अन्सारी) : (क) से (ग) वर्ष 1971 से 1973 में पुरुलिया जिले में उद्योग स्थापित करने के लिये अभी तक कोई भी आशय पत्र

जारी नहीं किया गया है। किन्तु इस अवधि में गेहूं उत्पादों के लिये पुरुलिया में उद्योग स्थापित करने के लिए दो औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे जिनकी वार्षिक क्षमता क्रमशः 15,000 मी० टन और 30,000 मी० टन थी।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों के लिए लाइसेंस जारी करना

7965. **श्री ए० के० एम० इसहाक**
श्री एस० एन० सिंहदेव } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 बड़े औद्योगिक गृहों के अतिरिक्त, उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उनका एकक वार कुल पूंजी, परिव्यय, स्थान और उनकी अनुमानित क्षमता क्या है ; और

(ग) 1974-75 में स्थापित किये जाने वाले नये उद्योगों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विकास और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) 20 बड़े औद्योगिक गृहों के अलावा प० बंगाल में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए पिछले तीन वर्षों में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	संख्या
1971	59
1972	45
1973	30

लाइसेंसधारियों के नाम, स्थापना-स्थल, निर्माण की वस्तु और जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की क्षमता आदि सम्बन्धी ब्यौरे सरकार द्वारा समय समय पर "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंन्सेज" "इण्डियन ट्रेड जनरल" और "जनरल आफ एण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

इन लाइसेंसों से 18 प० बंगाल में नए उपक्रम स्थापित करने के बारे में हैं और वे मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्योगों के सम्बन्ध में हैं :

1. रसायन (उर्वरक के अलावा)
2. बिजली के बल्ब
3. खाद्य परिष्करण उद्योग
4. ईंधन
5. चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं
6. धातकार्मिक उद्योग लोहा तथा अलोह
7. वनस्पति

औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के बाद नया उपक्रम स्थापित करने में सामान्य रूप से 3-4 वर्ष का समय लगता है। अतः ये लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं।

दूर संचार कर्मचारियों के लिए सत्याग्रहों की व्यवस्था

7967. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन एक्सचेंजों, डाक-तार कैरियर स्टेशनों, को-एक्सियल रिपीटर स्टेशनों, माइक्रो-वेव रिपीटर स्टेशनों पर, जहां कर्मचारियों को चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता है, सामान्यतया स्नान-गृहों की सुविधाएं प्रदान न करने के क्या कारण हैं जबकि निरीक्षण क्वार्टरों में सब राजपत्रित अधिकारियों के लिए स्नानगृहों की व्यवस्था होती है ;

(ख) क्या देश में कुछ स्टेशनों पर स्नानगृहों की व्यवस्था है और यदि हां, तो किन शर्तों पर;

(ग) क्या सब एक्सचेंजों, कैरियर स्टेशनों, रिपीटर स्टेशनों और माइक्रोवेव स्टेशनों पर वाश-बेसिनों के साथ 'टायलेट' की व्यवस्था है; और यदि हां, तो अतिरिक्त नल कनेक्शन देने अथवा स्नान संबंधी सुविधाएं प्रदान करने पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा ; और

(घ) क्या सरकार का उक्त कर्मचारियों के लिए इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) विभाग के निरीक्षण क्वार्टरों का इस्तेमाल दौरे आदि पर जाने वाले कर्मचारी वहां ठहरने के लिए करते हैं। इसलिए निरीक्षण क्वार्टरों में स्नान की सुविधा देना आवश्यक है। टेलीफोन एक्सचेंजों, कैरियर स्टेशनों और रिपीटर स्टेशनों में कर्मचारी पारी-पारी से ड्यूटी पर आते हैं। इसलिए उन्हें सामान्यतया अपने कार्य स्थान पर चौबीसों घंटे नहीं रुकना पड़ता है। निश्चित घंटे की ड्यूटी करने के बाद वे अपने निवास स्थानों पर चले जाते हैं। इसलिए ऐसी डयूटी पर आने वाले कर्मचारियों के लिए स्नान की सुविधा देना जरूरी नहीं है। टेलीफोन एक्सचेजों कैरियर स्टेशनों और दूसरे कर्मचारियों से युक्त रिपीटर स्टेशनों में स्नान की सुविधा देने के बारे में कोई भी प्रस्ताव इस समय विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। एकत्र हो जाने पर यह प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) सभी एक्सचेंजों कैरियर स्टेशनों, कर्मचारियों के युक्त रिपीटर स्टेशनों और माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशनों में टायलेटों और वाश बेसिनों की व्यवस्था कर दी गई है। उन रिपीटर स्टेशनों में, जहां कर्मचारी नहीं होते, टायलेट की सुविधाएं आमतौर पर नहीं दी जातीं। स्नान की सुविधा देने में कितना व्यय आएगा यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(घ) ऊपर (क) में इसका उत्तर पहले ही दे दिया गया है।

फिलिप्स इण्डिया द्वारा माइक्रोफोनों तथा ट्रांसरिसीवरों का निर्माण

7968. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक नीति, संबंधी अपने संकल्प के विरुद्ध फिलिप्स इंडिया को व्यावसायिक वर्ग के माइक्रोफोनों तथा ट्रांस-रिसीवरों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिया है ;

(ख) क्या उक्त लाइसेंस के लिए कुछ भारतीय फर्मों ने भी आवेदन किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं और ऐसी विदेशी फम को ही लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :
(क) से (ग) व्यावसायिक (प्रोफेशनल) ग्रेड माइक्रोफोन बनाने के संबंध में मेसर्स फिलिप्स इंडिया

का एक आवेदन पत्र विचाराधीन है। यह मद (आइटम) पब्लिक सेक्टर के लिए औद्योगिक नीति संकल्प के अंतर्गत आरक्षित नहीं है। इस मद के लिए और किसी फर्म से कोई भी अर्जी प्राप्त नहीं हुई है।

अक्तूबर, 1962 के राष्ट्रीय आपात काल की स्थिति के बाद रक्षा मंत्रालय ने 1963-64 में "ट्रांसरिसीवरों" सेटों का उत्पादन करने के लिए फिलिप्स इंडिया के आर्डर लेने के लिए कम्पनी के नाम एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था। यह आर्डर खासतौर पर 1800 बेतार (वायरलेस) सेट प्रतिवर्ष के लिए रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था। अन्य प्रकार के "ट्रांसरिसीवर" तैयार करने के लिए सरकार ने उनकी बाद की अर्जी इस बात पर रद्द कर दी थी कि यह मद औद्योगिक नीति संकल्प में केवल सार्वजनिक सेक्टर के लिए आरक्षित है।

"ट्रांस-रिसीवरों" के लिए भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर और इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद (जो दोनों ही केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक संस्थान हैं) को भी लाइसेंस दिए गए हैं और पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम और हरयाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम को जो दोनों ही राज्य सरकार के सार्वजनिक संस्थान हैं, को आशय-पत्र (लेटर आफ इंन्टेन्ट) जारी किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम की एक अर्जी विचाराधीन है और जब कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने जो पहले इस मद के लिए दी थी वापिस ले ली है। चूंकि आई० पी० आर० के अन्तर्गत यह मद सार्वजनिक सेक्टर के लिए आरक्षित है, अतः अन्य किसी निजी सेक्टर की फर्म से कोई भी अर्जी नहीं आई है।

TEMPORARY EMPLOYEES IN THE MINISTRY

7969. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5376 on the 19th December, 1973 regarding temporary employees in the Ministry and state;

(a) whether information has since been collected;

(b) if so, the facts thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached. [*Placed in Library. See No. L.T.* 6816/74.]

उत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा विवाद

7970. श्री मान सिंह भौरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री दोनों राज्य के बीच सीमा विवाद को उनको सौंपने को सहमत हो गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा का एक भाग जमुना नदी के गहरे पानी की धारा निश्चित की गई है और यह गहरे पानी की धारा की सीमा बदलती रहती है। अतः गहरे पानी की धारा वाली सीमा के बदले एक निश्चित सीमा बनाने के प्रश्न पर दोनों राज्य सरकारें विचार कर रही हैं। तथापि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मध्यस्थताकर्ता की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है। मामला विचाराधीन है।

IMPLEMENTATION OF THE RECOMMENDATIONS MADE IN THE ELEVENTH CONFERENCE OF STATE INFORMATION MINISTERS HELD IN NEW DELHI

7971. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state the steps since taken to implement the recommendations made in the eleventh Conference of State Information Ministers held in New Delhi in December, 1972 and the recommendations implemented by each State indicating the dates on which they were implemented or the time by which they are proposed to be implemented.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : The recommendations made at the Eleventh Conference of State Ministers of Information held in December, 1972 were circulated to all concerned in February, 1973 and a statement of the action taken thereon is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. L.T.* 6817/74.]

GRANT OF PENSION TO FREEDOM FIGHTERS FROM RAJASTHAN

7972. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number and the names of the freedom fighters of Rajasthan from whom applications for the grant of pension have been received, district-wise;

(b) the names of those freedom fighters among them, whose applications have been accepted and the amount of pension proposed to be given to each of them; and

(c) the number of pending applications as also the names of the freedom fighters whose applications are pending, District-wise ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : (a) to (c) The readily available information is given in the attached Statement. It is not possible to give the names and amount of pension in each case.

SNTATEMENT

Statement showing number of applications received, approved for Grant of Pension and Pending for want of Clarification.

Sl. No.	Name of District	No. of applications received	No. of cases approved for grant of pension	No. of cases pending for want of requisite information
1.	Ajmer	169	80	55
2.	Alwar	91	39	41
3.	Barmer	2	2	—
4.	Bundi	8	2	4
5.	Banswara	13	6	2
6.	Bharatpur	177	59	54
7.	Bikaner	21	7	10
8.	Bhilwara	59	15	23
9.	Chitargarh	29	6	13
10.	Churu	67	20	24
11.	Dungarpur	1	1	—
12.	Ganganagar	121	19	85
13.	Jaipur	170	64	59
14.	Jodhpur	99	53	20
15.	Jhunjhunu	203	81	118
16.	Jhalawara	10	2	5
17.	Kota	18	5	11
18.	Nagour	20	1	17
19.	Pali	12	3	5
20.	Sikar	27	9	11
21.	Sawai Madhopur	19	3	15
22.	Siroli	17	9	5
23.	Tonk	3	1	—
24.	Udaipur	107	32	39
	TOTAL	1463	519	616

औद्योगिक लागत और मूल्य सम्बन्धी ब्यूरो

7973. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य संबंधी ब्यूरो इस समय किन-किन विषयों का अध्ययन कर रहा है ; और

(ख) उक्त अध्ययनों के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस० बी० राना) : (क) औद्योगिक मूल्य तथा लागत ब्यूरो इस समय निम्नलिखित वस्तुओं के अध्ययन में लगा है :—

(1) निम्नलिखित वस्तुओं का मूल्य-लागत अध्ययन :—

वाणिज्यिक गाड़ियां (3 मी० टन क्षमता से कम) जिनमें जीपें भी सम्मिलित हैं, रासायनिक वस्तुएं जैसे प्थैलिक एनहाइड्राइड, नाइट्रोबेंजीन एनीलीन तथा संश्लिष्ट प्रक्षालक और विभिन्न प्रकार के कागज ।

(2) विभिन्न प्रकार की मूल औषधियों तथा फार्मूलेशनों संबंधी मूल्यों की जांच।

(3) कागज, चीनी और सीमेंट मशीनों का निर्माण कर रहे उद्योगों का तकनीकी आर्थिक अध्ययन।

(ख) यह ठीक-ठीक कहना संभव नहीं है कि ये अध्ययन कब तक पूरे हो जाएंगे। विभिन्न एककों से मूल्य तथा आंकड़े के समय पर प्राप्त होने पर ही यह आधारित होगा। सामान्यतया आवश्यक आंकड़ों के उपलब्ध हो जाने के पश्चात् ब्यूरो इनका अध्ययन चार महीनों में कर लेता है।

कोर्ट की स्टाम्प पर अंकित ब्रिटिश ताज

7974. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव**
श्री वसंत साठे : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 1974 के समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 27 वर्षों के पश्चात् भी भारत में ब्रिटिश ताज का अब भी प्रभाव है; अशोक सिंहों को राजस्थान में अभी अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना है जहां कोर्ट की स्टाम्पों पर जार्ज षष्ठम का अनुचित्र अंकित है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया है कि ताज वाले ऐसे स्टाम्पों की विक्री वन्द की जाए और उन्हें स्टाम्प बेचने वालों से वापस ले लिया जाए।

जम्मू और काश्मीर में सी० आई० ए० की गतिविधियां

7975. **श्री वीरेन्द्र सिंह**
श्री बनमाली बाबू : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1974 के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी सेंट्रल इन्टेलिजेंस एजेंसी द्वारा जम्मू और कश्मीर में अशांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार ने सम्बद्ध समाचार देखा है। जापान की हिमालयन अलपाइन एसोसिएशन ने जम्मू व कश्मीर में जापानी लोगों

के लिए एक केन्द्र तथा एक युवा व पर्वतारोही छात्रावास बनाने के लिए जम्मू तथा कश्मीर सरकार से अनुमति मांगी है। मामला विचाराधीन है।

त्रिपुरा में टेलीफोन सेवा

7976. **श्री बीरेन दत्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या त्रिपुरा के डाक तार विभाग द्वारा ट्रंक कालों और अन्तर्देशीय कालों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) त्रिपुरा के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों (अगरतला का मुख्य एक्सचेंज और राज्य के 12 दूसरे छोटे एक्सचेंज) में स्थानीय और ट्रंक कालें संतोषजनक ढंग से लगाई जाती हैं। कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से नवम्बर के अन्त से दिसम्बर 1973 के मध्य तक करीब एक पखवाड़े की छोटी अवधि में इन एक्सचेंजों के कार्यकरण में कुछ ह्रास आ गया था।

अगरतला उपरले ट्रंक मार्गों के जरिए शिलांग और दूसरे छोटे एक्सचेंजों से जुड़ा हुआ है। दुर्गम भूभाग होने के कारण, जिसमें भू-स्खलन भी बार-बार होते हैं, इस इलाके की दूर संचार सेवाएं कभी-कभी छिन्न-भिन्न हो जाती हैं। यदा-कदा आने वाले इन व्यवधानों के अलावा ट्रंक सेवाएं संतोषजनक रहती हैं।

अगरतला को शिलांग से जोड़ने वाला एक माइक्रोवेव लिंक स्थापित किया जा रहा है और इसके शीघ्र ही चालू हो जाने की संभावना है। इस लिंक के चालू हो जाने के बाद अगरतला माइक्रोवेव/को-एक्सियल मार्गों के जाल से जुड़ जाएगा और त्रिपुरा से शेष भारत के लिए ट्रंक-यातायात की कुशलता में पर्याप्त सुधार हो जाएगा।

त्रिपुरा में डाक-तार कर्मचारियों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिया जाना

7977. **श्री बीरेन दत्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के डाक-तार कर्मचारियों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या चालू वर्ष के लिए इसकी मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस समय नहीं। वित्त मंत्रालय की स्वीकृति से 28-2-73 तक इसका भुगतान किया जा रहा था।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

त्रिपुरा में डाक-तार कर्मचारियों को बाढ़ भत्ते का भुगतान

7978. **श्री बीरेन दत्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के डाक-तार कर्मचारियों को बाढ़ भत्ता मंजर किया गया था ; और

(ख) यह कब मंजूर किया गया था और इसके अब तक न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) नियमों के अन्तर्गत, बाढ़ भत्ते की मंजूरी की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, त्रिपुरा में जिन कर्मचारियों को बाढ़ के कारण नुकसान हुआ था उनके लिए 21-12-1973 को एक महीने की तनखाह के बराबर, जोकि 500 रुपए तक सीमित था, अग्रिम मंजूर किया गया था। इस अग्रिम रकम की अदायगी उन सभी आवेदकों को दी जा चुकी है जो इसे पाने के पात्र थे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की इन्सपेक्टरों के पदों पर पदोन्नति

7979. **श्री शशि भूषण**
श्री नवल किशोर सिंह : क्या **गृह** मंत्री 19 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5365 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सपेक्टरों के पदों पर भर्ती के लिए 86 सब-इन्सपेक्टरों के नामों की सूची में सम्मिलित अनुसूचित जातियों के 6 व्यक्ति अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के अनुरूप पूरे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस बात को देखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने हैं कि उनके लिए आरक्षित कोटा पूरी तरह भरा जाए; और

(ग) क्या इस संबंध में दिल्ली प्रशासन से जो स्पष्टीकरण मांगा गया था वह इस बीच प्राप्त हो गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि आरक्षित रिक्तियां आगे ले जाते हुए आगामी भर्ती वर्ष में डाल दी गई हैं और अनुसूचित जातियों के पात्र तथा उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध होते ही उन्हें भर दिया जाएगा।

भारत रक्षा नियम तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों तथा मिलावट करने वालों की गिरफ्तारी

7980. **श्री शशिभूषण**
श्री भोगेन्द्र झा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि में (1) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम, और (2) भारत रक्षा नियम के अधीन राज्य-वार कितने मिलावट व जमाखोरी करने वालों और व्यापार में कदाचार करने वाले अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ;

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) सरकार ने मिलावट, जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों से निपटने के लिए अन्य क्या उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राज्य सरकारों को विभिन्न खाद्यान्न नियंत्रण आदेशों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने, कालाबाजारी करने वालों तथा जमाखोरी करने वालों से निपटने के लिए अपनी मशीनरी को मजबूत करने, सरकार द्वारा निर्धारित स्टाक सीमाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने और जहां आवश्यक हो, जमा किए गए स्टाक बाहर निकालने के उद्देश्य से भारत रक्षा नियम तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने का परामर्श दिया गया है। सरकार उपबन्धों को अधिक कारगर तथा कठोर बनाने व अपराधियों को अधिक सख्त सजाएं देने के लिए अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम, 1955 और खाद्यान्न मिलावट निरोधक अधिनियम 1954 में संशोधन करने के प्रश्न की भी जांच कर रही है।

दिल्ली पुलिस में सब-इन्सपेक्टरों की पदोन्नति

7981. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में सब-इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर के पद पर पदोन्नति के समय प्रत्याशी की प्रवरता पर ध्यान नहीं दिया जाता और प्रवर व्यक्तियों के अर्हता-प्राप्त होते हुए और उनके सेवा रिकार्ड के संतोषजनक होते हुए भी चयन 'जिसको चाहो--चून लो' आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो 1966 के अनुसूचित जातियों के सब-इन्सपेक्टरों की उपेक्षा करके इन्सपेक्टरों के पदों पर पदोन्नति के लिए 1967 के व्यक्तियों का चयन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सेवा-रिकार्ड के सन्तोषजनक होने पर प्रवरता के नियम का कड़ाई से पालन किया जाए जिससे कि असन्तोष हट सके ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस में इन्सपेक्टर के पद में पदोन्नति के लिए मानदण्ड पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 7 के अधीन बनाए गए पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 13.1 के उप-नियम (1) में निर्धारित है, और दिल्ली में लागू किया गया। नियम की भाषा इस प्रकार है :--

"एक रैंक से दूसरे रैंक में और उसी रैंक में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नतियां वरीयता से संयमित चयन द्वारा की जाएंगी। दक्षता और ईमानदारी चयन की नियंत्रण करने वाले मुख्य तथ्य होंगे। पास किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के रूप में विशेष अर्हताओं अथवा व्यावहारिक अनुभव पर प्रत्येक मामले में सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। जब दो अधिकारियों की अर्हताएं अन्यथा समान हों, तो वरिष्ठ को पदोन्नत किया जाएगा। यह नियम किसी समयमान के भीतर वेतन वृद्धियों को प्रभावित नहीं करता।"

दिल्ली के पुलिस के महानिरीक्षक की अध्यक्षता में और सदस्यों के रूप में दो पुलिस उप-महानिरीक्षकों की एक विभागीय पदोन्नति समिति सांविधिक मानदण्ड के अनुसार ऐसी नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करती है। विभागीय पदोन्नति समिति ने, जिसकी बैठक 28 और 31 अगस्त, 1973 को हुई, योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों का चयन किया। अनुपयुक्त पाए गए व्यक्तियों को छोड़ दिया गया।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना

7982. **स्वामी ब्रह्मानन्द जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और पते क्या हैं जिनकी विधवाएं तथा आश्रित लोग केन्द्रीय सरकार से प्रति माह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और उन पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा पते क्या हैं;

(ख) उन शहीदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम तथा अन्य ब्योरे क्या हैं जिनकी विधवाएं अथवा आश्रित व्यक्ति भी केन्द्रीय सरकार द्वारा पेंशन की मंजूरी दिए जाने के बाद परलोक सिधार गये हैं और इनमें से प्रत्येक द्वारा कितनी अवधि तक पेंशन प्राप्त की गई है; और

(ग) उन शहीदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, आयु, पते तथा अन्य ब्योरे क्या हैं जिनकी विधवाएं अथवा आश्रित लोगों को केन्द्रीय सरकार से बिल्कुल कोई पेंशन नहीं मिली है तथा वे अपने आवेदन-पत्रों को देने के बाद मर गए हैं, पेंशन आवेदन-पत्र किस तारीख को दिया गया तथा प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु किस तारीख को हुई ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) पूछी गई सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। तथापि 31-3-1974 तक प्राप्त 1,98,093 आवेदन-पत्रों में से 1,19,373 आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से निपटा दिए गए हैं। इनमें पेंशन प्रदान करने के लिए स्वीकृत किए गए 76,651 आवेदन-पत्र अस्वीकृत किए गए, 28,615 आवेदन-पत्र और काफी समय से अपेक्षित सूचना न मिलने पर फाइल कर दिए गए, 14,107 आवेदन-पत्र शामिल हैं। 78,720 मामले विचाराधीन हैं क्योंकि वे अधूरे हैं। पैंशन प्राप्तकर्ताओं की मृत्यु की सूचना मिलने पर स्वतंत्रता सेनानियों के पात्र जीवित आश्रितों अथवा उनकी विधवाओं को पेंशन स्वीकृत करने की तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

PAYMENT OF DEARNESS ALLOWANCE TO E.D.M.C.

7983. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Extra Departmental Mail Carriers have demanded increase in Dearness Allowance;

(b) whether a number of these carriers in Mandaur District in Madhya Pradesh have not been given the increased amount with effect from 1st August, 1972 and 1st October, 1973; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (PROF. SHER SINGH) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

बड़े उद्योगों के निर्यात प्रधान उद्योगों में प्रवेश के विरुद्ध लघु उद्योगों का अभ्यावेदन

7985. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े उद्योगों को निर्यात के नाम पर उनके लिए आरक्षित उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति है; और

(ख) यदि हां, तो क्या लघु उद्योगों ने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं की नई क्षमता उत्पन्न करने अथवा उनका विस्तार करने के लिए लघु एककों के अलावा अन्य एककों के बारे में भी विचार किया जा सकता है यदि वे नये अथवा अतिरिक्त उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत निर्यात करने का उत्तरदायित्व लें। फिर भी, यह सुनिश्चय करना होगा कि

देश में बिक्री के लिए स्वीकृत मात्रा इतनी अधिक न हो कि लघु एककों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इस सम्बन्ध में कोई भी सामान्य अभ्यावेदन नहीं मिला है किन्तु जब कभी ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो प्रत्येक मामले में उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

मुन्नार, अट्टापड्डी, कासरघाट और वायनाद में जनजातियों के विकास के लिये केरल सरकार की योजना

7986. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मुन्नार, अट्टापड्डी, कासरघाट और वायनाद में जनजातियों के विकास के लिए एक योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केरल सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान 70 करोड़ रुपये की लागत के विशेष क्षेत्र तथा आदिवासी विकास कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है :—

	(रु० करोड़ों में)
1. इदिक्की	9.82
2. अट्टापाडी	5.60
3. मालापुरम	10.16
4. विनाड (उत्तर तथा दक्षिण)	10.15
5. कपारागोड़	5.00
6. पश्चिमी घाट क्षेत्र	20.00
7. अदीतिव रोजगार योजनाएं	10.00
जोड़	70.73

(ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पालघाट (केरल) में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के एकक की स्थापना

7987. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पालघाट, केरल में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के एकक की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) एकक के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) आई० टी० आई० का एक कारखाना पालघाट में स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय हाल ही में लिया गया है। कारखाना स्थापित करने के लिए आई० टी० आई० आवश्यक कार्यवाही कर

रही है, यथा राज्य सरकार से जमीन का कब्जा लेने, इमारतों आदि के डिजाइन तैयार करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हो रही है। कारखाने की स्थापना के कार्यक्रम में कोई देरी नहीं हुई है।

प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटस प्रोजेक्ट, पालघाट के लिये स्वतन्त्र दर्जा

7988. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स प्रोजेक्ट, पालघाट को स्वतंत्र दर्जा प्रदान करने के बारे में विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैज्ञानिक तथा आर्थिक विकास के लिए समन्वित योजना

7989. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक तथा आर्थिक विकास के लिए समन्वित योजना बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित चुने हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को शामिल करने के बाद, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अभिन्न अंग के रूप में एक व्यापक विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना तैयार की गई है।

(ख) सभा पटल पर पहले से प्रस्तुत पाचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप (1974-79) भाग-2 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्याय तथा अन्य सम्बद्ध क्षेत्रीय अध्यायों में मुख्य बातें बताई गई हैं।

इन्डियन टेलिफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर में विदेशी साम्य पूंजी का सरकारीकरण

7990. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या संचार मंत्री इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर में विदेशी साम्य पूंजी का सरकारीकरण 14 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 594 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले पर इस बींच विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

कागज उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास एकक

7991. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या कागज उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास एकक की स्थापना का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच इस मामले में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां। कागज और लुगदी उद्योगों के लिए एक अनुसंधान और विकास बोर्ड स्थापित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

(ख) इस मामले में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिये जाने की आशा है।

(ग) बोर्ड की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:—

(1) अनुसंधान और विकास कार्यों का समन्वय करने और अनुसंधान और विकास के सम्बन्ध में सामान्य नीति निर्धारण करना;

(2) विभिन्न अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को धन देना;

(3) देश में विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं जिनमें स्थापित किये जाने वाला प्रस्तावित केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान भी शामिल है के अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए धन देना; और इसके द्वारा इकट्ठे किये गये उपकर से इस प्रकार के अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए आवश्यक धन राशि प्रदान करना;

(4) अनुसंधान संस्थाओं के कार्यकरण को अवगत कराना;

(5) विभिन्न अनुसंधान संगठनों में विद्यमान सुविधाओं को बढ़ाना।

टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए नये टेलीफोन उपकरण की व्यवस्था

7992. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये टेलीफोन उपभोक्ता को नया टेलीफोन उपकरण दिया जाता है;

(ख) क्या वर्ष 1972 में कनाट प्लेस एक्सचेंज द्वारा नये उपभोक्ताओं को पुराने और मरम्मत किये हुए टेलीफोन उपकरण सप्लाई किये गये थे; और

(ग) क्या उन पुराने और मरम्मत किये हुए टेलीफोन उपकरणों को नये उपकरणों से बदला जाएगा क्योंकि वे सामान्यतया खराब होते हैं यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) जब भी कोई नया कनेक्शन खोला जाता है, तो उस समय एक अच्छा और पूरी तरह सेवा के योग्य टेलीफोन यंत्र लगाया जाता है। ऐसे यंत्र कभी-कभी तो बिल्कुल नये होते हैं और कभी पूरी तरह जांचे हुए और मरम्मत किए हुए होते हैं। दोषपूर्ण सभी टेलीफोन यंत्रों की हमेशा मरम्मत की जाती है या उन्हें बदल दिया जाता है। टेलीफोन कनेक्शन बन्द होने या उनकी शिफ्टिंग

होने पर उपभोक्ताओं के यहां से जो सेवा के योग्य टेलीफोन यंत्र वापस आते हैं, उन्हें दुबारा इस्तेमाल में अवश्य लाया जाता है।

प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड का विस्तार

7993. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड ने कोका कोला से फैन्टा आरेंज और फैन्टा ग्रेप ब्रांड के बोतल बन्द पेय पदार्थों के अपने उत्पादन में विविधकरण और विस्तार की अनुमति सरकार से मांगी थी और प्राप्त कर ली थी;

(ख) क्या ये पदार्थ बनाने से कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन की देश से बाहर भेजे जाने वाली राशि में वृद्धि हो गई है; और

(ग) क्या आरेंज और ग्रेप स्वाद के पेय पदार्थों के उत्पादन क्षेत्र में इस विदेशी कम्पनी का पदार्पण देश के विकास के लिए आवश्यक है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) एक शत प्रतिशत भारतीय कम्पनी है जिसके पास कोका कोला सहित हल्के पेय की बोतलें तैयार करने का औद्योगिक लाइसेंस है। इसके लिए अलग से और किसी अनुमति की न तो आवश्यकता है और न ही फैन्टा आरेंज तथा फैन्टा ग्रेप नाम के बोतल बन्द पेयों का उत्पादन करने के लिए उन्हें कोई अनुमति दी गई है।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) पेय सान्द्रण (कन्सेन्ट्रेट) बनाना एक गैर-अनुसूचित तथा गैर-प्राथमिकता वाला उद्योग है जिसके लिए समुचित प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं और विदेशी मुद्रा आवंटन तथा मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा धन भेजने पर प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं।

ऊर्जा संकट संबंधी समस्याओं पर अनुसंधान

7994. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद को ऊर्जा-संकट सम्बन्धी समस्याओं पर अपनी सम्बद्ध प्रयोगशालाओं में अनुसन्धान करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी अनुसन्धान परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं और किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों में; और

(ग) इस परिषद की प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकी ज्ञान के आधार पर कौन-कौन से औद्योगिक एकक काम कर रहे हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित पर जोर दिया जा रहा है और प्राथमिकता दी जा रही है :--

(1) कोयला से ईंधन गैस और तरल ईंधन का उत्पादन पैट्रोलियम उत्पादों के स्थानापन्न रूप में करने के लिए मुख्य स्वदेशी साधनों का उपयोग।

(2) व्यर्थ को कम करने में और कार्यक्षमता में सुधार करने के द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग में रक्षण करना।

(3) ऊर्जा साधनों का उपयोगिता के लिए दीर्घकालीन कार्यक्रम (एम० एच० डी०) सौर ऊर्जा, जियोथरमल ऊर्जा, पवनशक्ति ;

(4) ईंधनों का उत्पादन (गैसीय और द्रवीय) व्यर्थ पदार्थों द्वारा।

(ग) स्थिति इस प्रकार है :—

(I) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर० आर० एल०) हैदराबाद

नौन-केकिंग कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण :

पब्लिक इनवैस्टमैन्ट बोर्ड ने इस प्रविधि के आधार पर प्रथम संयंत्र स्वीकृत कर दिया है और इसका विकास करने के लिए सिंगरैनी कोलैरीज को कार्य सौंपा है जब तक कि कोई नई कम्पनी बनेगी।

(II) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून

(i) प्रयोग किए हुए लुबरीकेटिंग तेल को साफ करने का लाइसैन्स छब्बीस पर्टियों को दिया गया है।

(ii) डिसटीलैट (आपसुत) ईंधनों का हाईड्रोसलफयुराइजेशन करने का लाइसैन्स पांच पार्टियों को दिया गया है जिसमें से कार्यरत हैं।

(iii) नेप्था के उत्प्रेरक सुधारों के लिए दो पार्टियों को लाईसैंन्स दिया गया है लेकिन उत्पादन अभी प्रारम्भ करना है।

(iv) पाइरोलाइसिए गैसोलीन का हाईड्रोजनीकरण—एक पार्टी को दिया गया है।

(v) श्वेत तेलों का उत्पादन—एक पार्टी को लाइसैन्स दिया गया है।

(vi) क्रूड आईल बौटम टैन्क से माईक्रोक्रिस्टैलाइन मोम (वैक्स) का उत्पादन—एक पार्टी को लाइसैन्स दिया जा रहा है।

(III) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की

सोलर हीटर : एक पार्टी को दे दिया गया है और दूसरी पार्टी को दिया जा रहा है।

(IV) केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर

विस्तृत अभिकल्प (ड्रोइंग्स) आदि चार पार्टियों को दिया गया है जो सोलर भभंकी (सोलर स्टिल) का निर्माण अपने प्रयोग के लिए करेंगी।

लघु प्लास्टिक उद्योग का बन्द होना

7995. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि 1974-75 के बजट प्रस्तावों के बाद प्लास्टिक के कच्चे माल के निर्माताओं ने अपनी बिक्री और सप्लाई बन्द कर दी है।

(ख) यदि हां, तो क्या इससे केवल पश्चिमी बंगाल में ही प्लास्टिक का समान बनाने वाले लघु उद्योग निकट भविष्य में बन्द हो जाने की स्थिति का समाना कर रहे हैं और लगभग 50,000 व्यक्तियों के बेरोजगार हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) निर्माताओं द्वारा प्लास्टिक के कच्चे माल की बिक्री व सप्लाई को बन्द कर दिए जाने की सूचना सरकार को नहीं मिली है।

(ख) तथा (ग) यह सही है कि प्लास्टिक के कच्चे माल की आमतौर पर कमी है। प० बंगाल में स्थित छोटे कारखानों सहित सभी छोटे कारखानों को उपलब्ध होने पर कच्चे माल के अतिरिक्त आवन्टन के लिए सरकार प्रयास कर रही है।

Number of permanent and Temporary Central Government Employees

7996. **Shri Jagannathrao Joshi :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total number of Central Government employees ; and

(b) the number of those among them who are permanent and also of those who have rendered 10, 20 and 25 years or more service separately but have not been declared permanent so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel : (Shri Ram Niwas Mirdha) (a) The Directorate General of Employment and Training Ministry of Labour and Rehabilitation, collects and compiles annually statistics regarding permanent and temporary employees of the Central Government for inclusion in the "Census of Central Government Employees". According to the Census as on 31st March, 1971 the figures of Permanent and temporary employees under the Central Government were as follows:—

Year	Total No. of Employees	Permanent	Temporary	Percentage of permanent employees to total No. of employees.
31-3-1971	26,98,657	19,99,946	6,98,711	74·1

(b) Break up of the number of temporary Government servants according to number of years of service put in by them is not readily available. However, in this Connection, it may be mentioned that confirmations of temporary Central Government employees are made by the competent authorities under the various Ministries/Departments of the Government of India against vacancies which might arise in permanent posts or on the conversion of temporary post into permanent ones. There is no provision that a temporary Government servant must be made permanent after completion of a certain number of years of service. Also the position in each establishment varies depending upon whether it is a permanent or a purely temporary establishment. Accordingly, the information sought in the question is not being collected and maintained

गुजरात और बिहार में दंगा भड़काने वाली शक्तियां

7997. **श्री जगन्नाथ राव जोशी**
श्री नरेन्द्र सिंह } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में गुजरात और बिहार में हाल के उपद्रवों में हिंसा, आगजनी और लूट-पाट करने के लिए विधि न्यायालयों द्वारा कितने व्यक्तियों को सजा दी गई;

(ख) इनमें से कितने सजा पाए हुए व्यक्ति विभिन्न राजनीतिक दलों के अथवा गैर-राजनीतिक दलों के सदस्य थे;

(ग) ऐसे दल कौन-कौन से हैं और प्रत्येक दल से सम्बन्धित ऐसे कितने व्यक्ति हैं;

(घ) गुजरात/बिहार में हिंसा, आगजनी अथवा लूट-पाट करने के लिए गिरफतार किए गए संसद् सदस्यों अथवा विधान-सभा सदस्यों अथवा विधान परिषद् सदस्यों के नाम क्या हैं; और वे किस दल से सम्बद्ध हैं; और

(ङ) "सर्चलाइट" के पटना कार्यालय पर आक्रमण करने वाली भीड़ के नेतागण किस राजनीतिक दल अथवा छात्र संगठन के हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ङ) संबंधित राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिंसा के कार्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारतीय कम्यूनिस्ट दल के हाथ होने सम्बन्धी मामले

7998. **श्री जगन्नाथ राव जोशी**
श्री नरेन्द्र सिंह } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे मामलों का पता है जहां विधि न्यायलयों ने निर्णय किया है कि प्रत्येक राज्य में हिंसा के कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिम्मेदार हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार को ऐसे मामलों का भी पता है जहां प्रत्येक राज्य में हिंसा के कार्यों के लिए भारतीय कम्यूनिस्ट दल के सदस्यों को दोषी ठहराया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

पांचवीं योजना में वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं की क्रियान्वित के लिए राज्यों का आवंटन

7999. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजीविका के साधन विहीन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन देने सम्बन्धी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को धन का आवन्टन किया है; और

7—M296 LSS/74

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धन राशि का आवन्टन किया गया है और इस उद्देश्य के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए राज्यों को पांचवीं योजना में धन उपलब्ध करने का केन्द्रीय सरकार का कोई विचार नहीं है। फिर भी, राज्यों को सलाह दी जा रही है कि राज्यों को समाज कल्याण क्षेत्र के लिए उनकी राज्य योजनाओं में जो आवंटन किया जा रहा है, उसके अन्दर वे ऐसी योजनायें शामिल करें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलाई की घड़ियों का मूल्य

8000. **श्री बेकारिया :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घड़ियों का उत्पादन करने का लाइसेंस देते समय कलाई घड़ियों के मूल्य की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस वार उनका क्या मूल्य निर्धारित है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में कलाई घड़ी एक उद्योग के रूप में शामिल नहीं है, अतएव किसी भी पार्टी को कलाई घड़ियां हेतु बनाने कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। विभिन्न पार्टियों की योजनाओं के सम्बन्ध में स्वीकृतियां देते समय सरकार ने कलाई घड़ियों के मूल्य विषयक की सीमा नियत नहीं की है।

कलाई घड़ी कारखाने की स्थापना के लिए तस्कर व्यापारी से लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र

8001. **श्री बेकारिया :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक कुख्यात तस्कर व्यापारी ने भारत में विदेशी सहयोग से कलाई घड़ी कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस हेतु कोई आवेदन-पत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में घड़ियां बनाने का उद्योग सम्मिलित नहीं है, अतएव कलाई घड़ी कारखाने की स्थापना करने हेतु कोई लाइसेंस लेना अपेक्षित नहीं है।

विदेशी सहयोग तथा पूंजीगत माल के आयात हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों से यह ज्ञात करना सम्भव नहीं है कि क्या कोई आवेदक तस्कर भी है और ऐसी भी कोई जानकारी नहीं है कि कोई आवेदनकर्ता जिसकी योजना स्वीकृत की गई है तस्कर है।

जूनागढ़ (गुजरात) में उद्योग लगाने के लिए आवेदन

8002. **श्री बकारिया :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जूनागढ़ के पिछड़े जिलों में उद्योग लगाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) ये आवेदन किन-किन उद्योगों के लिए हैं और प्रत्येक आवेदन किस तारीख को मिला था;

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) अभी तक कितने आवेदन विचाराधीन हैं; और उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (घ) औद्योगिक विकास मन्त्रालय में रखे गए रिकार्ड के अनुसार औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय को जून 1971 तक जिला जूनागढ़ (गुजरात) में उद्योग स्थापित करने के लिए सात पूरे आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। निपटाये गए आवेदन-पत्रों का विवरण संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है। दो अनिर्णीत आवेदनों को निपटाने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयास किया जा रहा है। अनिर्णीत आवेदनों के विवरण आम तौर पर प्रकट नहीं किए जाते हैं।

विवरण

जिला जूनागढ़ में नए उपक्रम स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदन।

क्र० सं०	सी०एल०पी० संख्या और दिनांक	उपक्रम का नाम	निर्माण की वस्तु	स्थिति
1.	171/सी०एल० पी०/71 21-1-1971	मे० दीपक इण्डस्ट्रीज, जूनागढ़	वनस्पति घी	प्रथम दृष्टया रद्द करने का पत्र 11-1-1972 को जारी किया गया था।
2.	1619/सी०एल० पी०/72 2-8-1972	मे० गुजरात एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, अहमदाबाद	अमचुर, चीकू का पाउडर, केले का पाउडर आदि	आशय पत्र 26-2-73 को जारी किया गया था।
3.	385/सी०एल० पी०/73 24-2-1973	दि गुजरात स्टेट फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०	सूती धागे	औद्योगिक लाइसेंस 17-10-73 को जारी किया गया था।
4.	246/सी० एल० पी०/73 22-10-1973	स्वतन्त्र मिनरल्स प्रा० लि०, पोरबन्दर	सफेद सीमेंट	आशय पत्र 6-4-74 को जारी किया गया।
5.	106/आई०एल० एस०/73 19-12-1973	गुजरात स्टेट फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, पोरबन्दर, जूनागढ़	सूती धागे	औद्योगिक लाइसेंस 30-3-1974 को जारी किया गया था।

Memorandum from Students of Gujarat given to President, Prime Minister and the Home Minister

8004. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the citizens and different groups of students of Gujarat had called on the President, Prime Minister and Home Minister in the capital sometime back and submitted a memorandum; and

(b) if so, the salient feature of the memorandum and the action taken by Government in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : (a) & (b) A delegation of the Navnirman Yuvak Samiti, Gujarat and a group of students of M. S. Rao University of Baroda presented memoranda to the President on the 6th and 9th March, 1974 respectively. No memorandum relating to Gujarat has been presented to the Prime Minister or the Home Minister by citizens or groups of students who have called on them. The memoranda contained, in the main, demands for (i) dissolution of the State Assembly; (ii) judicial enquiry into the police firings and the alleged police atrocities and compensation to the dependents of victims; and (iii) judicial enquiry into charges of corruption against the Chimanbhai Patel Ministry. Other demands have also been made such as provision of employment to persons cripped by police action, assured supply of minimum quantity of food and other essential commodities, housing and basic amenities to every family, medical aid to poor people, compulsory primary education, universalisation of college education, facilities for sports and extra-curricular activities and setting up of more polytechnics.

2. The Gujarat Assembly was dissolved on 15-3-1974. Regarding the demand for judicial enquiry into police firings and the alleged police atrocities, as stated by the Minister in the Ministry of Home Affairs while replying to the debate on a Call Attention Notice in the Lok Sabha on 21-2-1974, complaints received regarding alleged atrocities of police would be fully enquired into and if any one is found to be at fault, appropriate action will be taken against him. As regards compensation to the dependents of the victims of police firings, the State Government have reported that they are giving Rs. 500/- in addition to Rs. 5,000/- from the Chief Minister's Relief Fund. As regards judicial enquiry into charges of corruption against the former Ministers of Gujarat, if any specific allegations are received, the matter would be looked into in accordance with the usual procedure. As regards the demand for compulsory primary education, the State Government have reported that it is already free in the State. Appropriate action is being taken by the State Government, consistent with the resources position of the State, in regard to the other demands made in the memoranda.

New Telephone Directory for Patna

8005. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the date on which Telephone Directory was published last in Patna and the time by which its next issue will be out; and

(b) the period generally taken for the publication of telephone directory ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (PROF. SHER SINGH) : (a) The Telephone Directory for the exchanges in the Bihar P & T Circle and the Patna Telephone District was published last in February, 1974. The next issue is expected to be out early next year.

(b) About one year.

ALLOTMENT OF I.P.S. OFFICERS TO STATES

8006. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the criteria adopted for allotting I.P.S. officers in the States and the present number of such officers allotted, State-wise; and

(b) whether the knowledge of the regional languages of the States in which they are posted is necessary for them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) At present appointments to the Indian Police Service are made by the following methods, namely:

(i) Recruitment through the Combined Competitive Examinations and IAS etc. (Released EC/SSC Officers) Examinations; and

(ii) Promotion of State Police Service Officers.

In regard to the candidates recruited through method (i) above, not more than fifty per cent of the vacancies in the general as well as in the reserved quotas in a State Cadre/Joint Cadre are filled by 'insiders' and the balance by 'outsiders'.

Allocations against 'insider' vacancies in both the quotas are on the basis of rank and preference. The allocation of general male candidates against 'outsider' vacancies is based on a roster system. The allocation of the Scheduled Caste/Tribe and women candidates against the 'outsider' vacancies is based on rank and preferences.

A statement indicating the number of direct recruits in the various cadres as on 1-1-1974 is enclosed. Candidates recruited by method (ii) above remain in the Cadre under whose Government they have been serving.

(b) Knowledge of the regional languages of the States is not necessary for the purposes of allocation, but after a candidate is allocated to a State or to a Joint Cadre of a number of States, such knowledge is necessary and is imparted to the candidates.

STATEMENT

Statement showing the number of IPS Officers appointed on the results of the Combined Competitive Examinations and IAS etc. (Released EC/SSC Officers) Examinations, in the various State Cadres/Joint Cadres, as on 1-1-1974

Sl. No.	Name of Cadre	Number
1.	Andhra Pradesh	64
2.	Assam-Meghalaya	45
3.	Bihar	81
4.	Gujarat	54
5.	Haryana	26
6.	Himachal Pradesh	26
7.	Jammu & Kashmir	19
8.	Kerala	39
9.	Madhya Pradesh	133
10.	Maharashtra	100
11.	Manipur-Tripura	9
12.	Karnataka	59
13.	Orissa	72
14.	Punjab	49
15.	Rajasthan	61
16.	Tamil Nadu	54
17.	Union Territories	46
18.	Uttar Pradesh	154
19.	West Bengal	114
	TOTAL	1205

CRITERIA FOR ALLOTMENT OF I.A.S. OFFICERS TO STATES

8007. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the criteria adopted for allotting I.A.S. officers to the States, at present, and the present number of such officers allotted, State-wise; and

(b) whether knowledge of the regional languages of the States in which they are posted is necessary for them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL: (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) At present appointments to the Indian Administrative Service are made by the following methods, namely:

(i) Recruitment through the Combined Competitive Examinations and the Restricted I.A.S. etc. Examinations.

(ii) Promotion of State Civil Service Officers and Selection of non-State Civil Service Officers serving under the State Governments.

In regard to the candidates recruited through method (i) above, not more than fifty per cent of the vacancies in the general as well as in the reserved quotas in a State Cadre/Joint Cadre are filled by 'insiders' and the balance by 'outsiders'. Allocations against 'insider' vacancies in both the quotas is on the basis of rank and preference. The allocation of general male candidates against 'outsider' vacancies is based on a roster system. The allocation of the Scheduled Caste/Tribe and women candidates against 'outsider' vacancies is based on rank and preferences.

A statement indicating the number of direct recruits in the various Cadres as on 1-1-1974 is enclosed.

Candidates recruited by method (ii) above are allocated to the Cadre under whose government they have been serving.

(b) Knowledge of the regional languages of the States is not necessary for the purposes of allocations but after a candidate is allocated to a State or to a Joint Cadre of a number of States, such knowledge is necessary and is imparted to the candidate.

STATEMENT

Statement showing the number of I.A.S. Officers appointed on the results of the Combined Competitive Examinations and the Restricted I. A. S. etc. Examinations, in the various Cadres/ Joint Cadres as on 1-1-1974

Sl. No.	Name of Cadre	Number
1.	Andhra Pradesh	176
2.	Assam-Meghalaya	92
3.	Bihar	187
4.	Gujarat	136
5.	Haryana	81
6.	Himachal Pradesh	57
7.	Jammu & Kashmir	47
8.	Kerala	82
9.	Madhya Pradesh	200
10.	Maharashtra	207
11.	Manipur-Tripura	38
12.	Karnataka	129
13.	Nagaland	24
14.	Orissa	124
15.	Punjab	101
16.	Rajasthan	118
17.	Tamil Nadu	165
18.	Union Territories	91
19.	Uttar Pradesh	267
20.	West Bengal	176
	TOTAL	2498

TECHNICAL COOPERATION SOUGHT FROM OTHER COUNTRIES IN ROCKET LAUNCHING

8008. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of SPACE be pleased to state :

(a) the names of the countries from whom India is seeking technical cooperation in the fields of space study and rocket-launching; and

(b) the progress made so far in this direction ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS AND MINISTER OF SPACE (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) and (b) India has cooperative agreements and/or programmes with a number of countries including France, Federal Republic of Germany, Japan, U.K., U.S.A. and U.S.S.R. Details of the cooperative programmes and the progress made are available in the Annual Report of the Department of Space for the year 1973-74, copies of which are available in the Parliament Library.

महाराष्ट्र में समुद्र कटाव रोकने संबन्धी योजना

8009. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने चौथी योजना में महाराष्ट्र में समुद्र-कटाव रोकने सम्बन्धी कौन-कौन सी योजनाएं प्रायोजित की और केन्द्र ने किन-किन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी;

(ख) उन योजनाओं में से प्रत्येक पर केन्द्र सरकार ने कितना व्यय किया; और

(ग) केन्द्र द्वारा उक्त राज्य में समुद्री कटाव रोकने सम्बन्धी कौन-कौन सी योजनायें पांचवीं पंचवर्षीय योजन में प्रायोजित की जा रही हैं, किन-किन के लिए केन्द्र द्वारा सहायता दी जायेगी और कितनी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) चौथी योजना के दौरान राज्य सरकार द्वारा समुद्र-कटाव रोकने सम्बन्धी कोई स्कीम केन्द्र को वित्तीय सहायता के लिए प्रायोजित नहीं की गई थी। इसलिए केन्द्र द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्र द्वारा महाराष्ट्र में पांचवीं योजना के दौरान समुद्र-कटाव रोकने सम्बन्धी स्कीम के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने से सम्बधित राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

महाराष्ट्र में संकटग्रस्त कपड़ा मिलें

8010. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितनी और कौन-कौन सी मिलें संकटग्रस्त हैं और उन्हें केन्द्र अथवा राज्य की देखरेख में चलाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ख) प्रत्येक ऐसी मिल में इस समय कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और वर्ष 1971-72, वर्ष 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 के दौरान लाभ और हानि के विवरण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) : इस समय महाराष्ट्र में 12 ऐसे सूती कपड़ा उपक्रम हैं जिनका प्रबन्ध उद्योग (विकास

तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 तथा रुग्ण सूती कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1972 के अधीन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। महाराष्ट्र राज्य कपड़ा निगम द्वारा 21 तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा 1 उपक्रम चलाया जा रहा है जिसके लिए उनकी नियुक्ति प्राधिकृत नियन्त्रक/अभिरक्षक के रूप में कर दी गई है। इन उपक्रमों के नाम, उनकी उपस्थिति पंजी में दर्ज कर्मचारियों तथा 1971-72, 1972-73 एवं 1973-74 की अवधि में हुई लाभ हानि निम्नलिखित है :—

क्रमांक	उपक्रम का नाम	अभिरक्षक/ प्राधिकृत नियन्त्रक	उपस्थिति में दर्ज कर्मचारी	लाभ/हानि (रुपए लाखों में)
1	2	3	4	5
उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन				
1.	मांडल मिल्स नागपुर लिमिटेड, नागपुर	महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम	5183	गणन वर्ष (जुलाई-जून) 1971-72—059 1972-73—45.89 (अनन्तिम) 1973-74—12.70—वही— (फरवरी, 1974 तक)
2.	आर० एस० आर० सी० मेहता स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, लि० अकोला	—वही—	1993	गणन वर्ष (जुलाई-जून) 1971-72 (—) 12.19 1972-73 33.16 (अनन्तिम) 1973-74 38.62 —वही— (जनवरी, 1974 तक)
3.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड, बम्बई (6 एकक)	—वही—	16101	गणन वर्ष (जनवरी-दिसम्बर) 1971 (—) 435.25 1972 (—) 124.16 1973 (—) 4.08 (अनन्तिम)

1	2	3	4	5
9.	औरंगाबाद मिल्स लिमिटेड औरंगाबाद	महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम	930	गणना वर्ष (जनवरी-दिसम्बर) 1971 (–) 14.36) 1972 (–) 12.22 1973 2.56 (अनन्तिम)
10.	दिग्विजय स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, लि० बम्बई	–वही–	2261	गणना वर्ष (जनवरी-दिसम्बर) 1971 (–) 55.77 1972 0.39 1973 14.77 (अनन्तिम)
11.	छगनलाल टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चालीसगांव	––वही––	2349	गणना वर्ष (मार्च-फरवरी) 1971-72 (–) 4.18 1972-73 4.98 (अनन्तिम) 1973-74 26.02 (अनन्तिम)
12.	अहमदाबाद जुपिटर स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मेन्युफैक्चरिग कं० लि०, बम्बई	राष्ट्रीय वस्त्र निगम	4113	गणना वर्ष (अप्रैल-मार्च) 1971-72(––) 23.89 (अनन्तिम) (नवम्बर-71 से मार्च-72) 1972-73 6.34 (अनन्तिम) 1973-74 12.70 (अनन्तिम) (फरवरी, 74 तक)

1	2	3	4		5
रुग्ण सूती वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत					
13.	अपोलो मिल्स, बम्बई।	महाराष्ट्र राज्य निगम	2855	1973	(–) 18.93 (अनन्तिम)
14.	एडवर्ड टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	--वही--	2247	1973	30.67 --वही--
15.	जयशंकर मिल्स वारसी बम्बई	--वही--	550	1973	18.95 --वही--
16.	न्यू केसरी हिन्द स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, बम्बई	--वही--	2684	1973	41.80 (अनन्तिम)
17.	न्यू प्रताप स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्यू-फैक्चरिंग मिल्स, धूलिया (पश्चिम खानदेश)	--वही--	2595	1973	20.35 (वही)
18.	उस्मानशाही मिल्स, नान्डेड	--वही--	3688	1973	64.54 (वही)
19.	रायबहादुर बंसीलाल अबीरचन्द स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, हिंगनघाट	--वही--	1363	1973	36.43 (वही)
20.	सावतराम रामप्रसाद मिल्स, अकोला	--वही--	1525	1973	22.04 (वही)
21.	सेकसरिया काटन मिल्स, बम्बई	--वही--	3014	1973	(—) 32.53 (वही)
22.	विदर्भ मिल्स (बरार) एलिचपुर (पी०) अनन्तिम।	--वही--	1690	1973	38.23 (वही)

टिप्पणी :—क्रमांक 13 से 22 में दर्शाये गए उपक्रमों का वास्तविक कब्जा नवम्बर, 1972 में लिया गया था।

महाराष्ट्र में सीमेंट कारखाना

8011. **श्री शंकपक्कराव सावन्त :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उस राज्य में सीमेंट के कारखानों की स्थापना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में किन-किन परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा संस्तुत निम्नलिखित योजनायें स्वीकृत की गई हैं :—

क्र० सं०	पार्टी का नाम	स्थान	क्षमता (मी० टन)	टिप्पणी
1.	सीमेंट एण्ड कैमीकल्स इंडिया लि० मद्रास	चनाका	330,000	आशय-पत्र
2.	श्री डी० एम० दहानुकर बम्बई	राजुरा	330,000	औद्योगिक लाइसेंस

(ग) निम्नलिखित योजनाओं पर महाराष्ट्र सरकार की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात निर्णय किया जायेगा :—

क्र० सं०	पार्टी का नाम	स्थान	क्षमता (मी० टन)
1.	श्री वी० पी० अग्रवाल बम्बई . .	राजुरा	660,000
2.	मै० भाटे एण्ड केलकर, पूना . .	राजुरा	400,000

बम्बई के लिये नयी टेलीफोन परामर्शदात्री समिति

8012. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई की टेलीफोन परामर्शदात्री अन्तिम समिति कब समाप्त की गई थी ?

(ख) अभी तक नई परामर्शदात्री समिति नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) नई समिति कब बनाई जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) बम्बई की पिछली टेलीफोन सलाहकार समिति 31-3-1974 को समाप्त की गई थी।

(ख) और (ग) बम्बई में एक नई टेलीफोन सलाहकार समिति गठित की गई है। इसका कार्यकाल 1-4-1974 से दो वर्षों का होगा।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अवर सचिव

8013. **श्री अम्बेश** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने अवर सचिव पदोन्नत किये गये;

(ख) उनमें अलग से, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के कितने अवर सचिव पदोन्नत किये गये; और

(ग) यदि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के अवर सचिव निश्चित संख्या में नहीं हैं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 के अधिकारियों (अवर सचिवों) जिन्हें चयन ग्रेड (उप-सचिव के पदों) में पदोन्नति के लिए प्रवर सूची में शामिल किया गया था, की संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	योग
1971 . . .	35	—	—	35
1972 . . .	49	1	—	50
1973 . . .	53	2	—	55

Complaints received by Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

8014. SHRI CHHATRAPATI AMBESH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the number of complaints received by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Government of India, R. K. Puram, New Delhi and Assistant Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in various States during the last three years, year-wise, relating to (a) appointments, (b) harassment and assaults by Government Officers, (c) untouchability, (d) drinking water and (e) miscellaneous matters, separately ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : A statement showing the number of complaints category-wise received by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes during last three years is attached. The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes does not have Assistant Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the States.

Statement

Statement showing number of complaints received in the Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes during the last three years.

	1971-72	1972-73	1973-74
1. Services matters	1379	2078	3228
2. Untouchability and harassment . .	639	629	716
3. Land & Agriculture	160	138	210
4. Education	219	244	212
5. Housing	133	219	64
6. Financial assistance	32	34	88
7. Miscellaneous	62	114	104
TOTAL	2624	3456	4622

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा व्यय न किये गये धन को वापस करना

8015. **श्री रानेन सेन**
श्री सी० जनार्दनन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरों की हड़ताल के कारण पश्चिम बंगाल सरकार विभिन्न विकास कार्यों पर 30 करोड़ रुपये का व्यय नहीं कर सकी;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने उक्त धन केन्द्र सरकार को वापस कर दिया है;

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी व्यय न की गई राशि केन्द्र को वापस मिली है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को राज्यों द्वारा कितनी धनराशि वापस की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) जी, नहीं । पश्चिम बंगाल की योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई वार्षिक योजना 1973-74 के योजना परिव्यय 82.75 करोड़ रुपये की तुलना में सूचित अनुमानित योजना व्यय 137.66 करोड़ रुपये के आधार पर दी जाने वाली 44.94 करोड़ रुपये की पूरी केन्द्रीय सहायता अनन्तिम रूप से अब निर्मुक्त कर दी गई है।

(ग) और (घ) मेघालय और मणिपुर के अतिरिक्त 1973-74 में अन्य राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता भी अनन्तिम रूप से निर्मुक्त कर दी गई है। मणिपुर ने विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में से कुछ में 74 लाख रुपये की कमी सूचित की है जबकि मेघालय में स्वीकृत 10.83 करोड़ रु० के परिव्यय की तुलना में व्यय में 15 लाख रु० की कुल कमी आई है।

FUNCTIONING OF TELEPHONES IN CHAMPARAN DISTRICTS OF BIHAR

8016. SHRI BIBHUTI MISHRA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether telephones in the country, specially in Champaran district of North Bihar generally remain out of order;

(b) if so, whether the former Minister had assured about two years ago in the presence of Members of Parliament from Bihar and the P.M.G. of Bihar that the telephone system in the aforesaid district would be improved by July, 1973;

(c) if so, whether the said assurance has so far been fulfilled; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (PROF. SHER SINGH) : (a) Telephone services in the country as a whole including the Champaran District of North Bihar is satisfactory and the telephones do not generally remains out of order. Periodical observations of the performance of the local and trunk exchanges have shown that there has been improvement in the working of the telephones. Various measures are being taken on a continuing basis to further improve the performance.

(b) to (d) The former Minister of Communications had discussed with the M.Ps from Bihar and PMG, Bihar the various steps being taken to improve the telecommunication services in that State.

Continuous efforts are being made to develop the telecommunication facilities in Bihar generally and in North Bihar particularly. The telephone fittings in the subscribers premises are being made permanent. Underground cables are being laid to replace long overhead alignment at Motihari, Bagaha and other places in Champaran District.

To improve the long distance communications in the district more than a thousand kilometres of copper wire trunk routes have been replaced by aluminium conductor steel reinformed wire circuits. Recently a three-channel carrier system has been installed between Bagaha and Bettiah. Two trunk boards have also been installed at Bettiah.

There is some difficulty in the working of the Telephone Exchanges due to unsatisfactory power supply in the area. Efforts are being made to provide stand-by engine alternators to improve the situation.

सशस्त्र मिजो-कुकी विद्रोहियों द्वारा मिजोरम की सीमा से मिलते हुए मनीपुर में मोम्बी में ग्राम ररक्षा चौकी पर आक्रमण

8017. **श्री तरुण गोगोई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 10 मिजो-कुकी विद्रोहियों ने 25 मार्च, 1974 को मिजोरम की सीमा से मिलते हुए मनीपुर में मोम्बी म एक ग्राम सुरक्षा चौकी पर आक्रमण किया था और वे लगभग 20 रायफलें तथा 700 गोलियां छीन कर ले गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्वन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) 22 मार्च, 1974 की रात्रि को, 15 भूमिगत कर्मचारियों के एक दल ने मणिपुर के सब-डिवीजन में टेंगनाउपाल में मोम्बी स्थित ग्राम सुरक्षा चौकी पर ड्यूटी पर तैनात संतरियों को काबू में कर लिया था तथा 22 राइफलें व 776 गोलियां ले गए थे।

(ग) बाद में सीमा सुरक्षा दल द्वारा आयोजित एक आक्रमण में सभी 22 राइफलें बरामद कर ली गई थीं और घटना में अन्तर्ग्रस्त संदिग्ध चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजे गये टेलीविजन कर्मचारी

8018. **श्री लालजी भाई :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एक बार से अधिक विदेश भेजे गये टेलीविजन विभाग के कार्यक्रम कर्मचारी तथा इंजीनियरों सहित अन्य व्यक्तियों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ख) उन्हें एक से अधिक बार विदेश भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान एक से अधिक बार विदेशों में भेजे गए टेलीविजन अधिकारियों के नाम दर्शाने वाला विवरण

अधिकारी का नाम	अवधि	प्रयोजन
1. श्री रोमेश चन्द्र, निदेशक, टेलीविजन उपग्रह	(1) 3-5-71 से 7-5-71 तक	नाइस (फ्रांस) में शैक्षणिक प्रसारण में शैक्षणिक उपग्रह पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए।
	(2) 31-10-71 से 17-11-71 तक	टोकियो में हुए सातवीं जापानी पुरस्कार प्रतियोगिता के लिये ज्यूरी के रूप में काम करने के लिए।
	(3) 25-2-74 से 7-3-74 तक	टोकियो, जापान में शिक्षा के लिये उपग्रह प्रसारण पद्धति पर हुई संयुक्त राष्ट्र पैनल की बैठक में भाग लेने के लिए।
2. श्री शिव शंकर शर्मा, कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव, टेलीविजन	(1) 3-3-73 से 9-3-73 तक	बंगला देश के चुनाव के टेलीविजन कवरेज के लिए बंगला देश में प्रतिनियुक्ति पर।
	(2) 31-8-73 से 9-9-73 तक	बर्लिन में हुई अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए।
3. श्री एस० के० मुखर्जी कार्यभारी इन्जीनियर, खामपुर	(1) 9-3-72 से 7-4-72 तक	टेलीविजन के संबंध में बंगला देश में बातचीत करने के लिए।
	(2) 10-9-73 से 10-10-73 तक	जंजीबार की प्रसारण और टेलीविजन पद्धति में सुधारों के अध्ययन के लिए।

Transfer of Telephones from one Exchange to Another in Delhi

8019. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether telephones are very often transferred from one exchange to another in Delhi and it causes lot of difficulty to the general masses; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (PROF. SHER SINGH) : (a) & (b). Opening of new exchanges and expansion of capacities of existing exchanges in Delhi as per expansion programme necessitates re-adjustment of jurisdiction of different exchanges from time to time resulting in transfer of certain existing telephone numbers from one exchange to another. In such cases, adequate notice is given to the affected subscribers to avoid inconvenience to them. Changes in numbers are also published in local dailies and special arrangements are made to intimate the correct numbers to those who dial the old numbers. Such service continues to be provided for seven days after the bulk change of numbers.

EXPENDITURE ON THE PUBLICATION OF THE ADVERTISEMENTS OF CENTRAL GOVERNMENT OFFICES IN VARIOUS NEWSPAPERS/MAGAZINES DURING 1972-73 AND 1973-74

8020. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state the total expenditure incurred on the publication of the advertisements of various Central Government Offices in various newspapers/magazine in 1972-73 and 1973-74 ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : The expenditure incurred on the release of advertisements by the Central Government through the Directorate of Advertising and Visual Publicity during 1972-73 and 1973-74 (up to 31-12-1973) is given below :—

1972-73	1973-74 (from 1-4-1973 to 31-12-1973)
Rs.	Rs.
1,92,52,831	1,08,65,593

पश्चिम बंगाल के औद्योगिक एककों में अप्रयुक्त क्षमता

8021. **श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कितने औद्योगिक एकक गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार अपनी क्षमता से कम कार्य करते रहे; और

(ख) निर्धारित क्षमता पर उनके कार्य करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) **तथा** (ख) कोयला, भट्टी का तेल, बिजली तथा परिवहन की उपलब्धता से सम्बन्धित विभिन्न रुकावटों के कारण केवल पश्चिम बंगाल के ही नहीं वरन देश के अन्य भागों के भी औद्योगिक कारखानें पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। इन रुकावटों के कारण उपभोक्ता उद्योगों के लिए कच्चे माल संघटकों इत्यादि के निविष्ट साधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

सरकार विभिन्न स्तरों पर इन रुकावटों का मुकाबला कर रही है यथा (1) पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय द्वारा भट्टी के तेल संबंधी गठित स्थायी समिति भट्टी के तेल की उपलब्धता की जांच कर रही है। भट्टी के तेल के स्थान पर कोयले के उपयोग करने वाले उद्योगों को कोयले की उपलब्धता तथा आपूर्ति की प्रगति को दृष्टि में रख कर समिति उद्योगों को किए जाने वाले आबंटनों की सिफारिश करेंगी; (2) कुछ राज्यों की फालतू बिजली का पूरा उपयोग कमी वाले राज्यों में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है; (3) विद्युत् जनित्रण की निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है;

(4) बिजली बोर्डों में बेकार पड़े जेनेरेटरों को चलाया जा रहा है; (5) कुछ बिजली बोर्डों आदि ने डीजलसेट लगा दिए गए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कागज परियोजनाएं

8022. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों से अब तक कागज परियोजनाओं के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना कहां पर स्थापित होगी, उसकी क्षमता कितनी होगी और उसका पूंजी निवेश क्या होगा; और

(ग) क्या अभी तक किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की नागालैण्ड तथा असम के नौगांव और कछार में एकीकृत लुगदी और कागज मिल की तीन परियोजनाएं स्थापित करने के अतिरिक्त त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम की सरकारों और उत्तरी कछार पहाड़ियों की जिला परिषद् की अपने अपने क्षेत्रों में कागज, लुगदी की परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) त्रिपुरा सरकार से लाइसेंस की स्वीकृति के लिए एक औपचारिक आवेदन प्राप्त हुआ था। एक आशय-पत्र जारी किया जा रहा है अन्य योजनाओं के बारे में योजना आयोग एकीकृत रूप से विचार कर रहा है ताकि इन योजनाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता निश्चित की जा सके।

विवरण

परियोजना का नाम	अरुणाचल प्रदेश	नार्थ कछार हिल्स	मणिपुर	त्रिपुरा	मिजोराम
स्थापना स्थल .	बलुकपोंग	दियुंगमुख	चंदीघाट	फतीकारी	बैराबी
क्षमता . .	180 मी० टन प्रतिदिन	200 मी० टन प्रतिदिन	200 मी० टन प्रतिदिन	250 मी० टन प्रतिदिन	200 टन प्रतिदिन
पूंजीगत लागत	37.76 करोड़ रु०	22.44 करोड़ रु०	34.91 करोड़ रु०	55 करोड़ रु०	24.91 करोड़ रु०

गुजरात में औद्योगिक उत्पादन

8023. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 के दौरान और वर्ष 1974 के आरम्भ में गुजरात राज्य में औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) संगठित क्षेत्र में हुए औद्योगिक उत्पादन के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। गुजरात सहित देश के सभी औद्योगिक एकक विभिन्न बाधाओं जैसे, कोयला, फरनेस आयल, विद्युत् शक्ति, परिवहन के कारण पूरी क्षमता से कार्य करने में समर्थ नहीं रहे हैं। उपभोक्ता वस्तुओं वाले उद्योगों में भी कच्चे माल पुर्जों आदि की बाधाओं के कारण निविष्टियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

गुजरात राज्य को दिए गए औद्योगिक लाइसेंस तथा आशयपत्रों के निम्नलिखित तुलनात्मक आंकड़ों से विदित होगा कि गुजरात के औद्योगिक विकास में कोई मंदी नहीं रही है।

			(जनवरी से मार्च)	
	1972	1973	1973	1974
औद्योगिक लाइसेंस . .	61	75	14	27
आशयपत्र . . .	95	98	21	26

27 तथा 28 मार्च, 1974 को गुजरात में गोली चलाना

8024. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय की शान्ति के बाद गुजरात के अहमदाबाद तथा अन्य भागों में 27 और 28 मार्च, 1974 को पुनः गोली चलाई गई, और यदि हां, तो क्यों ?

(ख) कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या स्थिति सुधारने के लिए गुजरात सरकार ने राज्य के संसद् सदस्यों की बैठक बुलाई है और राज्य नागरिक परिषद् को पुनः सक्रिय बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में स्थिति कहां तक सामान्य हुई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमेंट, चीनी और कपड़े के उपयोग पर रोक

8026. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी, सीमेन्ट और कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिए इनकी आन्तरिक खपत पर रोक लगाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या उपरोक्त वस्तुओं की खपत पर रोक लगाने से आन्तरिक अभाव और ऊंचे मूल्यों की समस्या और बढ़ जायेगी; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो सरकार जीवन की दैनिक आवश्यकता की ऐसी वस्तुओं पर किस आधार पर रोक लगा रही है जिन वस्तुओं का पहले ही अभाव है व सामान्य मनुष्य के लिए जो कीमती है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से ही चीनी तथा वस्त्र की आन्तरिक खपत पर रोक लगाने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है। भारत तथा ईरान के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के एक अंश के रूप में सीमेन्ट दिसम्बर, 1974 के अन्त तक 3 लाख मी० टन तथा 1975 की अवधि में अन्य 5 लाख मी० टन सीमेंट का निर्यात करने का विचार है। जितने सीमेंट का निर्यात किया जाता है, उससे देश की खपत के लिए सीमेंट कम मात्रा में उपलब्ध होगा। फिर भी, अधिष्ठापित क्षमता के बेहतर उपयोग तथा देश में ही अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करके देश में सीमेंट की खपत पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

उड़ीसा के ग्रामों में टेलीफोन सुविधाएं

8027. **श्री गजाधर माझी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कितने कस्बों तथा ग्रामों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान विशेषतया आदिवासी क्षेत्रों में, जिलेवार कितने ग्रामों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) उड़ीसा राज्य के कुल 449 गांवों और शहरों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान जिन गांवों में टेलीफोन सुविधा देने का प्रस्ताव है, उनकी जिलेवार संख्या इस प्रकार है :

जिले का नाम	उन गांवों की संख्या जहां वर्ष 1974-75 के दौरान टेलीफोन की सुविधा देने की सम्भावना है
(1)	(2)
1. बोलनगीर	4
2. बालासोर	3
3. कटक	13
4. धेनकनाल	3
5. गंजाम	5
6. कालाहांडी	2
7. क्योंझर	3

(1)	(2)
8. कोरापुट	4
9. मयरभंज	4
10. फूलबनी . .	3
11. पुरी . .	6
12. सम्बलपुर	6
13. सुन्दरगढ़	कोई नहीं

कटक, गंजाम, पुरी और संबलपुर को छोड़कर बाकी सभी जिले पिछड़े जिले और आदिवासी इलाके हैं। पुरी जिले के राजनगर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत आने वाला इलाका भी एक पिछड़ा और आदिवासी इलाका है।

टेलीविजन कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाना

8028. **श्री महेन्द्र सिंह गिल**
श्री वामनकर } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि साधारण लोग टेलीविजन का लाभ उठा सकें तथा टेलीविजन के कार्यक्रमों से, इस समय जब कि देश सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है, सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाये ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : इस प्रयोजन के लिए दिल्ली तथा जम्मू और काश्मीर में कुछ सामुदायिक टेलीविजन सेट लगाये गये हैं। पांचवीं योजना के दौरान अन्य केन्द्रों में और सेट लगाने का प्रस्ताव है। कृषि दर्शन, कामगर विश्व, घर परिवार, नगर नागरिक आदि जैसे कार्यक्रम जिनमें सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर रोशनी डाली जाती है और जिनमें ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के सामान्य जन को कवर किया जाता है; पहले ही टेलीकास्ट किये जा रहे हैं। भविष्य में नये टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना होने पर इस प्रकार के और कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

बस्तर (मध्य प्रदेश) में ग्रामीण उद्योग परियोजना

8029. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बस्तर जिले में एक ग्रामीण उद्योग परियोजना की स्थापना करने के लिए उनके मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिवेणी टीशूज लिमिटेड का विस्तार

8030. **श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेणी टीशूज लिमिटेड को उसकी विस्तार परियोजना के लिए पुनरीक्षित "आशय-पत्र" जारी किया गया है ;

(ख) क्या कम्पनी ने परियोजना विस्तार के लिए अपेक्षित मशीनरी तथा उपकरणों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) क्या कम्पनी ने परियोजना के पूर्ण हो जाने पर रोजगार सम्भावनाओं में वृद्धि के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) मैसर्स त्रिवेणी टीशूज लिमिटेड जिन्हें नान्जगड (कर्नाटक राज्य) में स्पेशलटी कागज बनाने हेतु 10,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाला एक नया उपक्रम लगाने हेतु एक आशय पत्र दिया गया था, उन्होंने तत्पश्चात् पश्चिम बंगाल स्थित अपने विद्यमान एकक में 5,000 मी० टन की क्षमता की परियोजना के प्रथम चरण पूरा करने की अनुमति मांगी थी। इसकी स्वीकृति भी दी गई तथा तदनुसार एक लाइसेंस दिया गया था।

(ख) पार्टी को 87.25 लाख रु० मूल्य के पूंजीगत माल का आयात करने हेतु विदेशी मुद्रा की ऋण प्राप्ति के लिए इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया से सम्पर्क स्थापित करने का परामर्श दिया गया था।

(ग) पार्टी द्वारा औद्योगिक लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदन पत्र के अनुसार योजना में क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय चरण में 415 तथा 235 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

टेलीग्राफ/टेलीफोन सब डिवीजन खोलना

8031. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीग्राफ और टेलीफोन सब डिवीजन स्थापित करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाए जाते हैं ;

(ख) देश में वित्तीय वर्ष 1973–74 में सर्किलवार कौन-कौन से नए टेलीग्राफ/टेलीफोन सब डिवीजन खोले गए हैं;

(ग) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में शर्तों और मापदण्डों में ढील दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो उपयुक्त ढील देने के बाद वर्ष 1973–74 में देश में कौन-कौन से टेलीग्राफ सब डिवीजन खोले गए और यदि नहीं तो इसके क्या कराण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तार और टेलीफोन के सब डिवीजनों के निर्माण के लिए निर्धारित मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

(i) **तार सब-डिवीजन**—जब किसी स्थान का कार्यभार 2225 ई० एल० एम० (इक्विवेलेंट लाइन माइलेज) हो जाता है तब आमतौर पर वहां एक तार सब-डिवीजन बना दिया जाता है।

(ii) **टेलीफोन सब-डिवीजन**--जिस टेलीफोन प्रणाली में कुल चालू टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 1000 से अधिक हो जाती है, आमतौर से वहां एक टेलीफोन सब-डिवीजन का निर्माण कर दिया जाता है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दे दी गई है।

(ग) और (घ) जी नहीं। सिर्फ पहाड़ी इलाके के क्षेत्र होने की वजह से ही इन शर्तों में ढील नहीं दी गई है।

फिर भी वर्ष 1973-74 के दौरान प्रचालन और प्रशासन की दृष्टि से नीचे लिखे तीन तार इंजीनियरी सब-डिवीजनों के संबंध में मौजूदा मानदण्डों में ढील दी गई थी।

(I) उत्तर पूर्वी सर्किल के अरुणाचल प्रदेश में बाँदराहुआ सब-डिवीजन।

(II) जम्मू और कश्मीर में ऊधमपुर तार इंजीनियरी सब-डिवीजन।

(III) पश्चिम बंगाल सर्किल के अंतर्गत अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर तार इंजीनियरी सब-डिवीजन।

विवरण

वर्ष 1973-74 के दौरान खोले गए तार/टेलीफोन सब-डिवीजनों का ब्यौरा

सर्किल का नाम	तार/टेलीफोन सब-डिवीजन का नाम
(1)	(2)
1. आँध्र	1. महबूबनगर तार सब-डिवीजन।
	2. गुन्तूर तार सप-डिवीजन।
2. उत्तरपूर्वी सर्किल	1. अरुणाचल प्रदेश में बांदराहुआ तार सब-डिवीजन।
3. बिहार	1. भागलपुर टेलीफोन सब-डिवीजन
	2. सहरसा तार सब-डिवीजन
	3. धनबाद तार सब डिवीजन
	4. सासाराम तार सब-डिवीजन
4. गुजरात	1. कलौल तार सब-डिवीजन
	2. गोधरा तार सब-डिवीजन
	3. नवसारी तार सब-डिवीजन
5. जम्मू और कश्मीर	1. ऊधमपुर तार सब-डिवीजन
6. केरल	1. पालघाट टेलीफोन सब-डिवीजन
	2. एर्नाकुलम टेलीफोन सब-डिवीजन
7. मैसूर	1. बेलारी टेलीफोन सब-डिवीजन
	2. बागलकोट तार सब-डिवीजन

(1)	(2)
8. महाराष्ट्र	1. उल्हासनगर तार सब-डिवीजन
	2. बारामती तार सब-डिवीजन
	3. कोल्हापुर टेलीफोन सब-डिवीजन
	4. मालेगांव तार सब-डिवीजन
	5. जलगांव टेलीफोन सब-डिवीजन
9. उड़ीसा	1. फूलवानी तार सब-डिवीजन
10. पंजाब	1. सिरसा तार सब-डिवीजन
	2. फगवाड़ा तार सब-डिवीजन
	3. पठानकोट टेलीफोन सब-डिवीजन
	4. रोहतक टेलोफोन सब-डिवीजन
	5. करनाल टेलीफोन सब-डिवीजन
11. राजस्थान	1. बाड़मेर तार सब-डिवीजन
	2. श्रीगंगा नगर टेलीफोन सब-डिवीजन
	3. हिंडौन तार सब-डिवीजन
12. तमिलनाडु	1. करुर तार सब-डिवीजन
	2. गोबिचेट्टीपालयम् तार सब-डिवीजन
	3. तिरुनेलवेली तार सब-डिवीजन
13. उत्तर प्रदेश	1. देहरादून तार सब डिवीजन
	2. फैजाबाद तार सब डिवीजन
14. पश्चिम बंगाल	1. पोर्टब्लेयर तार सब-डिवीजन

पांचवीं योजना में हिमाचल प्रदेश को आवास के लिए धनराशियों का नियतन

8032. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या योजना** यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य को आवासन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है :

(ख) क्या इस आवंटित धनराशि से बनाये जाने वाले मकानों की संख्या के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) से (ग) : हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों की पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के परिव्ययों और उनके क्षेत्रवार विवरण को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

"पांच लाख रोजगार" कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को आबंटित रोजगार

8033. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को कितने रोजगार आवंटित किये गये हैं;

(ख) आवंटन का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(घ) क्या इस योजना के अन्तर्गत रोजगार अवसरों का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों के लिये वार्षिक कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; यदि हां तो हिमाचल प्रदेश के लिये वार्षिक लक्ष्य क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया/ देखिए संख्या एल० टी० 6818/74]

सीमेंट का मूल्य

8034. **श्री डी० के० पण्डा**
श्री भोगेन्द्र झा } : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट का सरकारी मूल्य क्या है और उसका बाजार मूल्य क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : सीमेंट के मूल्य और वितरण का विनियमन सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के उपबन्धों के अधीन किया जाता है। इस आदेश के अधीन, गंतव्य स्थान तक रेलभाड़ा मुक्त सामान मूल्य नियत किया जाता है जो कि इस समय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (41.53 रुपए) और पेक करने का प्रभार (38.19 रूपए) शामिल करके 230.72 रु० प्रति मी० टन है ?

आदेश के खण्ड 10 के अधीन, थोक मूल्य और खुदरा मूल्य जिन पर सीमेंट बेचना है, उक्त मूल्य, ढुलाई और परिवहन प्रभारों, गोदाम के प्रभार, स्टाकिस्टों के लाभ की मात्रा, स्थानीय कर यदि कहीं पर अतिरिक्त सड़क परिवहन व्यय जिसके लिए यदि स्वीकृति हो, तो उसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा निश्चित किया जाता है। ये मूल्य एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान में भिन्न-भिन्न होते हैं।

RESEARCH IN BOTANY BY SURVEY OF INDIA

8035. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) whether the Survey of India has not made any research in the field of Botany etc. during 1973-74; and

(b) if so, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM) : (a) The Survey of India is not the organisation concerned with research in the field or Botany. However, the Botanical Survey of India which is the scientific sub-ordinate office concerned, carried out research in the field of Botany during 1973-74.

(b) Does not arise.

THEFT OF COPPER WIRE IN THE COUNTRY

8037. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :—

(a) whether there have been more cases of thefts of copper wire during 1973-74; and

(b) if so, the number thereof and the total loss suffered as a result thereof and the action taken in this connection?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (PROF. SHER SINGH) : (a) & (b). The information is being collected and will be placed on the table of the Lok Sabha as early as possible.

वर्ष 1974-75 में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नियत राशि

8038. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए योजनाओं की क्रियान्वित हेतु वर्ष 1974–75 के लिए कोई राशि नियत की है ;

(ख) यदि हां, तो वे योजनाएं क्या हैं जिनके लिए राशि नियत की गई है ;

(ग) इस योजना के अधीन कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा; और

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ 1973–74 के लिए नियत धनराशि पूरी खर्च हो चुकी है और यदि नहीं, तो क्यों ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) कृषि, भूमि संरक्षण, बड़ी, मध्यम तथा छोटी सिंचाई, बिजली उत्पादन, कृषि सेवा केन्द्र, कमाण्ड एरिया विकास, बड़े, लघु तथा कुटीर उद्योगों, शिक्षा और जन स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों जिनके लिए अधिक आवंटन करने का प्रस्ताव है के विभिन्न योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वियन द्वारा विभिन्न वर्गों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काफी रोजगार के अवसर सुलभ होने की संभावना है।

इसके अलावा रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 1974–75 के केन्द्रीय बजट में 40 करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विभिन्न वर्गों के बेरोजगार लोगों को लाभान्वित करने वाली स्व-रोजगार स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। मार्गदर्शी सघन ग्रामीण रोजगार परियोजना, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, लघु कृषक विकास अभिकरण भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सुलभ करेंगे। इन स्कीमों के लिए 1974–75 में क्रमश: 3 करोड़ रुपए, 22 करोड़ रुपए और 21 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, यह बताना संभव नहीं।

(घ) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को 1973–74 के दौरान विभिन्न राज्य कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि के विपरीत जो केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई वह निम्न प्रकार है :—

	लाख रूपए	
1. ग्रामीण रोजगारों के लिए त्वरित स्कीम	2622.50	28 फरवरी 1974 तक
2. मार्गदर्शी सघन ग्रामीण रोजगार परियोजना	118.91	
3. सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	2863.00	
4. लघु कृषक विकास अभिकरण/नाममात्र के किसान और कृषि श्रमिक	1301.00	

5. शिक्षित बेरोजगारों के लिए कार्यक्रम	4585.42
6. राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम	2244.49
7. पांच लाख रोजगार कार्यक्रम	5398.53

वर्ष 1973–74 अभी समाप्त हुआ है, अत: राज्यों ने कितनी मात्रा में इन धनराशियों का उपयोग किया है, इसकी जानकारी प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा।

उड़ीसा, पंजाब, गुजरात और बंगलौर में उद्योगों का आधुनिकीकरण

8039. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विशेषकर उड़ीसा, पंजाब, गुजरात और बंगलौर में स्थित उद्योगों में स्थापित क्षमता का अल्प उपयोग, आधुनिकीकरण न करना, तकनीकी ज्ञान का अभाव और बिजली कटौती उद्योगों के गम्भीर हो रहे संकट के कुछ मुख्य कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के सभी उद्योगों का आधुनिकीकरण अपेक्षित हैं; और

(ग) इस दिशा में केन्द्र क्या उपाय करने जा रहा है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) उड़ीसा, पंजाब गुजरात, बंगलौर, आदि देश के विभिन्न भागों में अधिष्ठापित औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग न कर सकने के प्रमुख अन्य कारणों के अलावा बिजली की कमी, समय से और पर्याप्त कोयला उपलब्ध न हो पाना, परिवहन समस्या औद्योगिक कच्चे माल की देश व्यापी कमी तथा विदेशी मुद्रा संबंधी अड़चन रहे हैं। आधुनिकीकरण की आवश्यकता को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। तथा सरकार द्वारा उपयुक्त मामलों में जैसे पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन लगाने के लिए मशीन के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा का आबंटन किया जाता है।

लघु क्षेत्र के उद्योगों की समस्याएं

8041. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु क्षेत्र के उद्योगों की समस्याओं से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो इनका हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) इस समय लघु उद्योगों के समक्ष प्रमुख समस्याएं पर्याप्त कच्चा माल और ऋण सुविधाएं उपलब्ध न होने के संबंधी हैं। सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से और अधिक ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए अभ्युपाय किए जा रहे हैं। इसी प्रकार उपलब्धता आयातित और देशी दोनों के आधार पर और अधिक कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए भी अभ्युपाय किए जा रहे हैं।

MISSING SILK SARIS IN K.G.B. NEW DELHI

8042. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :—

(a) whether a parcel containing 72 silk saris was lost in 1971 from the Khadi Gramodhyog Bhavan, New Delhi;

(b) if so, the action taken in this matter and the persons found guilty on that account in the departmental enquiry as also the punishment given to them;

(c) whether the matter was also referred to the Police; and

(d) if so, the findings of the police and the action taken thereon by Government or Khadi Commission ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI) : (a) Yes, Sir.

(b) Increments were withheld of four employees who were found responsible for the loss in a Departmental Enquiry held.

(c) Yes, Sir.

(d) Police have closed the matter.

ACCOUNT IN THE NAME OF ACTING MANAGER KGB, NEW DELHI

8043. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) whether several thousands of rupees are lying in the T.A. advance account and workers' account in the name of the Acting Manager of Khadi Bhavan, New Delhi which have not been paid so far;

(b) if so, facts thereof; and

(c) whether Khadi Commission propose to take any action in regard to such irregularities ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI) : (a) to (c). No, Sir. A total sum of Rs. 2450/- was taken by the Manager as Tour Advance for undertaking five different tours and the adjustment of T.A. bills is under process. The question of action does not arise at this stage.

STOCK MAINTAINING SYSTEM IN KHADI GRAMODYOG BHAVAN, NEW DELHI

8044. SHRI PHOOL CHAND VERMA }
SHRI PANNA LAL BARUPAL } : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) whether despite the assurances given by Government the stock maintaining system in the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi is still defective;

(b) if so, whether action will be taken to ensure proper maintenance of stock in terms of its value, items, measurements etc., so as to know the correct position in regard to increase or decrease in the stock at the time of stock-taking and to fix responsibility therefor; and

(c) whether the management of the Bhavan adopts a defective system of stock maintenance, and if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी को अनुसंधान के लिए किए गए अनुदान का उपयोग

8045. **श्री रणबहादुर सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी को अनुसंधान के लिए वर्ष 1972-73 के दौरान कौन-कौन सी परियोजनाएं सौंपी गई थी,

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि दी गई थी; तथा विचारगोष्ठी सम्मेलन तथा अन्य समारोहों के आयोजन पर अकादमी ने कितनी धन राशि व्यय की, और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह पता लगाया है कि धनराशि का सदुपयोग किया गया है, और यदि हां, तो कैसे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1972-73 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की वैज्ञानिक अनुसंधान तथा मूल विज्ञानों में अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए एक योजना सौंपी गयी थी। 1973 के अन्त में विभिन्न क्षेत्रों में एक सौ तरेपन अनुसंधान परियोजनाएं चल रही थीं जो निम्न प्रकार हैं :—

योजना	परियोजनाओं की संख्या
1. हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों तथा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों पर गवेषणा कार्य।	7
2. भारत के वैज्ञानिक संस्थानों को विश्लेषणात्मक सुविधाएं जुटाने के लिए विज्ञान सेवा केन्द्र।	3
3. जैव विज्ञानों (यथा-कीट रेशम कृमियों के द्रव उपपाचन आदि का रासायनिक अध्ययन)	54
4. रसायन विज्ञान (यथा चाय के तत्वों तथा संबंधित पोलिफेनोलिक सामग्रियों का परीक्षण, पादप वायरसों का अध्ययन आदि)	31
5. भौतिकी (यथा-लेसर-प्रतिदीप्ति तथा संबंध, द्रव क्रिस्टल आदि)	20
6. भौमिकी (यथा-आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति तथा सम्बद्ध खनिज निक्षेप संबंधी समस्या के लिए गणितीय निदर्श के विकास के विशेष संदर्भ में गणितीय भूविज्ञान आदि)	15
7. औषधि तथा जैव रसायन (यथा-न्यूक्लीय स्पेक्ट्रममिति का चिकित्सीय प्रयोग, अहमदाबाद में ल्युकोडरमा से पीड़ित रोगियों का अनुवंशिक एवं कोशिका नुवंशिक अध्ययन)	12

8. इंजीनियरी (यथा-उच्च जेब रासायनिक आक्सीजन या (बी० ओ० डी०) के जल का वायुजीवी (एरोबिक) उपचार, सुरक्षा एवं ग्रामीण आवास आदि के लिए कम कीमत के आवास आदि)	9
9. नृ-विज्ञान (दक्षिण भारत की आदिवासी जन-जातियों का मानवजाति वानस्पतिक अध्ययन, हिमाचल क्षेत्र की कुछ चुनी हुई जन संख्या के नृ-वैज्ञानिक परिवत्यों का अध्ययन)	2
योग .	153

(ख) मौलिक विज्ञानों में अनुसंधान योजना के लिए अकादमी को 12 लाख रुपए की राशि दी गई। 1972-73 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 12.090 लाख रुपए का व्यय हुआ। 'उत्सवों' एवं चाय पार्टियों पर योजना के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं किया गया।

(ग) अकादमी के लेखे का परीक्षण सनदी लेखापाल द्वारा नियमित रूप से किया जाता है।

राज्यों द्वारा केन्द्र पर सहायता के लिए निर्भर न रह कर अपनी वार्षिक/पांचवीं योजना बनायी जाना

8047. **श्री ए० के० कोया शेट्टी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को सूचित किया गया है कि उन्हें केन्द्र पर सहायता के लिए निर्भर न रहकर अपनी वार्षिक/पांचवीं योजनाएं बनानी चाहिए ; और

(ख) क्या इसका तात्पर्य वास्तव में 'योजना अवकाश' से होगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1974-75 के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 755.15 करोड़ रुपए की राशि (पहाड़ी और आदिम जाति क्षेत्रों को अभी आवंटित की जाने वाली 25 करोड़ रुपए की राशि को छोड़कर) की व्यवस्था की गई और संबंधित राज्य योजनाओं का अनुमोदन करते हुए राज्यों को इस बारे में सूचित किया जा चुका है। राज्यों की पांचवीं योजनाओं के केन्द्रीय सहायता का आवंटन, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा तैयार किए गए सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा। अत : वास्तव में योजना अवकाश का प्रश्न नहीं उठता।

प्लास्टिक फिल्म कपीसेटरों का निर्माण

8048. **श्री ए० के० कोत्राशेट्टी :** क्या इलैक्ट्रानिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने एककों को प्लास्टिक फिल्म केपीसेटरों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिए गए हैं ;

(ख) क्या फिल्म केपीसेटरों को लाइसेंस प्राप्त क्षमता अधिकतम सीमा तक पहुच गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन प्लास्टिक फिल्म केपीसेटरों की लक्षित क्षमता कितनी है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सात यूनिटों को प्लास्टिक फिल्म धारित्र (केपेसेटर) बनाने के औद्योगिक

लाइसेंस जारी किए जा चुके है ; इस के साथ 25 यूनिटों को आशय-पत्रों (लेटर आफ इन्टेंट) की मंजूरी दे दी गई है।

(ख) और (ग) : लाइसेंसीकृत क्षमता 840 लाख की है, जबकि उन की क्षमता जिस के लिए आशय-पत्रों की मंजूरी प्रदान की गई है ; 2470 लाख की है। पांचवीं योजना के अन्त तक 1000 लाख की क्षमता का अनुमान है।

इन्टरनेशनल फ्रैन्डशिप सोसायटीज के साथ मंत्रियों तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध

8049. **श्री समर गुह : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रियों और अधिकारियों के लिए ऐसे निदेश जारी किए हैं कि वे 'इन्टरनेशनल फ्रैन्डशिप सोसायटीज इन इंडिया' जैसी सोसाइटियों से संबंध न रखें ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कौन-कौन सी ऐसी सोसाइटियों का संदर्भ किया है ;

(ग) क्या सरकार के विचार में ऐसी सोसाइटियों में 'इन्टरनेशनल फ्रैन्डशिप ऐसोसि-सियेशन" जैसे संगठन भी आते हैं यदि हां, तो ऐसी ऐसोसियेशन के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी सोसाइटियों और ऐसोसियेशनों के क्रियाकलापों की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या बहुत से मंत्रियों और अधिकारियों ने सरकारी निदेशों का उल्लंघन किया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) मंत्रियों को यह सुझाव दिया गया है कि वे किसी इन्टरनेशनल फ्रैन्डशिप सोसाइटी में इसके संरक्षक, सस्दय आदि बनकर घनिष्ट संबंध स्थापित न करें। किन्तु ऐसी सोसाइटियों द्वारा आयोजित समारोहों में वे किस सीमा तक अन्यथा भाग ले सकते हैं, यह उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार किसी ऐसी सोसाइटी में कोई पद स्वीकार न करने अथवा उसकी सदस्यता स्वीकार न करने अथवा उनकी गतिविधियों में भाग न लेने की सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी गई है। किन्तु संबंधित विभाग में सचिव से पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद वे ऐसी सोसाइटियों के समक्ष अविवादास्पद मामलों पर बोल सकते हैं। ये सुझाव देते समय इस प्रकार की किसी विशिष्ट सोसाइटी अथवा एसोसियेशन का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

इन्टरनेशनल फ्रन्डशिप सोसाइटीज़ की गतिविधियों की जांच की गई है।

(ङ) ऐसा कोई दृष्टान्त सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

गुजरात और बिहार में केन्द्रीय दलों का प्रयोग

8050. **श्री समर गुह :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और बिहार की हाल की घटनाओं से निपटने के लिए सरकार ने सी० आर० पी०, बी० एस० एफ० तथा अन्य केन्द्रीय रक्षा तथा अर्ध-रक्षा बलों के कुल कितने कर्मचारियों का प्रयोग किया ;

(ख) इन्हीं प्रयोजनार्थ गुजरात और बिहार में सिविल प्राधिकारियों की सहायतार्थ कुल कितने सैनिक कर्मचारियों की सहायता की गई ;

(ग) उक्त रक्षा, अर्ध-रक्षा तथा सशस्त्र सेनाओं को कितनी अवधि तक वहां तनात रखा गया ; और

(घ) उक्त कर्मचारियों द्वारा कितनी बार अग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया और परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग)

गुजरात : 1. विधि व व्यवस्था बनाए रखने में राज्य पुलिस की सहायता करने के लिए गुजरात में जनवरी, 1974 के दूसरे हफ्ते से मार्च, 1974 के चौथे हफ्ते तक सीमा सुरक्षा बल की 26 कम्पनियां तैनात की गई थीं। इस समय गुजरात में सीमा सुरक्षा बल की केवल 2 कम्पनियां तैनात हैं।

2. गुजरात में आन्तरिक सुरक्षा कार्यों के लिए जनवरी, 1974 के द्वितीय हफ्ते से आरम्भ करते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 34 कम्पनियां तैनात की गई थीं। इस समय वहां 27 कम्पनियां तैनात हैं।

3. राज्य सरकार को जनवरी और फरवरी 1974 में तीन अवसरों पर पर्याप्त संख्या में सेना के दस्ते भी उपलब्ध कराए गए थे।

बिहार : आन्तरिक सुरक्षा कार्यों के लिए बिहार सरकार को मार्च, 1974 के तीसरे हफ्ते से आरम्भ करते हुए सीमा सुरक्षा बल की 43 कम्पनियां और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 21 कम्पनियां उपलब्ध कराई गई थीं। इस समय वहां सीमा सुरक्षा बल की 36 कम्पनियां तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 21 कम्पनियां तैनात हैं। नागरिक प्रशासन की सहायता में मार्च-अप्रैल 1974 के दौरान तीन अवसरों पर सेना के दस्ते भी पर्याप्त संख्या में तैनात किए गए थे।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राव तुलाराम की जीवनी पर वृत्त चित्र बनाने का प्रस्ताव

8051. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक महान क्रान्तिकारी तथा 1857 के नायक राव तुला राम की जीवनी पर एक वृत्त चित्र बनाए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन ; और

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो दर्शाए जाने के लिए उक्त वृत्त चित्र कब तक तैयार हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, फिलहाल नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रक टायरों और ट्यूबों के व्यापारियों और वितरकों द्वारा कांग्रेस चुनाव फण्ड में चन्दा देना

8052. श्री मधु लिमये : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रकों, टायरों और ट्यूबों के व्यापारी और वितरक इन चीजों को भारी मुनाफे पर बेच रहे हैं ;

(ख) क्या इन व्यापारियों और वितरकों द्वारा इन उत्पादों की बिक्री से प्राप्त लाभ में से कांग्रेस चुनाव फंड में धन देने के लिए उन्हें बाध्य किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या यह सच है कि इन चन्दों के कारण इन उत्पादों के लिए दी जाने वाली कीमतों और लाभों में और वृद्धि हो गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) इस प्रकार की कोई सूचना इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है और भाग (ख) में लगाए गए आरोपों का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।

विवरण

वर्ष 1973 में टायरों और ट्यूबों का उत्पादन 1972 में हुए उत्पादन से अधिक रहा। यद्यपि उपलब्ता मांग के बराबर नहीं रही है। सभी किस्मों और ट्यूबों की कमी नहीं है। कुछ किस्मों के टायर और ट्यूब छूट (रिबेट) पर भी बेचे जा रहे हैं और यह सूचनाएं भी छपी है कि कुछ किस्मों के टायर और ट्यूब विशेषतया बस और ट्रकों के अधिक मूल्य (प्रीमियम) पर बेचे जा रहे हैं।

प्रतिरक्षा, मूल उपकरण निर्माताओं, संभरण और निपटान के महानिदेशालय की दर संविदा पार्टियों, राज्य परिवहन उपक्रमों और 10 या अधिक वाहनों की कीट के स्वामियों द्वारा उत्पादन का अधिकांश भाग सीधे ही उद्योग से उनके द्वारा निर्धारित मूल्यों पर लिया लिया जाता हैं। इसलिए इन संभरणों के बारे में अधिक मूल्य लेने की गुंजाइश नहीं है। अधिक मूल्य देने की संभावना केवल बिक्रेताओं के माध्यम से बदलने के लिए बेचने हेतु दी गई मात्रा के बारे में हो सकती है। इस असामाजिक व्यवहार को समाप्त करने का एक मात्र संतोषजनक समाधान मांग के अनुरूप उपयुक्त उत्पादन करना है। दुर्भाग्यवश, बिजली की कटौती। कारखानों में हड़तालें, कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता, इत्यादि विभिन्न अड़चनों के कारण मांग के साथ-साथ उत्पादन नहीं बढ़ा है।

अत : सरकार कमी और धांधली को रोकने के विचार से उत्पादन म यथा संभव बढ़ोतरी करने और विद्यमान वितरण व्यवस्था को सुप्रवाही बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर जोर दे रही है। टायरों तथा ट्यूबों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और राज्य सरकारों से उनके क्षेत्रों के अन्दर टायरों तथा ट्यूबों की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी करने को कहा गया है। उनको अनैतिक व्यवहार में पड़ने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए आवश्यक शक्तियां प्राप्त हैं। केन्द्रीय सरकार ने भी कम आपूर्ति वाले टायर और ट्यूबों की कुछ किस्मों का मूल्य निर्धारित करने के लिए टायर तथा ट्यूब (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1973 जारी किया है।

वर्ष 1974 के दौरान बड़ी संख्या में बिकने वाले समाचारपत्रों के कोटे में वृद्धि

8053. श्री मधु लिमये : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के महीनों में विभिन्न देशों से अखबारी कागज प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न का क्या परिणाम निकला है ;

(ख) क्या सरकार वर्ष 1974 के दौरान बड़ी संख्या में बिकने वाले समाचारपत्रों के कोटे में वृद्धि कर सकेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या बड़ी संख्या वाले समाचारपत्रों को आवंटित अखबारी कागज के कोटे में और अधिक कमी की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) कैलेन्डर वर्ष 1974 में अखबारी कागज प्राप्त करने के लिए अब तक किए नए करारों के अन्तर्गत 66,000 टन अखबारी कागज की मात्रा आती है।

(ख) और (ग) 1974-75 के लिए दैनिकों सहित समाचारपत्रों का अखबारी कागज का कोटा वितरण के लिए उपलब्ध अखबारी कागज की मात्रा और समाचारपत्र उद्योग की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। वास्तविक उपलब्धता और आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल निश्चयपूर्वक यह कहना संभव नहीं है कि कोटे में वृद्धि होगी या कमी।

वर्ष 1973-74 तथा वर्ष 1974-75 के दौरान दूरदर्शन केन्द्रों के लिए कुल अनुमानित परिव्यय

8054. श्री मधु लिमये : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष में नए दूरदर्शन केन्द्र खोले जा रहे हैं ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्तमान दूरदर्शन केन्द्रों तथा प्रस्तावित नए केन्द्रों पर वर्ष 1973-74 तथा वर्ष 1974-75 में कुल कितना परिव्यय होने का अनुमान है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) मद्रास में एक टेलीविजन केन्द्र के तथा कलकत्ता में एक अन्तरिम टेलीविजन केन्द्र के 1974-75 के अन्त तक चालू हो जाने की संभावना है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	अनुमानित पूंजीगत परिव्यय		अनुमानित आवर्ती व्यय	
	1973-74 के दौरान	1974-75 के दौरान	1973-74 के दौरान	1974-75 के दौरान
			(लाख रुपयों में)	
(क) वर्तमान टेलीफोन केन्द्र				
1. दिल्ली	103.19	86.28	52.00	62.64
2. अमृतसर	11.22	7.25	14.03	14.08
3. श्रीनगर	47.13	19.63	32.09	32.10
4. बम्बई	33.59	8.00	49.46	41.18
5. पूना	9.91	0.17		
(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट नये केन्द्र				
1. मद्रास टेलीविजन केन्द्र	67.29	84.52	शून्य	5.00
2. कलकत्ता टेलीविजन केन्द्र (अन्तरिम ढांचा)	27.64	47.56	शून्य	5.00

तारापुर परमाणु परियोजना के कार्यकरण का पुनर्विलोकन

8055. **श्री मधु लिमये : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में तारापुर परमाणु विद्युत् परियोजना के कार्य का पुनर्विलोकन किया गया है ;

(ख) तारापुर परियोजना का मूल विद्युत् उत्पादन लक्ष्य क्या था ;

(ग) वर्ष 1973 में वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ; और

(घ) तारापुर परमाणु विद्युत् संयंत्र के कार्य में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तारापुर परमाणु बिजलीघर के कार्य का पुनरीक्षण परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निरन्तर किया जाता रहता है।

(ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर के संचालित रहने की कुल अवधि में लगभग 2600 मिलियन यूनिट बिजली का औसत वार्षिक उत्पादन होने की संभावना है जो कि बिजलीघर के केपीसिटी फैक्टर के 75 प्रतिशत के बराबर बैठता है। तथापि, बिजलीघर को अनेक आंतरिक अवस्थाओं एवम् बाह्य परिस्थितियों के कारण वास्तविक उत्पादन अलग-अलग रहने की संभावना है। वर्ष 1973 में बिजली घर में लगभग 2100 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की संभावना थी।

(ग) वर्ष 1973 में तारापुर परमाणु बिजलीघर में बिजली का वास्तविक उत्पादन 2007 मिलियन यूनिट रहा था।

(घ) तारापुर परमाणु बिजलीघर की कार्यक्षमता अन्य स्थानों पर लगे हुए इसी प्रकार के अन्य परमाणु बिजलीघरों की कार्यक्षमता की तुलना में किसी प्रकार से कम नहीं रही है। तथापि, इसकी कार्य-क्षमता में सुधार करने का यथासम्भव प्रयास निरन्तर किया जाता है इस प्रयास के अन्तर्गत, बिजलीघर के डिजाइन में यथावश्यक परिवर्तन किया जाता है, जटिल कार्यों को करने में सक्षम कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण दिया जाता है एवम् कार्य पर लगाया जाता है, बिजलीघर में ईंधन बदलने की अवधि को तथा अन्य कारणों से इसके बन्द रहने की अवधि को लगातार कम करने के उपाय एवम् साधन निकाले जाते हैं, कार्य-विधियों एवम् उपकरण-प्रणालियों में सुधार करके रेडियोसक्रियता से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में कमी की जाती है तथा इसी प्रकार से अन्य कार्य भी किए जाते हैं। बिजलीघर की कार्य-क्षमता ट्रांसमिशन प्रणाली से संबंधित जैसे बाह्य कारणों से भी काफी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से, परमाणु ऊर्जा विभाग ने हाल ही में केन्द्रीय जल एवम् विद्युत् आयोग, महाराष्ट्र राज्य विद्युत् बोर्ड, गुजरात राज्य विद्युत् बोर्ड तथा टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी के सहयोग से समस्याओं का विश्लेषण करने का एक विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ किया है, ताकि ग्रिड में उत्पन्न होने वाली खराबियों एवम् उनके परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाया जा सके और यह भी पता लगाया जा सके कि बिजली का उत्पादन और अधिक विश्वसनीयता के साथ करने तथा बिजलीघर एवम् ग्रिड की सुरक्षा को कायम रखने के लिए तारापुर परमाणु बिजलीघर एवम् ग्रिड के सुरक्षात्मक यंत्रों में कितना और सुधार करना आवश्यक है।

कोटा परमाणु विद्युत् परियोजना से बिजली का उत्पादन

8056. **श्री मधु लिमये :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा परमाणु ऊर्जा परियोजना में बिजली का उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रतिदिन कितनी बिजली उत्पादित की जाती है ; और

(ग) इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पूरी क्षमता के साथ बिजली का उत्पादन कब से होगा।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट ने 15 दिसम्बर, 1973 को व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू कर दिया था। बिजलीघर का दूसरा यूनिट निर्माणधीन है तथा उसके सन् 1976 में क्रान्तिक हो जाने की आशा है। यह यूनिट क्रान्तिकता प्राप्त करने के सम्भवत: कुछ महीने बाद पूरी क्षमता से काम करना शुरू करेगा।

(ख) तथा (ग) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट आजकल 170-180 मैगावाट स्तर के बीच काम कर रहा है और प्रतिदिन लगभग 4 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करना है। इसकी उत्पादन क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ा कर अगस्त-सितम्बर 1974 तक 200 मैगावाट के पूरे स्तर तक ले जाया जाएगा।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

8057. श्री मधु दण्डवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र-एकाकीकरण समिति ने अनिर्णीत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को हल करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता के विरोध में सामूहिक रूप से अनशन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) रिपोर्ट मिली है कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बेलगाम में 26 मार्च, 1974 को 12 घंटे की भूख हड़ताल आयोजित की। संबंधित मुख्य मंत्रियों के बीच सहमति के क्षेत्रों का पता लगाने तथा सौहार्द पूर्ण हल जो अधिकतम लोगों को मान्य हो, ढूंढने की दिशा में प्रयत्न किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं।

लघु उद्योगों द्वारा अधिक खपत वाली वस्तुओं का उत्पादन

8058. श्री सी० के० जाफरशरीफ : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए, उन्हें अधिक खपत वाली वस्तुओं के उत्पादन की ओर मोड़ने के विचार से, कार्यक्रम में कोई बड़ा परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) और (ख) हथकरघा वस्त्र, परिकृत खाद्य पदार्थ व दाल, गुड़ तथा खाण्डसारी, तेल, जूते, माचिस, लालटैन, साबुन, साइकिल इत्यादि सहित आम उपयोग की काफी वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योग कर रहे हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में परिकल्पित लक्ष्यों में से एक मुख्य ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उद्योग

8059. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन फर्मों ने लाइसेंस लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में उद्योग स्थापित नहीं किए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में कितने नए उद्योग स्थापित हुए हैं तथा वे कहां कहां स्थापित हैं तथा उनकी क्षमता कितनी है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) 1971 से 1973 तक की अवधि में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एककों को छब्बीस औद्योगिक लाइसेंस दिए गए थे। इनमें से उन्नीस नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए थे। इन उन्नीस लाइसेंस के बारे में स्थान निर्मेय वस्तु और लाइसेंस प्राप्त क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

नए उपक्रम की स्थापना में औद्योगिक लाइसेंस जारी होने के पश्चात प्राय: तीन से चार वर्ष का समय लगता है। अत: नए उपक्रम जिनको पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक

लाइसेंस दिए गए थे, वास्तविक उत्पादन शुरू कर देंगे यह सोचना समय पूर्व है। अतः ये लाइसेंस कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों पर हैं।

विवरण

औद्योगिक एकक का स्थान		निर्मेय वस्तु	स्वीकृत वार्षिक क्षमता
1971	असम	मेथानोल	7000 मी० टन
		फोरमालित	12000 मी० टन
		यू० एफ० ग्लू	12000 मी० टन
		यू० एफ० मॉल्डिग पाउडर	1000 मी० टन
		पी० वी० सी० परिष्कृत खाद्य	6000 मी० टन
		नान कसेटेटड ग्लू	12000 मी० टन
		कसेटेटड ग्लू	12000 मी० टन
	असम	वनस्पति	50 मी० टन प्रति डीम
	गोलपारा अथवा कछार	वनस्पति	50 मी० टन प्रति डीम
1972	डिबरूगढ़ जिला.	गेहूं उत्पाद	27000 मी० टन
	गोलपाड़ा जिला	माल्टसत	2100 मी० टन
	करीमगन्ज जिला	वाणिज्यिक और सजावट के लिए प्लाई वुड	29000 वर्ग मी०
		टीक मिनर्स	357000 वर्ग मी०
	गोलपाड़ा जिला	गेहूं उत्पाद	15000 मी० टन
	सिलच्र जिला	गेहूं उत्पाद	15000 मी० टन
	कछार जिला	चीनी	1250 मी० टन प्रति डीम
	अगरतल्ला त्रिपुरा	गेहूं उपाद	30000 मी० टन
	दीमापुर, नागालैण्ड	गेहूं उत्पाद	30000 मी० टन
	गोलपाड़ा जिला	कास्टिक सोडा	7700 मी० टन
		कलरिन	6780 मी० टन
		हाइड्रोक्लोरिक एसिड	1650 मी० टन
	शिलांग, मेघालय	गेहूं उत्पाद	30,000 मी० टन
	डिबरूगढ़ असम	गेहूं उत्पाद	30000 मी० टन
	अगरतल्ला त्रिपुरा	गेहूं उत्पाद	9000 मी० टन
1973	धुबरी, असम	गेहूं उत्पाद	36000 मी० टन
	इम्फाल मणिपुर	सूती धागे	25520 स्पि०
	गोरीपुर असम	गेहूं उत्पाद	15000 मी० टन
	बोगेगांव, असम	पैट्रोकैमिकल्स के लिए नेप्था	44900 मी० टन
		एस० आर० नेप्था	87800 मी० टन
		मिक्सड नेप्था	58000 मी० टन

पश्चिम बंगाल में विदेशी सहयोग की योजनाएं

8060. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 और 73-74 के दौरान वर्षवार विदेशी सहयोग की कौन सी योजनायें स्वीकृत की गयी और उनकी क्षमता, पूंजी परिव्यय कितना था और वे कहां कहां स्थित हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : वर्ष 1971, 1972 और 1973 में स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	स्वीकृत प्रस्तावों की कुल संख्या	विदेशी पूंजी निवेश वाले प्रस्तावों की संख्या	विदेशी निवेश की राशि (लाख रूपयों में)
1971 . .	245	46	583.81
1972 .	257	37	622.66
1973 .	265	34	281.72

1971, 1972 और 1973 में स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों के विवरण जिनमें भारतीय पार्टी के नाम विदेशी सहयोगी के नाम उत्पादन की वस्तु तथा प्रस्ताव में विदेशी पूंजी सहभोगिता आवश्यक है अथवा नहीं आदि का उल्लेख किया गया है संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। ऊपर बताए गए 1973 के विवरण में पार्टियों द्वारा उनके विदेशी सहयोग आवेदनों में परियोजना स्थापित करने के स्थान का भी उल्लेख किया गया है।

श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया वक्तव्य

8062. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि बिगड़ती हुई वर्तमान आर्थिक स्थिति तथा जनता के असन्तोष को दूर न किया गया तो देश में एक नई क्रान्ति होगी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने श्री जय प्रकाश नारायण के वक्तव्यों के बारे में कुछ प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) सरकार विधि व व्यवस्था तथा साथ ही देश की आर्थिक स्थिति पर भी निकट सम्पर्क बनाये हुए है और सुरक्षा बनाये रखने तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जो कुछ भी व्यवहार्य तथा वांछित उपाय हो सकते हैं, प्रारम्भ कर रही है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के कारण उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन

8063. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन गैर-सरकारी क्षेत्र पर निर्भर रहता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन उपचारात्मक उपायों पर विचार किया गया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई भी समाचार भारत सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु उद्योग बोर्ड की बैठक

8064. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग बोर्ड की बैठक 23 जनवरी, 1974 को हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या निष्कर्ष निकाले गए?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां ।

(ख) बैठक की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित से सम्बन्धित थीं :—

(1) गणना शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता;

(2) लघु उद्योगों को ऋण सुविधाएं दिए जाते रहने की आवश्यकता; तथा

(3) अधिक खपत वाले उद्योगों तथा कृषि पर आधारित व ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन।

उड़ीसा में सीमेंट कारखाना

8065. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पास सीमेंट के और अधिक कारखाने खोलने की क्षमता है; और

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें कारखाने बिना किसी झंझट के स्थापित किए जा सकते हैं?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) औद्योगिक विकास मन्त्रालय ने सीमेंट कारखाने लगाने के लिए उड़ीसा राज्य की क्षमता को नहीं आंका है।

उड़ीसा में जनगणना कर्मचारी

8066. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जनगणना कर्मचारियों में स्थायीकरण आदि के मामले पर रोष व्याप्त है और क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) उड़ीसा में जनगणना कर्मचारियों ने अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने का आग्रह किया है।

(ख) दसवर्षीय देशव्यापी जनगणना एक बड़ी समयबद्ध कार्यवाई है। इसके लिए बिल्कुल अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर हजारों व्यक्तियों की भर्ती करनी होती है। अन्य विभागों तथा कार्यालयों में वैकल्पिक नौकरियों दिलाने में छटनी किए गए जनगणना कर्मचारियों की

सहायता करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उड़ीसा जनगणना कार्यालय में अब तक दस पद स्थायी घोषित किए गए हैं। उनमें से दो पद भरे गए हैं। अन्य आठ को भरने का प्रश्न विचाराधीन है। और अधिक अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने का मामला केवल अन्तर-जनगणना कार्य के सन्दर्भ में कर्मचारियों की आवश्यकता स्पष्ट हो जाने पर ही हाथ में लिया जा सकता है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दिए जाने वाले छात्रावास, अनुदान तथा वजीफे की दर में पुनरीक्षण करने के बारे में अभ्यावेदन

8067. **श्री गदाधर साहा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वीरभम जिले के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दिए जाने वाले छात्रावास अनुदान तथा वजीफे की दर में, जीवन निर्वाह खर्च में हुई भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में उन्हें कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए क्या ठोस कार्यवाही की गई थी अथवा की जा रही है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों दोनों के मामलों में छात्रावास शुल्क में पुनरीक्षण कर उसे ग्रामीण क्षेत्रों में 30.00 रुपए से 45.00 रुपए प्रतिमास तथा शहरी क्षेत्रों में 35.00 रुपए से 50.00 रुपए प्रतिमास कर दिया है। मैट्रिकोत्तर छात्रावृत्तियों की दरें बढ़ाने के प्रश्न पर भी भारत सरकार इस समय विचार कर रही है।

पश्चिम बंगाल में पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए उपयोजना

8068. **श्री गदाधर साहा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार की राज्य योजना में अनुसूचित जनजाति पर जोर देते हुए पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पृथक उप-योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो जिला-वार, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) राज्य सरकार से कहा गया था कि योजना आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार वह पश्चिम बंगाल में अधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्रों के लिए एक पृथक उप-योजना जिसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है, तैयार करें।

एक आई० पी० एस० अधिकारी द्वारा खोये गये दस्तावेज

8069. **श्री समर मुखर्जी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना विभाग, जोधपुर और बीकानेर डिवीजन (राजस्थान) के एक जोनल अधिकारी श्री पुखराज माथुर, आई० पी० एस० से 16 अगस्त की रात को एक चलती रेलगाड़ी में महत्वपूर्ण फाइलें और बार्डर ड्राफ्ट खो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या खोये हुए दस्तावेज मिल गए थे;

(घ) क्या इस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) 16 अगस्त, 1971 की रात्रि को जब श्री पुखराज माथुर, पुलिस अधीक्षक, खुफिया विभाग, जोधपर से जयपुर के लिए रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे तो उनकी एक अटैंची, जिसमें दो फाइलें थी, गुम हो गई, उनमें से एक फाइल में अगले दिन जयपुर में होने वाली सीमा बैठक में विचार विमर्श के लिए तत्सम्बन्धी कुछ नोट थे। गुम हुए किसी कागज में कोई विशिष्ट सूचना नहीं थी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) तथा (ङ) राजस्थान के खुफिया विभाग के आसूचना चीफ द्वारा की गई जांच में पाया गया कि फाइलों के गुम होने में अधिकारी की ओर से कोई सुस्ती अथवा कोई लापरवाही नहीं थी, और न ही इसमें समाज विरोधी तत्वों द्वारा उठाईगीरी (पिलफ्रेज) की कार्यवाही थी, किन्तु सिर्फ चोरी का मामला प्रतीत होता है। अतः अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

गैर-सरकारी क्षेत्र में जेसप डिजाइन

8070. **श्री बसंत साठे :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 29 मार्च, 1974 के एक समाचारपत्र में 'जैसप डिजाइन इन प्राइवेट हैंडस' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह कहना सही नहीं है कि डिजाइनों और ड्राइंग अनधिकृत रूप से महाराष्ट्र की एक प्राइवेट (निजी) फर्म को दी गई है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की जांच का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। विकास परामर्श दाताओं की रिपोर्ट पर प्रबन्ध समिति द्वारा विचार किया गया है और उनके सुझावों पर अमल किया गया है। सरकार और कम्पनी दोनों ही कम्पनी के उत्पादन में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष में कम्पनी का उत्पादन 24 करोड़ रुपए से अधिक था जबकि वर्ष 1970-71 में यह केवल 8 करोड़ रुपए था। 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में आशा है कम्पनी में 34 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हो सकेगा।

विदेशों में तथा विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं में काम कर रहे वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविज्ञों द्वारा भारत में उद्योगों की स्थापना

8071. **श्री बसंत साठे**
श्री चन्द्र शेखर सिंह } : क्या विज्ञान **और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने विदेशों तथा विज्ञान और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की प्रयोगशालाओं में काम कर रहे वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी-विज्ञों को भारत में उद्योग स्थापित करने में सहायता देने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विदों और इंजीनियरों को जो विदेशों में उत्पादन यूनिटों में कार्यरत हैं को आकर्षित करने, भारत वापिस आने तथा देश में अपने उद्योग शुरु करने के लिए एक सम्मिलित योजना स्वीकृत की गई है जिसमें विशेष रूप से उत्पादन प्रोद्योगिकी क्षेत्रों में कौशल प्राप्त व्यक्ति होंगे।

इस योजना की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं :—वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकी विद जो उत्पादन प्रौद्योगिकी में अनुभवी हैं, को निश्चित समय के लिए विदेशी बैंकों में अपनी आय रखने की आज्ञा दी जानी चाहिए, जिसका प्रयोग वे अपने उद्योग प्रारम्भ करने में आवश्यक उपकरण, अतिरिक्त औजार आदि का आयात करने में कर सकें। जहां आवश्यक होगा उनको औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त कराने में भी सहायता दी जायेगी, और उत्पादन में सहायक माल (कैपीटल गुडस) का आयात करने की सुविधायें भी प्रदान की जायेंगी तथा बिजली पानी और औद्योगिक भूमि/भवन जैसी विविध व्यवस्थाओं की सुविधाएं भी प्रदान की जायेंगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्त प्रदान करने वाले संस्थानों जो सरकारी क्षेत्र के हैं, से पूंजी बढ़ाने में भी सहायता दी जायेगी।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) का कोई भी वैज्ञानिक जो सी० एस० आई० आर० की प्रविधि के आधार पर अथवा तकनीकी जानकारी के आधार पर उत्पादन सन्यन्त्र स्थापित करना चाहता है, को सहायता करने सम्बन्धी अन्य योजना के विवरणों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

उपभोक्ता वस्तुओं के लिए इंजीनियरी उद्योग में क्षमता का उपयोग

8072. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता वस्तुओं के लिए इंजीनियरी उद्योग में 25 से 55 प्रतिशत तक क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) क्या कुछ मामलों में यह प्रतिशतता 100 से भी अधिक है; और

(ग) क्या क्षमता के कम उपयोग से प्रतिव्यक्ति उपलब्धता कम हो गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी हां। कुछ इंजीनियरी और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों में।

(ख) अप्रयुक्त क्षमता 100 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(ग) ऐसा होना जरूरी नहीं है। वास्तविक उत्पादन/मांग और उपभोक्ताओं की प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

CRITERIA ADOPTED FOR SETTING UP NEWS-BROADCASTING STATIONS

8073. SHRI BIBHUTI MISHRA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the criteria adopted for setting up News-Broadcasting Stations; and

(b) the purposes for which the present News-Broadcasting Stations in India are being utilised ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) & (b) There are no separate news broadcasting stations for the AIR. The News Services Division of AIR puts out daily 240 news bulletins; in 18 Indian languages and 34 dialects in the Home Service and 23 languages in the External Services. The news bulletins are originated both from the News Services Division in Delhi and from 28 Regional Stations which prepare regional news bulletins. The bulletins seek to present a factual, accurate and speedy account of important news-worthy developments at home and abroad.

अखबारी कागज के उत्पादन के लिए जापान से पेशकश

8074. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान में अखबारी कागज का उत्पादन करने वाले कुछ निर्माताओं ने भारत को अपनी फालतू क्षमता उपयोग करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) क्राफट लुगदी का उत्पादन करने हेतु भारत में संयुक्त उद्योग स्थापित करने की कुछ जापानी उद्यमकर्ताओं ने जापान स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से कोशिश की थी।

(ख) चूंकि क्राफट लुगदी बनाने की आवश्यक विशेषता देश में ही उपलब्ध है और विदेशी सहयोग की वर्तमान नीति के अनुरूप इस काम के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है अतः प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी जा सकी। फिर भी निर्यात की सम्भावनाओं तथा समुन्नत प्रौद्योगिकी की प्राप्ति हेतु इस विषय पर और विस्तार से जांच की जा रही है।

गाजीपुर का विकास

8075. **श्री सरजू पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नकद राजसहायता देने के लिए जिलों के चयन की कसौटी क्या है; और

(ख) गाजीपुर में उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) एक नोट संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6819/74]**

(ख) उत्तर प्रदेश वित्त निगम सावधिक ऋण तथा रियायती दरों तथा कम दर पर कार्यवाहक पूंजी प्रदान करता है। 20 अश्व शक्ति से अनधिक विद्युत वाले कुछ उद्योगों 9 पैसे प्रति यूनिट तक विद्युत में राजसहायता दी जाती है। जिले में निर्मित लघु उद्योगों की वस्तुओं को 15 प्रतिशत का मूल्य अधिमान दिया जाता है। जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम वस्तुओं को तैयार करने, कच्चे माल की आपूर्ति तथा किराया खरीद के आधार पर मशीनें दिलाने में तकनीकी सहायता तथा मदद प्रदान करता है।

छूट की लम्बी अवधि, ऋण अदायगी की अधिक अवधि होने तथा कम दर निश्चित करते समय उत्तर प्रदेश वित्त माल निगम द्वारा लघु और मध्यम आकार की परियोजनाओं के लिए रियायती शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं।

भूतपूर्व संसद् सदस्यों के नाम से टेलीफोन कनेक्शन

8076. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में भूतपूर्व संसद सदस्यों के नाम में कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं; और

(ख) क्या इन में से कुछ टेलीफोन अलाटियों से इतर व्यक्तियों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं और भूतपूर्व संसद सदस्यों दिल्ली/नई दिल्ली में उन स्थानों पर कभी भी नहीं ठहरे जहां उनके टेलीफोन लगे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार जांच करेगी और ऐसे टेलीफोन हटा लेगी यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) भूतपूर्व संसद सदस्यों के नाम पर काम कर रहे टेलीफोन कनेक्शनों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।

(ख) और (ग) कोई खास दृष्टान्त विभाग की जानकारी में नहीं लाया गया है। टेलीफोन किराये पर लेने वाली पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी द्वारा टेलीफोनों का अनधिकृत इस्तेमाल भारतीय तार नियमों का उल्लंघन है और जब कभी इस तरह के दृष्टान्त विभाग की जानकारी में आते हैं तो ऐसे टैलीफोनों को काटने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सुपरवाइजर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

8077. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मार्च या अप्रैल, 1974 में टेलीकम्युनिकेशन सुपरवाइजरस एसोसिएशन दिल्ली से कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए विशेष भत्ते और प्रोत्साहन दिए जाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि को प्राथमिकता देने की राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति की सिफारिश

8078. **श्रीमती सावित्री श्याम**
श्री अमर सिंह चौधरी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति ने सरकार को मत्स्य उद्योग, जल संसाधन, पशु पालन तथा फसल कटने के बाद की टैक्नोलोजी सहित कृषि को उच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है, और यदि हां तो इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) कृषि विषयक क्षेत्र के कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के प्रारूप (1974-79) में सम्मिलित हैं जिसकी प्रतियां सदन के पटल पर अलग से रख दी गयी हैं ।

(ग) इन कार्यक्रमों से संबंधित पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा चुका है । खाद्य तथा वन संबंधी कार्यों सहित इस क्षेत्र में कुल परिव्यय 125 करोड़ रूपये का होगा । अब इन कार्यक्रमों को वित्त मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

ओखला, दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों में गोलीचालन

8079. **श्रीमती सावित्री श्याम**
श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1974 के प्रथम सप्ताह के दौरान ओखला, दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में लाठी चार्ज, अश्रु गैस के गोले छोड़ने तथा गोली चलाने के कारण कुछ व्यक्ति घायल हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो इन उपद्रवों के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) क्या इन घटनाओं की जांच करने के आदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) 5 अप्रैल, 1974 को मजदूरों के एक दल ने ओखला, दिल्ली में एक औद्योगिक स्थापना के सामने एक प्रदर्शन का आयोजन किया । स्थापना के गार्ड ने 5 से 6 राउन्ड गोलियां चलाई जिसके परिणामस्वरूप सात व्यक्ति जख्मी हुए । मजदूरों की शिकायत पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और 11 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । स्थापना के प्रबन्ध ने भी दंगा करने और सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने की एक शिकायत दर्ज कराई और एक दूसरा आपराधिक मामला दर्ज किया गया ।

6 अप्रैल, 1974 को मजदूरों ने बन्द का आयोजन किया । प्रदर्शनकारी अनियंत्रित तथा हिंसक हो गये । उन्होंने सम्पत्ति को आग लगाने का प्रयत्न किया और पुलिस पर आक्रमण किया ।

भीड़ को तित्तर-बित्तर करने के लिये पुलिस ने अश्रुगैस का प्रयोग किया, पैंतीस व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। पांच प्रदर्शनकारियों को मामूली चोट आई। पैंतीस पुलिस कर्मचारी भी जख्मी हुए।

(ग) जी नहीं, श्रीमन्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गियाना को दूर संचार के उपकरणों की बिक्री

8080. **श्री बनमाली बाबू, श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गियाना को दूर संचार के उपकरणों को बेचने हेतु बातचीत करने के लिए उस देश को एक प्रतिनिधिमण्डल भेजने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा तथा इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के इंजीनियरों का एक दल हाल ही में गियाना में दूरसंचार उपस्करों की बिक्री की संभाव्यता का पता लगाने के लिये, वहां गया था। उपस्कर की बिक्री का प्रस्ताव इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विचाराधीन है।

केन्द्रीय सरकार के एक भूतपूर्व मंत्री पर आरोप

8081. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के एक भूतपूर्व विधि मंत्री श्री ए० के० सेन को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आरोप-पत्र दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन पर किन मामलों की शिकायतों के आधार पर आरोप लगाये गये हैं; और

(ग) क्या कथित अपराध उस अवधि से सम्बन्धित हैं जिसमें श्री सेन केन्द्रीय मंत्री थे?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा श्री ए० के० सेन तथा अन्यों के विरुद्ध न्यायालय में एक आरोप पत्र दायर किया गया है, जो प्रेस रजिस्ट्रार तथा विज्ञापन एजेन्सियों/विज्ञापन कर्ताओं को 'दैनिक बासुमति' के वितरण के आंकड़ों के संबंध में कतिपय झूठे अभ्यावेदन देकर धोखा देने और धोखाधड़ी की आपराधिक जालसाजी से संबंधित अपराधों के संबंध में है।

(ग) अपराध किए जाने की जालसाजी का समय 1965 के अन्त अथवा 1966 के आरम्भ से है। श्री ए० के० सेन 17-4-1957 से 24-1-1966 तक केन्द्रीय मंत्री थे।

PROFIT AND LOSS INCURRED BY KGB, NEW DELHI

8082. SHRI HIRALAL DODA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) the total capital invested in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi and the amount of net loss incurred or the profit earned by this institution during last three years; and

(b) the amount of net loss incurred and of the profit earned by the said institution since its inception?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबन्ध

8083. **श्री जगन्नाथ राव जोशी**
श्री नरेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबन्ध लगाया गया था और यदि हां, तो कब; और

(ख) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण बताने वाले गृह मंत्री के प्रसारण का पाठ क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर 1948 में पश्चिम बंगाल में प्रतिबन्ध लगाया गया था। दिनांक 25 मार्च, 1948 की एक अधिसूचना द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा इसकी शाखाओं व स्वयं-सेवी संगठनों को भारतीय आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत अवैध घोषित किया था। 27 मार्च, 1948 को विधान सभा में एक वक्तव्य में पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री ने राज्य में पार्टी पर प्रतिबन्ध लगाने के सरकार के निर्णय को स्पष्ट किया था।

1944 के अन्त में, वामपंथी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता तथा कार्यकर्ता जो देश की सुरक्षा के प्रतिकूल गतिविधियों में अन्तर्गस्त थे, नजरबन्द किये गये थे। इस प्रकार पार्टी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था। इस संबध में 1 जनवरी, 1965 को राष्ट्र के लिये केन्द्रीय गृह मंत्री के प्रसारण की एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी जाती है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये सं० एल० टी० 6829/74]

राव तुलाराम के जीवन पर, उनकी पुण्य तिथि पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रस्ताव

8084. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक महान क्रान्तिकारी तथा 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के नायक राव तुलाराम के जीवन पर 23 सितम्बर, 1974 को उनकी पुण्य तिथि के अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) आल इण्डिया रेडियो 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में राव तुलाराम की भूमिका पर रेडियो कार्यक्रम उपयुक्त अवसर पर प्रसारित करेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिम बंगाल में बिजली की सप्लाई वस्तुतः ठप्प होने का समाचार

श्री त्रिदिव चौधरी (बररामपुर) : मैं **सिंचाई और विद्युत** मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें।

"पश्चिम बंगाल में बिजली की सप्लाई वस्तुतः ठप्प होने तथा उद्योगों और अन्य सभी उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई में 40 प्रतिशत कटौती करने के निर्णय के समाचार" ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : पश्चिमी बंगाल में ऐसे क्षेत्र को छोड़कर जहां सांविधिक उत्तरदायित्व के अनुसार बिजली की सप्लाई दामोदर घाटी निगम द्वारा की जाती है, बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड उतरदायी है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने बिजली के उत्पादन और वितरण के लिए कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड तथा कुछ अन्य छोटे-छोटे लाइसेंसधारियों को भी लाइसेंस दिए हुए हैं ।

2. पश्चिमी बंगाल में दामोदर घाटी क्षेत्र को छोड़कर, बिजली के लिए प्रत्याशित मांग के लगभग 900 मैगावाट होने का अनुमान है। इसमें से, स्वयं कलकत्ता में लगभग 560 मैगावाट की मांग है। लाइसेंसधारियों सहित, राज्य में प्रतिष्ठापित क्षमता 1160 मैगावाट है। इसके अतिरिक्त 120 मैगावाट की यूनिट संतालडीह में चालू की जा चुकी है। यद्यपि इसके उत्पादन में घटा-बढ़ी होती रहती है ।

3. बहरहाल, बिजली की वास्तविक सप्लाई काफी कम रही है। दुर्गापुर प्रोजेक्टस लिमिटेड के विद्युत केन्द्र में जनवरी, 1974 में हुई अग्नि दुर्घटना 285 मैगावाट की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता के प्रति, इसका उत्पादन घटा कर 160 मैगावाट तक लाने के लिए मुख्यतया उत्तरदायी है। कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड की क्षमता सेटों के पुराने हो जाने के कारण 420 मैगावाट से कम होकर 337 मैगावाट रह गई है। इसका वास्तविक उत्पादन लगभग 270 मैगावाट है। पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुसार बंडेल केन्द्र में कोयले की किस्म इत्यादि के कारण कठिनाइयों और इसमें कार्य-बन्दियों के कारण 330 मैगावाट को प्रतिष्ठापित क्षमता के प्रति औसत विद्युत उत्पादन लगभग 170 मैगावाट ही है। पश्चिमी बंगाल में मार्च में कुल औसत विद्युत उत्पादन लगभग 638 मैगावाट हुआ। पश्चिमी बंगाल में लगभग 15 प्रतिशत ऊर्जा की कमी रही ।

4. चौथी योजना में पश्चिमी बंगाल में 251 मैगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का निर्माण करने का लक्ष्य था। इसमें से केवल 131 मैगावाट की वास्तविक उपलब्धि हुई थी। लक्ष्य के अनुरूप विद्युत उत्पादन क्षमता का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके साथ-साथ जबकि भार में निरन्तर वृद्धि हो रही है, वर्तमान केन्द्रों के उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप राज्य में बिजली की कमी हुई है। इन कारणों से राज्य सरकार को मजबूरन कलकत्ता सहित, राज्य में बिजली की मांग पर 15 प्रतिशत कटौती लगानी पड़ी ।

5. दामोदर घाटी निगम केवल अपने सांविधिक उत्तरदायित्व वाले क्षेत्रों में ही नहीं, अपितु कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड और पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को भी बिजली सप्लाई करता रहा है। कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ हुई संविदा 1969 में समाप्त हो गई थी और इसका नवीकरण नहीं किया गया है। 1965 में यह निर्णय भी लिया गया था कि 1969 तक दामोदर घाटी निगम को इसके सांविधिक उत्तरदायित्व से बाहर के क्षेत्रों को बिजली सप्लाई करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा। बहरहाल, राज्य बिजली बोर्ड के इस वचनबद्धता को पूरा करने में समर्थ

न होने के कारण, इस निर्णय की अनुपालना नहीं की जा सकी। कलकत्ता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, दामोदर घाटी निगम ने कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड को उपलब्धता के अनुसार विद्युत सप्लाई करना जारी रखा। सामान्यतया यह सप्लाई 50-70 मैगावाट के बीच रही। पश्चिमी बंगाल बिहार और उड़ीसा जैसी पड़ौसी प्रणालियों से सहायता लेने में समर्थ नहीं हो पाया क्योंकि उनकी अपनी-अपनी समस्याएं थीं।

6. गत कुछ दिनों में, पश्चिमी बंगाल के बंडेल केन्द्र में बिजली का उत्पादन कम होकर 170 मैगावाट से कम हो गया है। पिछले तीन दिनों में बन्डेल में वास्तविक औसत बिजली उत्पादन कम होकर 110 मैगावाट रह गया। संतालडीह में भी जहां 50 मैगावाट विद्युत का उत्पादन होता था, विद्युत उत्पादन घटते-घटते शून्य तक पहुंच गया है। दामोदर घाटी प्रणाली में उत्पादन मार्च 1974 में प्राप्त 530 मेगावाट के औसत के प्रति घट कर 400 मैगावाट से कम हो गया है। दामोदर घाटी निगम से इसके मुख्य उत्तरदायित्व के रूप में घाटी के भीतर विशेष रूप से राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त कोयला खनन, रेलवे और इस्पात क्षेत्रों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने की अपेक्षा है। इसके परिणामस्वरूप, दामोदर घाटी निगम कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड को 25 और 30 मैगावाट के बीच बिजली सप्लाई करने में समर्थ हो पाया है। इन सभी कमियों के परिणामस्वरूप पिछले सप्ताह के दौरान बिजली संकट की स्थिति और गंभीर हो गई।

7. पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने सूचना दी है कि उन्होंने सभी उपभोक्ताओं के लिए सप्लाई में 40 प्रतिशत को एकमुश्त कटौती नहीं की है। बहरहाल, उन्हें बिजली की वास्तविक उपलब्धता के अनुसार, समय-समय बिजली की सप्लाई बारी-बारी से करनी पड़ी। यह कटौती काफी समय से की जा रही 15 प्रतिशत कटौती के अलावा है।

8. पश्चिमी बंगाल में संतालडीह में 120 मैगावाट के विद्युत उत्पादन के स्थायी हो जाने और पश्चिमी बंगाल के अन्य केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार हो जाने के उपरांत पश्चिमी बंगाल और कलकत्ता में बिजली की स्थिति में सुधार आने की संभावना है। जैसा कि अब तक होता रहा है, दामोदर घाटी निगम पश्चिमी बंगाल को सहायता करता रहेगा और जब भी इसका उत्पादन 550 मैगावाट से अधिक हो जाता है, पश्चिमी बंगाल को 20 मैगावाट तक अतिरिक्त सहायता मिलने लगेगी।

श्री त्रिदिव चौधरी : पश्चिम बंगाल में पूरी तरह बिजली की सप्लाई ठप्प हो गयी है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल के सभी दैनिकों में समाचार दिया था कि 18 अक्तूबर, 1974 से बिजली की सप्लाई में 30 से 40 प्रतिशत कटौती की जा रही है। 1। तारीख को कलकत्ता के अधिकांश भाग में 17 घंटों के लिये बिजली की सप्लाई नहीं की गई थी।

मुख्य मंत्री ने पश्चिम बंगाल के चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को बताया कि उनकी सरकार के पास बिजली की इस कटौती के सिवाय कोई चारा नहीं है।

अगले ही दिन उस वक्तव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप पश्चिम बंगाल के विद्युत मंत्री ने एक वक्तव्य दिया कि इस प्रकार की कटौती का कोई विचार नहीं है। 20 अप्रैल, से 23 अप्रैल, की बीच स्थिति में और भी गिरावट आयी। जहां तक कि अंधकार की स्थिति में पश्चिम बंगाल विधान सभा को अपनी बैठक स्थगित करनी पड़ी।

पश्चिमी बंगाल का सब से बड़ा उद्योग-पटसन उद्योग में अधिकांश मिलें 6 दिन तक बिजली की कमी के कारण बंद रहीं। जिस नये सूत्रों की चर्चा की गई है। उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। परन्तु प्राप्त संकेतों से पता चलता है कि उसके अनुसार उद्योग को 2–3 के कार्य के लिए बिजली मिल सकेगी। यह स्थिति तो कलकत्ता के आस पास की फैक्ट्रियों की है। मिदनापुर-खड़कपुर क्षेत्र में तो कटौती 75 प्रतिशत की गई है।

कोयला खानों, कोयला शोधन शालाओं चाय उद्योग आदि की भी वैसी ही स्थिति है। राज्य के श्रम मंत्री ने सभी श्रमिक संगठनों की बैठक बुलाई है और उन पर 20–30 लाख कर्मचारियों के बिजली की कमी के कारण जबरन छुट्टी किये जाने का संकेत किया। बंगाल में समाचार पत्रों में छपा है कि मुख्य मंत्री ने इस स्थिति की जिम्मेदारी केन्द्र पर डाली है राज्य सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल द्वारा सप्लाई की गई दोषपूर्ण मशीनरी के कारण ऐसा हुआ है। केन्द्रीय प्रवक्ताओं ने राज्य सरकार पर दोष देना शुरू कर दिया है। इस समय दामोदर घाटी निगम में बिजली निर्माण की स्थिति अत्यंत विषय है।

बंगाल के लोग समझते हैं कि उन्हें अंधकार में रहना होगा तथा उनके उद्योग ठप्प हो जायेंगे। यह अत्यन्त विस्फोटक स्थिति है जिसका कुछ भी परिणाम निकल सकता है। पटसन उद्योग के निर्यात की दृष्टि से महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि कहां तक केन्द्रीय एजेंसियां इस स्थिति के लिये विशेषरूप से संतालडीह तथा बंगाल की बिजली की स्थिति के लिये उत्तरदायी है। क्या इस स्थिति के कारण क्या निकटवर्ती स्रोतों से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से पता लगाया गया है कि जब तक पश्चिम बंगाल की स्थिति में कुछ सुधार आता है तब तक कुछ सहायता मिल सकती है?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : पश्चिम बंगाल एवं विशेष रूप से कलकत्ते में बिजली के संकट की स्थिति के बारे में मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त विचारों से सहमिति व्यक्त करता हूं। मुख्य विवरण में मैंने इस स्थिति के कारणों का उल्लेख किया है।

हम पश्चिम बंगाल सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं। जितनी भी सहायता हम कर सकेंगे उतनी सहायता करेंगे। मुख्य मंत्री को मैंने इस बारे में आश्वासन भी दिया था। एक विशेषज्ञ को उसी दिन वहां भेज दिया गया है। संतालडीह का संयंत्र बी० एच० एल० द्वारा सप्लाई किया गया था। यह संयंत्र देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई हैं जिनके कारणों का उल्लेख मैं कर चुका हूं। मैंने राज्य के मुख्य मंत्री का कोई वक्तव्य नहीं देखा जिसमें उन्होंने केन्द्र पर दोषारोपण किया हो। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर इस परि-स्थिति का सामना करने की चेष्टा कर रहे हैं। दामोदर घाटी निगम में बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में मुझे सदा प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे हैं। अतः मैं यह कह सकता हूं कि वहां की स्थिति में सुधार हुआ है। बिजली का उत्पादन इस समय वहां पर सर्वाधिक हो रहा है। अब बिजली का उत्पादन 385 मैगावाट हो गया है और उसके 495 मैगावाट होने की आशा है।

श्री त्रिदिब चौधरी : उसमें से कितनी पश्चिम बंगाल को उपलब्ध की जायेगी?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमारा पहला उत्तरदायित्व इस्पात कोयला तथा रेलवे के प्रति है। हम 20 से 30 मैगावाट सप्लाई करते रहे हैं। हम 50 से 70 मैगावाट तक सप्लाई

करते रहे हैं और यदि उत्पादन 550 मैगावाट से बढ़ जाता है तो हम 20 मैगावाट अधिक अर्थात् कुल 90 मैगावाट सप्लाई कर सकते हैं।

हमने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के एक सदस्य को जोकि देश में प्रमुख इंजा-नियरों में से हैं, को वहां पर बिजली उत्पादन केन्द्रों की जांच के लिये भेजा परन्तु वह कल एक दुर्घटना से ग्रस्त हो गये। हमने बिहार सरकार से बिजली के उत्पादन को और बढ़ाने को कहा है। हम इस बात पर और ध्यान देंगे कि क्या बिहार पश्चिम बंगाल को कुछ बिजली दे सकता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरामपुर) : इस स्थिति की वास्तविकता यह है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार वस्तुस्थिति के प्रति उदासीन हैं। बिजली के गम्भीर संकट के बारे में कलकत्ता तथा दिल्ली के समाचार पत्र बार-बार घोषणाएं करते रहे हैं। परन्तु राज्य में बिजली की स्थिति सुधारने के लिये केन्द्र ने कोई कार्यवाई नहीं की है। किसी को भी राज्य सरकार तथा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य में विश्वास नहीं है। लोगों को विश्वास दिलाया गया था कि संतालडीह के चालू होते ही स्थिति सुधर जायेगी।

इस संकट के कारण फैक्ट्रियों, लघु उद्योगों को बंद करना पड़ा है। अस्पतालों तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाओं पर भी बिजली संकट का बुरा प्रभाव पड़ा।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि कलकत्ते की आवश्यकता 1000 मैगावाट है। राज्य बिजली बोर्ड में ऐसे व्यक्ति भरे पड़े हैं। जिन्हें बिजली उत्पादन की जान-कारी नहीं है। पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालते ही श्री सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा था कि 10000 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा। आज स्थिति यह है कि हर घर को लाल-टेन रखनी पड़ती है परन्तु उसके लिये भी मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं होता।

क्या मंत्री महोदय बंडेल थर्मल पावर स्टेशन के कार्य की जांच करायेंगे। वहां पर केवल दो टरबाइनें ही चल रही हैं अतएव बिजली की सप्लाई में कटौती किया जाना स्वाभाविक है।

कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के साथ करार समाप्त हो गया है। इसलिये उसे सरकार द्वारा अधिकार में लिये जाने की मांग की जाती रही है। मेरा सरकार पर आरोप है कि न तो सरकार इसे अधिकार में ले रही है। और न ही उसकी क्षमता बढ़ाने की अनु-मति दे रही है। सरकार पुरानी मशीनों के बदले में नयी मशीनें लगाये।

आप भविष्य की बात करते हैं। दस वर्ष तक कुछ भी होने का नहीं है। बिजली का संकट देश भर में विद्यमान है पर पश्चिम बंगाल की सी स्थिति कहीं पर भी नहीं है।

श्री सिद्धार्थ रे ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा सप्लाई किये गये जेनेरेटरों की जांच करने के लिये एक समिति गठित की है। उक्त समिति के लिये सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को चुना जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पश्चिमी बंगाल की बिजली की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं। कलकत्ता इलेक्ट्रिक कम्पनी के बारे में क्या कार्यवाही

की जा रही है। संतालडीह का उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा कराया गया परन्तु उसकी बिजली उत्पादन की क्षमता नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि० ने इस प्रकार की मशीनरी क्यों सप्लाई की ?

श्री एम० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : तीन चार दिन मैं कलकत्ता में रहा था। यदि आप इन दिनों वहां रहे होते तो वस्तुस्थिति का पता चल जाता।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस अवधि में केवल पटसन के कारखानों ने 25 करोड़ रुपए की हानि उठाई। हमारी अर्थ-व्यवस्था ठप्प हो गई है। आप इस बारे में क्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डर रही है।

कांग्रेसी समाचार पत्न युगान्तर ने भी पश्चिम बंगाल की बिजली की स्थिति की ओर ध्यान देने को कहा है।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : कांग्रेस ने तीन निर्वाचन जीते हैं अतएव उसके बारे में सदस्य महोदय के कथन निरर्थक हैं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह बात सही नहीं है केन्द्र पश्चिम बंगाल की तुलना में अन्य राज्यों को अधिक महत्व देता है।

मैंने बताया था कि हम पश्चिम बंगाल सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं। हमने अपने विशेषज्ञ वहां पर भेजे हैं। यदि हमें इस बारे में कुछ सुझाव प्राप्त होते हैं तो मैं निश्चय ही उन पर ध्यान दूंगा। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई मशीनरी पर सन्देह व्यक्त करना व्यर्थ है। यहां कहीं भी नयी मशीनरी का निर्माण होता है वहां आरम्भ में कुछ कठिनाइयां होती ही हैं। इस प्रतिष्ठान के बारे में शिकायतों पर हम ध्यान देते रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे।

जहां तक कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं भेजा है कि वह उक्त कम्पनी को अपने अधिकार में लेना चाहती है। उसमें कुछ मशीनें पुरानी हैं और शायद उन्हें बदलने की आवश्यकता भी है। यदि पश्चिम बंगाल सरकार से उन्हें बदलने के बारे में प्रस्ताव आयेगा तो हमें उस पर अपनी सहमति दे देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता के लिए हमने कुछ अन्य उपाय भी किए हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : माननीय मंत्री ने संतलडीह परियोजना के बारे में कुछ भी नहीं बताया।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस परियोजना को जनवरी में चालू होना था। यह सच है कि इसके पूरा होने में कुछ महीने अधिक लगे। इसके बाद इसमें विद्युत् तैयार हुई। फिर इसमें कुछ कटिनाइयां पैदा हुईं जैसा कि आरम्भ में हो जाया करती हैं। हम संतलडीह, बदरपुर आदि स्थानों पर स्थित संयंत्रों की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सभी संयंत्रों में एक जैसी ही समस्या है। एक कारण यह भी है कि सभी संयंत्रों को एक ही किस्म का कोयला नहीं दिया गया। किन्तु इस समस्या का समाधान

तो हम सरकारी स्तर पर करेंगे। आरम्भिक कठिनाइयों के दूर हो जाने पर संतालडीह में विद्युत् प्रजनन आरम्भ हो जायेगा।

श्री दीनेश चन्द्र गोस्वामी : विद्युत् की कमी के कारण औद्योगिक एकक पूर्णतः बन्द होते जा रहे हैं। अस्पतालों में आपरेशन और एक्सरे नहीं हो रहे हैं। कलकत्ते के टेलीफोन एक्सचेंज संख्या 45, 47 और 48 बिजली के अभाव में बन्द पड़े हैं। विद्युत् की कटौती के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था ही पंगु हो गई है। विद्युत् सप्लाई की दृष्टि से आसाम की स्थिति भी शोचनीय है? आसाम और मेघालय में विद्युत् की प्रति व्यक्ति खपत देश में सबसे कम है। वहां पर प्रति व्यक्ति खपत 23 किलोवाट है जबकि अखिल भारतीय औसत 94 किलोवाट है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की पन-बिजली की क्षमता बहुत अधिक है किन्तु वहां के संसाधनों का सदुपयोग नहीं किया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 135 लाख किलोवाट बिजली की क्षमता है जबकि पूरे देश में यह 410 लाख किलोवाट है। अब तक इस क्षेत्र में विद्युत्-उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता केवल 1,60,000 किलोवाट है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सरकार ने विद्युत्-उत्पादन की समस्या को गम्भीरता से नहीं लिया है और विद्युत् परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं किया गया। गंडक जैसी परियोजना अभी तक अधूरी पड़ी है।

जहां तक कलकत्ते का सम्बन्ध है, एक अनुमान के अनुसार वर्ष 1971-72 में वहां बिजली की मांग 1150 किलोवाट थी जबकि उसे केवल 795 किलोवाट बिजली सप्लाई की गई। इससे पता लगता है कि न केवल कलकत्ते में बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामान्यतः बिजली की कमी है। इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की विद्युत्-उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। एक ब्रह्मपुत्र की क्षमता के उपयोग से ही नक्शा बदल जायेगा। कारखानों पर ऐसा प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है कि वे निर्धारित से अधिक विद्युत् का उपयोग न करें। उपलब्ध विद्युत् के सम वितरण के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। क्षतिग्रस्त तापीय एककों तथा अन्य एककों को ठीक करने के लिए विद्युत्-एककों को क्षति रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : भारत के पूर्वोत्तर भाग के बारे में माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिये हैं उनसे इस क्षेत्र की जलविद्युत् उत्पादन क्षमता के बारे में बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह सचमुच ही एक बड़ा कार्य है।

परन्तु यह तभी सम्भव है जबकि ब्रह्मपुत्र से लाभ उठाया जाये। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ रोकने के लिए प्रयास किये गये हैं जो अपने आप में एक समस्या है। जहां तक इस नदी से जलविद्युत् उत्पादन का प्रश्न है यह उस स्थान पर सम्भव है जहां यह नदी तिब्बत से मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आज की स्थिति में उस स्थान पर विद्युत् उत्पादन करने में भी बड़ी कठिनाई ह। लोकटक परियोजना पूरी होने वाली है और उसका प्रथम चरण शीघ्र ही चालू हो जायेगा। जहां तक पश्चिम बंगाल की भावी योजनाओं का सम्बन्ध है, पांचवीं योजना में चालू योजनाओं, दामोदर घाटी योजना तथा अन्य केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं से पश्चिम बंगाल को 1668 मेगावाट का लाभ होगा। जहां तक उद्योगों को विद्युत्-सप्लाई

का सम्बन्ध है, उद्योगों को उसका वितरण युक्तियुक्त होना चाहिए। ऐसे निर्देशक सिद्धान्त बनाये गये हैं और राज्यों को भेजे गये हैं जिनसे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों को विद्युत प्राथमिकता के आधार पर मिले और विद्युत् के व्यर्थ उपयोग को रोका जा सके। श्री त्रिदिव चौधरी ने चन्द्रपुर में हुए एक तकनीशन की दुर्घटना का उल्लेख किया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि उसकी दुर्घटना हुई। उसकी वर्तमान हालत का मुझे पता नहीं है।

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर) : मैंने सुना है कि इस समय कलकत्ते में 16-17 घंटे तक बिजली की सप्लाई रुक रुक कर बन्द रहती है। किन्तु सभा में जो कुछ बताया गया है, वह उसके एकदम विपरीत है। समाचारों के अनुसार वहां प्रतिदिन 60 से 180 मेगावाट बिजली की कमी रहती है। बड़े उद्योगों की 60 प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त रहती है। इससे अर्थव्यवस्था और जनजीवन को भारी क्षति पहुंच रही है। बिजली की कमी से संयंत्रों और मशीनरी को भी क्षति पहुंच रही है। यह बताया गया है कि पटसन उद्योग को गत तीन महीनों में प्रतिमास 25 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इससे कृषि क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि विद्युत् उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र, इलैक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड तथा दुर्गापुर परियोजना असफल रही हैं। कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन ने इस दिशा में अच्छा काम किया है। इसके राष्ट्रीयकरण की बात नहीं की जानी चाहिए। सन्तालडीह विद्युत् परियोजना जो प्रधान मंत्री द्वारा व्यावहारिक रूप से कल ही चालू किया गया है, अचानक बंद क्यों हो गया? क्या यह सच है कि भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा घटिया किस्म की मशीनें सप्लाई की जाती हैं; क्या इसकी जांच की जायेगी ताकि ऐसा न हो। सरकार को इस बात की जांच भी करनी चाहिए कि क्या दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को आवश्यकता के अनुरूप कोयला नहीं दिया गया और उसे घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किया गया जिससे वह क्षमता के अनुरूप कार्य न कर सका। आज पूरे देश में विद्युत् का संकट है। ऐसा संदेह है कि इसमें किसी देशी या विदेशी शक्ति का हाथ है। इस मामले की पूर्ण जांच के लिए एक अन्य सत्ता प्राप्त समिति बनाई जानी चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह कहना ठीक नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के एकक ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। कई तापीय बिजली एकक ठीक से काम कर रहे हैं। जहां तक कोयले की सप्लाई का प्रश्न है, दुर्भाग्य से हम अब ऐसी स्थिति में जबकि कोयले की किस्म अच्छी नहीं मिल रही है, यह भी कहना गलत है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने खराब मशीनों की सप्लाई की है। उसके द्वारा सप्लाई किए गए बहुत से संयंत्र ठीक से कार्य कर रहे हैं। संयंत्रों में जो आरम्भिक कठिनाइयां आती हैं, उन्हें हमारे विशेषज्ञ मिलजुलकर ठीक कर लेते हैं। मैं इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं कि तापीय बिजलीघर का सम्बन्ध खान विशेष से होना चाहिए। यदि सम्भव हो तो उपलब्ध कोयले की किस्म का ध्यान बिजलीघर बनाते समय रखा जाना चाहिए।

श्री ए० के० एम० इसहाक : श्रीमान्, एक समय था जबकि कलकत्ता पहले नम्बर का शहर था, वह दर्शनीय था किन्तु अब वह ऐसा स्थान है जहां से हर व्यक्ति भागना चाहता है। वहां एक दिन में बिजली 17-18 घंटे पारी-पारी से बन्द रहती है। कल पश्चिम

बंगाल विधान सभा में भी बिजली बंद रही और वहां मोमबत्ती की रोशनी में कार्य किया गया। विद्युत्-संकट के कारण अनेक उद्योग बन्द होने वाले हैं और उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की जबरी छुट्टी करने या अस्थायी श्रमिकों को नौकरी से हटाने की अनुमति मांगी है। इससे राज्य में बेरोजगारी और भी बढ़ेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस विद्युत् संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं? पांचवीं योजना के लक्ष्यों के अनुसार उत्तरी जोन के 9626 मेगावाट, पश्चिमी जोन को 8158 मेगावाट, दक्षिण जोन के 8575 मेगावाट और पूर्वी जोन को 7303 मेगावाट बिजली मिलेगी। पूर्वी जोन के साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है जबकि इस क्षेत्र में कोयले की अनेक खानें हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है, जहां पांचवीं योजना के लक्ष्यों का सम्बन्ध है, हमने उपलब्ध विद्युत् शक्ति का औसत लगाया और उसे लगभग बराबर पाया। यदि एक-एक मामले को लेंगे तो अन्तर मिलेगा ही। जहां तक मांग के अनुरूप योजना बनाने का प्रश्न है, चौथी योजना में पश्चिम बंगाल के लिए 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की गई थी। किन्तु वास्तव में केवल 131 मेगावाट ही बिजली बन सकी। इसी कारण से कमी आई। अब समस्या का समाधान यह है कि विद्यमान विद्युत् एककों में विद्युत् का उत्पादन अधिक से अधिक किया जाये। साथ संतालडीह परियोजना की समस्याओं को दूर किया जाये। पश्चिम बंगाल को अपने ही कारखानों से अधिक बिजली प्राप्त करनी होगी। जो नयी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, हम उन्हें शीघ्र चालू करने का प्रयास करेंगे। मैंने सुना है कि पश्चिम बंगाल में इंजीनियरों ने 'नियमानुसार काम करो' का आन्दोलन कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि इस संकट की घड़ी में वे आन्दोलन न करें और अपनी समस्याओं का समाधान पश्चिम बंगाल सरकार के साथ बातचीत से निकालें।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : श्री के० आर० गणेश की ओर से मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 178 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, सभा पटल पर रखती हूं। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6806/74]**

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 तथा दिल्ली नगर निगम संशोधन नियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्री राम निवास मिर्धा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षकों की अन्तिम परीक्षा) (संशोधन)

विनियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 342 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 344 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6807/74]

(2) प्रशासनिक सुधार आयोग के विभिन्न प्रतिवेदनों पर किये गये निर्णयों तथा उन निर्णयों की क्रियान्विति सम्बन्धी एक विवरण (31 मार्च 1974 को) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6808/74]

(3) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 479 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम (पार्षदों तथा एल्डर मैनों के भत्ते) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या यू०-13021/4/73 दिल्ली में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6809/74)

भारतीय मानक संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : मैं भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6810/74]

प्राक्कलन कमेटी

ESTIMATES COMMITEE

कतिपय सिफारिशों के बारे में सरकार के अन्तिम उत्तर दिखाने वाले विवरण

श्री आर० के० सिन्हा (फैज़ाबाद) : मैं निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :

(1) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (परिवार नियोजन विभाग)—परिवार नियोजन कार्यक्रम—के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 13वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति (पांचवीं लोक सभा) के 33वें प्रतिवेदन के अध्याय 5 में सम्मिलित सरकार के अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण, जो उक्त की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं भेजे गये थे।

(2) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (रसायन विभाग)—उर्वरक के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 40वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के

बारे में समिति (पांचवीं लोक सभा) के 45वें प्रतिवेदन के अध्याय 5 में सम्मिलित सरकार के अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण, जो उक्त की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं भेजे गये थे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTION

40वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 40वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

57वां तथा 60वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) (एक) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के संबंध में 57वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(2) (एक) औद्योगिक विकास मंत्रालय—सीमेंट की उपलब्धता तथा वितरण के संबंध में 60वाँ प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

एक सौ उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं आयकर के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 2, प्रत्यक्ष कर के अध्याय 3 पर लोक लेखा समिति का 119वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

49वां तथा 50वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

(1) (एक) भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग) के संबंध में 49वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) (एक) एक भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (विपणन तथा वितरण) के संबंध में 50वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) जादुगुडा काम्पलैक्स से चीन तथा पाकिस्तान को युरेनियम की तस्करी करने वाले गिरोह का समाचार

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH (Chatra) : It has been reported in the Press today that Uranium is being smuggled from Jaduguda Complex near Jamshedpur in Bihar to some enemy countries like Pakistan and China. Five persons including one constable have been arrested in this connection. It may be recalled, Sir, that some Naxalites were found active in that area four or five years back and one or two foreign ladies were also arrested in this connection. This shows that foreign elements alongwith the employees are involved in such activities. Many members have tabled Calling Attention Notices also. These notices may be accepted and "Members should be given an opportunity to have a discussion on this matter.

I suspect that the Mafia organisation, a smuggling organisation is shifting its headquarters from South-East Asia to India and this organisation might be found involved in this racket.

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह काफी गम्भीर मामला है। चीन के अधिकांश आणविक अस्त्र प्लुटोनियम की बजाय यूरेनियम पर आधारित होते हैं। इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किया जाय।

SHRI RAMAVTAR SHASTRI (Patna) : This is a very serious matter. I, therefore, request that Calling Attention Notice on the subject might be admitted so that the Hon. Minister may make a detailed statement here.

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे इस पर ध्यान देने के लिए कहूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : नागा महिलाओं के साथ सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा बलात्कार करने की ओर मैंने अध्यक्ष महोदय का ध्यान दिलाया था। तब उन्होंने यह विनिर्णय दिया था कि गृह मन्त्री मामले की पूरी जांच करके सदन में वक्तव्य दें। यह मामला 18 अप्रैल को उठाया गया था और आज 24 अप्रैल है, परन्तु अध्यक्ष महोदय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अभी तक गृह मन्त्री ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जब किसी मन्त्री से वक्तव्य देने के लिए कहा जाता है, तो उचित समय के अन्दर वक्तव्य दिया जाना चाहिए और अगर विलम्ब होता है, तो उसका कारण सदन को बताया जाना चाहिए।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मुझे उस व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न के बारे में कुछ कहने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कृपया बैठ जाइए।

गृह मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं और यथासमय शीघ्र सदन को सूचित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह बात उनके ध्यान में ला दी गई है और उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी।

श्री बी० वी० नायक : मैं आपके ध्यान में यह बात लाने की कोशिश कर रहा हूं कि मंगलौर में 101 किसान पिछले 7 दिन से अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी कोशिश में अब भी सफल नहीं हो रहे हैं।

श्री बी० वी० नायक : सारे समय हम दिल्ली के 22 गोदामों के बारे में ही चर्चा करते रहे हैं। 101 व्यक्ति सात दिन से भूखे मर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : रतन चन्द्र गुप्ता की गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा भूल हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ लिखा है, उसे मैं देख चुका हूं। जब मन्त्री महोदय द्वारा यह बात मेरे ध्यान में लाई गई, तब मैंने उनसे इसे सभा पटल पर रखने के लिए कहा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय का अभिमत क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : जब कोई मामला पीठासीन अधिकारी के ध्यान में लाया जाता है उस समय चाहे कोई भी पीठासीन हो मन्त्री महोदय को पीठासीन व्यक्ति के निर्देशानुसार मामला सदन के समक्ष लाना पड़ता है। सदन को ही इस बारे में निर्णय करना है, अध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विनिर्णय के अनुसार "प्रत्येक मामला अध्यक्ष के समक्ष आना चाहिए और यह अधिक उचित होगा कि वह स्वयं सदन को बताएं कि क्या हुआ था।" उसके बाद प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

मेरे विचार में यह अधिक उचित होता। दस दिन बीत जाने के बाद भी आपने सदन के समक्ष विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : सदन पहले ही निर्णय ले चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जो कुछ हुआ, वह अनुचित और अनियमित था और अध्यक्ष महोदय की गम्भीर भूल थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को सदन पर छोड़ता हूं। विशेषाधिकार समिति इस बारे में जांच कर सकती है।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता- उत्तर-पूर्व) : यह बेहतर होगा कि इस तरह के मामलों पर अध्यक्ष महोदय के कक्ष में ही चर्चा की जाये।

(दो) भारत के प्रादेशिक समुद्र के नीचे की जमीन की मिलकियत का मामला

SHRI MADHU LIMAYE (Banka) : Sir, many weeks back, I had raised the question of ownership of land below the territorial waters of India. I had also drawn the attention of the House to the fact that Government of Maharashtra is usurping the right and property of the Union Government. Land Revenue Code of Maharashtra is violating Article 297,

according to which all lands, minerals and other things of value underlying the ocean within thethe territorial waters of the continental shelf of India shall vest in the Union and he held for the purposes of the Union. I have requested you many times to give a clear directive to the Hon. Minister to clarify this point. Shri Gokhale has himself said that he would give a reply very soon, but it is very surprising that Government has not come forward with any clarification so far.

A report has been published in "Loksatta", a Marathi daily, in which my points have been contradicted. It is very improper that the correspondent of "Loksatta" has acted as a tool of Shri Gokhale and the Ministry of Law. Land worth crores of rupees has been sold by Shri Naik. I want your permission to move a motion against the Law Minister under Rule 184.

श्री एच० आर० गोखले : संविधान के अनुच्छेद 297 की व्याख्या करने के बारे में माननीय सदस्य ने रोचक प्रश्न उठाया है। आपके द्वारा निर्देश न दिये जाने के बावजूद मैंने आपके सचिवालय को यह सूचित किया था कि मैं इस बारे में अध्ययन कर रहा हूं और शीघ्र ही वक्तव्य दूंगा। इस बारे में सावधानी से अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह केवल बम्बई का ही मामला नहीं है, बल्कि देश की पूरी समुद्री सीमा का प्रश्न है। इस बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कारणों और समुद्री कारणों का भी अध्ययन करना होगा। मैं आपको और माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं अगले सप्ताह तक इस बारे में वक्तव्य दे दूंगा।

'लोकसत्ता' के जिस समाचार का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, वह मैंने नहीं देखा है। 'लोकसत्ता' के संवाददाता श्री प्रभाकर गोखले ने मुझसे कभी भेंट नहीं की है और इस बारे में मैंने उनसे कोई बात नहीं की है।

SHRI MADHU LIMAYE : If he has not talked to him, is it not his constructive responsibility to look into this matter as to how it was leaked to the Press ?

MR. SPEAKER : If would not be proper if a privilege motion is moved on the basis of general references.

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्य नियम 277 के अधीन क्षेत्रीय असन्तुलन का प्रश्न उठाना चाहते थे। यह काफी व्यापक प्रश्न है, परन्तु मैं फिर भी उन्हें एक-एक मिनट का समय दूंगा। रेलवे कर्मचारियों की सम्भावित हड़ताल के बारे में मैंने कल के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

(तीन) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में गोली चलाए जाने का समाचार

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख (परभणि) : मरवाड़ा के छात्रों का आन्दोलन इस मांग के समर्थन में है कि विकास समान होना चाहिए और विकास केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहना चहिए। जहां क्षेत्रीय असन्तुलन हो, उसे योजनाबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से तत्काल दूर किया जाना चाहिए।

छात्र इस साधारण से मूलभूत तथ्य पर अत्यधिक उत्तेजित हैं कि मराठवाड़ा में प्रति व्यक्ति विकास-व्यय प्रत्येक योजना में और प्रत्येक वर्ष कम होता जा रहा है।

जब मराठवाड़ा लगातार तीन वर्ष तक कमी वाला क्षेत्र बना रहा, तो प्रधान मन्त्री ने मनमद-पुरली-बैजनाथ मीटर-गेज लाइन को बड़ी-लाइन में और मिरज-लाटूर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का आश्वासन दिया था। रेल मन्त्रालय ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था नहीं की है। मराठवाड़ा क्षेत्र की जनता की उचित मांगों को पूरा करने में रेल मन्त्रालय, योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार असफल रहे हैं।

निरीह छात्र-छात्राओं पर रोजाना गोली चलाई जा रही है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि यह आन्दोलन प्रारम्भ करने के बारे में जांच की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देशमुख ने जो मामला उठाया, वह राज्य का विषय है। मैंने उन्हें यह मामला उठाने की अनुमति इसलिए दे दी, क्योंकि उनका नाम कार्य सूची में था। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम सभी यह चाहते हैं कि केन्द्रीय सहायता से क्षेत्रीय असन्तुलन दूर किया जाये। इसीलिए वह इस मामले को उठा रहे हैं और अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अनुमति देरकर ठीक ही किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल प्रक्रिया का उल्लेख कर रहा था। अगर ऐसे ही काम हुआ, तो इसकी कोई सीमा नहीं होगी। बहरहाल, मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

SHRI S. T. PANDIT (Bihar) : Day before yesterday, there was firing on a students' demonstration in Aurangabad, Marathwada. This demonstration was held as there has not been any development of Marathwada region. The projects relating to irrigation, railways and communications are directly related to the Union Government. The demonstrations wanted that there should be rapid development of that area. (*Interruptions*).

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं इस बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : दो बज चुके हैं। मैं और अधिक सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सर्वोच्च न्यायालय ने कल अपने एक निर्णय द्वारा पी० टी० आई० के कर्मचारियों पर वेतन-बोर्ड के पंचाट को लागू करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया है। संसद् की कार्यवाही समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं की जायेगी। इसलिए सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृषि मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा की जायगी।

श्री शिवनाथ सिंह अपना भाषण जारी रखें।

अनुदानों की मांगें, 1974-75

DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75

कृषि मन्त्रालय

SHRI SHIB NATH SINGH (Jhunjhunu) : Mr. Deputy Speaker, Sir. There had been a green revolution in the country and the agriculture had made some progress, but the farmers have not received due benefits. The peasants do not have a right to fix the price of their produce, whereas the industrialists fix the prices of their products themselves. Government should remove the middelmen between the peasants and the consumers. Government should create a market where the farmers can get a reasonable price for their produce.

Government and the financial institutions are providing credit to the farmers for tube-wells etc., but the power connections are not being provided to them for five years. Thus, farmers do not get any return on their investment.

The outlay on agriculture sector has been reduced from plan to plan. At present the outlay on agriculture has come down to 13 per cent. If agricultural production is to be increased, at least 25 per cent of the outlay should be earmarked for agricultural sector.

Indian economy is a growing economy and a higher growth rate could be achieved. There are vast areas of waste land and they could be converted into productive land if irrigation facilities are provided there.

The power rate for industries is much lower than that of the farmers, whereas a farmer has to work under very difficult conditions. Keeping in view his working conditions, he should be given more facilities.

During the period from 1960-61 to 1970-71, the investment on agriculture including big dams and power projects has increased from Rs. 290 crores to Rs. 893 crores, whereas investment on industries has gone up from Rs. 142 crores to Rs. 712 crores. There should have been more investment on agriculture.

There was a serious famine last year and both the crops were damaged, even then only four million tons of foodgrain was imported and rest of the foodgrains was provided by our farmers. There is surplus stock of foodgrains in the country even today. The foodgrains should not be imported from abroad. There should be proper rationalisation to ensure that foodgrains are made available to the consumers.

Under the new policy, the trader would purchase wheat from the farmers at the rate of Rs. 105/- per quintal and he would be free to sell wheat upto Rs. 150/- per quintal. The Government is going to allow the dealers to supply wheat from one surplus State to the deficit State. I would like to request the Government that the farmers who fulfil the condition of giving 50 per cent wheat as levy should also be allowed to sell their wheat in the deficit States.

The Government have thought that the traders would give fifty per cent of their wheat to the Government at the rate of Rs. 105/- per quintal and would be free to sell the rest of the wheat upto Rs. 150/- per quintal. The traders are not so honest as to provide wheat at Rs. 105/- a quintal after purchasing it at the rate of Rs. 125/- a quintal. This policy needs to be modified.

The handling charges of Rs. 26/- or Rs. 27/- per quintal are much higher and these charges should be reduced to at least Rs. 15 or Rs. 20 per quintal.

The co-operatives are playing an important role in the rural economy. There should be improvement in the co-operative system.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय 4 बजे बहस का उत्तर देंगे। तेरह कांग्रेसी सदस्यों को और कुछ विरोधी सदस्यों को भाषण करना है। इसलिए प्रत्येक सदस्य आठ मिनट के अन्दर अपने भाषण को समाप्त करने का प्रयास करें।

SHRI RAM CHANDRA VIKAL (Baghpat) : I rise to support the demands of the Ministry of Agriculture.

I had read the press statement of Shri Shinde, and have also listened to the speech of Shri Maurya. They have expressed the hope that the country would be self-sufficient in food very soon. I do not want to shake their confidence. But, I would like to say that the labourers in the field and in mines are the persons who can bring about economic revolution in the country. It is very necessary that the economic inbalance and inequality in the country be abolished. The industrialists, traders and the Government employees have a very easy life and they are not allowing the economic imbalance to go.

Today there is widespread dissatisfaction and disappointment in the country. The time has come now when we should formulate our policies more realistically.

It was decided to give loans to farmers. The loans were decided to be given in the form of pumping sets, tube-wells, for some machineries etc. It was decided that assistance granted to a farmers would be paid through cheques in their names and not in the name of any firm, as is the practice today. This will eliminate corruption. But the banks have not implemented this decision.

The restrictions on making *Khoya* in the neighbouring villages of Delhi should be withdrawn. This time this restriction has been imposed for four months instead of two months as was the practice earlier. The people of Delhi are greatly upset with this restriction. With this restriction about 50 to 60 thousand families have been rendered jobless and the people of Delhi are not able to get milk. The Government should remove the difficulties in the matter of production of milk. The Government should also try to remove the corruption rampant in this field. It should make changes in its policies in this matter.

Steps should be taken to insure the standing crops and cattle of the farmers. The Government has not so far prepared any scheme in this direction. A scheme in this respect should be implemented in the Fifth Five Year Plan at least.

There should be a complex of villages attached to each agricultural research organisation. So that the villages within the complex may derive direct benefit from the research.

An agricultural university should be established at Kanpur.

The procedure for acquiring lands from farmers in very defective. Farmers have to face great difficulties because of acquisition of their lands by the Government. They do not receive reasonable compensation for their lands. The Government should look into this matter seriously.

The mill owners have to pay about 53 crores of rupees to the cane growers. The Government should see that the arrears of the cane growers are paid immediately.

SHRI MULKI RAJ SAINI (Dehradun) : We are not acquainted with the real conditions of the farmers in the House. In our country, more than 70 percent of the farmers have holdings of less than 6 acres. Only twenty five percent of the farmers have holdings of more than 10 to 12 acres. It is said that their economic condition is good. But it is not so. We should try to improve cultivation with the help of scientific researches.

With the spread of education, many of the farmers have come over to the cities and are engaged in some other trades.

There is a routine system in our country that when the crops are good, farmers do not get, proper price of their produce and they do not get any facilities. As a result of it, the production of declines next year and then alone the Government pays attention towards them. The Government have no firm policy in this regard. It should formulate some such firm policy by which the farmers may get adequate facilities.

The Government wanted to give some more facilities in the matter of loans but those facilities have been stopped by the banks.

Today either a peasant or a consumer is the poorest man in the country. The farmers are not provided with necessary inputs. He is not given any incentive or facility to produce more. This is the main reason for the decline in our agricultural production.

Adequate arrangements should be made for marketing agricultural produce. The farmer should be paid adequate price for his produce. Proper arrangements have not been made for the farmers to purchase good quality fertilizers, seeds etc. The Government should make such arrangements for the farmers.

SHRI SWAMI BRAHMANANDJI (Hamirpur) : Some members have given very useful suggestions for improvements in agriculture. They have to be congratulated for it.

The Government claims to follow the Gandhian way of life. Gandhiji preached that cows should not be slaughtered in India. Today people do not get justice. Action is not taken against corrupt capitalist, businessmen and Ministers. The Government should amend its policies. We should follow Gandhian way of life. The lands should be properly distributed.

Gandhiji was in favour of prohibition. But the Government has failed to implement prohibition.

Corrupt officers and Ministers should be punished.

People do not think about the welfare of the country.

They think of their own welfare. They are opportunists.

Most of the M.P.s in this House do not belong to agriculturists category. They do not know much about agriculture.

The Rajya Sabha should be abolished. It is a burden on the nation.

Today there is a great dissatisfaction and disappointment in the country. All the sections of the House should work together to improve the conditions of the farmers.

*श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औकृग्राम) : मैं कृषि मंत्रालय सम्बन्धी बजट की मांगों का विरोध करता हूं। इस समय देश में हम प्रत्येक क्षेत्र में संकट का सामना व्यावहारिक रूप से कर रहे हैं। हमारी अर्थ-व्यवस्था तथा हमारे उद्योग में संकट व्याप्त है और हमारे कृषिक्षेत्र में संकट होने के परिणामस्वरूप ही यह सब कुछ हो रहा है। जब तक हमारी कृषि में सुधार नहीं होगा, और उसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा, तब तक हमारे देश में प्रगति नहीं हो सकती।

मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यद्यपि हमने अपनी चौथी योजना को पूरा कर लिया है, किन्तु हमारे कृषि क्षेत्र में सुधार होता दिखायी नही दे रहा है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में भूमि सुधार सम्बन्धी कुछ कानून बनाये गये हैं, किन्तु इन कानूनों के बावजूद इन सभी राज्यों में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की संख्या निरन्तर बढ़ती ही जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री महोदय ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हुये यह बताने का प्रयास किया है कि चारों पंच वर्षीय योजनाओं में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। परन्तु वास्तविकता यह है कि जहां तक एक ओर खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है, वहां खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति आबंटन निरन्तर कम होता रहा है।

मैं केवल इस बात पर जोर दूंगा कि सरकार खाद्य के आबंटन में पश्चिम बंगाल की अवहेलना कर रही है। पश्चिम बंगाल के शहरों और गांवों में संशोधित राशन पद्धति पूर्ण तरह से असफल रही है। गांवों में लोग भूखे मर रहे हैं।

कुछ दिन पूर्व पश्चिम बंगाल में कांग्रेस द्वारा यह कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को भूखों मरने नहीं दिया जायेगा। यह पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से "जुगान्तर" के 21 अप्रैल, 1974 के अंक में प्रकाशित हो चुका है, उसी "जुगान्तर" समाचार पत्र के 22 अप्रैल के अंक में "भुखमरी"

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांन्तर :

Summerised translated version based on English translation of a speech delivered in Bengali.

से मौत" अभाव द्वारा ग्रस्त छोटे बच्चों को बेचा गया और आत्म हत्यायें की गयी" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार से पश्चिम बंगाल में व्याप्त स्थिति का पता चलता है। वर्दवान, दुर्गापुर आदि में चावल 4 रुपये अथवा 4.50 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। सरकार को चाहिये कि वह समय रहते स्थिति पर नियंत्रण कर लें। अन्त में पुन: मैं कृषि मंत्रालय को अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं।

SHRI BHAGAT RAM MANHAR (Janjgir) : Although we all take about the welfare of the farmers, we have been unable so far to stop the exploitation of farmers. They are not getting fair price for their produce. Then, the prices of the commodities, which are essential for agriculture, have gone up very high. But the wages of agriculture labourers are still very low. Still there is time that the problems of agriculturists are solved, otherwise production is likely to be badly affected.

The Government of Madhya Pradesh has enacted a law imposing ceiling on land which has been fixed at 5 standard acres. But it is totally unfair to compare 5 acres of land in Chattisgarh with 5 acres of land in Malwa or Haweli area. It is also unfair not to take the question of fertility of land into consideration while fixing the land ceiling. On the other hand, Government are giving a step motherly treatment to farmers in not enforcing the ceiling in respect of urban property.

So far no legislation has been enacted for the consolidation of holdings there. The farmer is to day unable to adopt modern methods of cultivation or mixed farming, fishing, poultry farming etc. So the consolidation of holdings should be made obligatory before imposing any land ceiling.

In Chhattisgarh, farmers are not getting fertilisers according to their requirements due to monopoly of the Co-operative Department and they have to be dependent totally on pool system. Moreover they have to pay very high prices for the fertilisers.

There are vast deposit, of coal in Chhattisgarh. A fertiliser plant based on coal, like one at Korba, should be set up at Sarguja. So that the requirements of chemical fertilisers can be met to some extent.

Our agricultural scientists deserve congratulations for discovering high yielding varieties of crop and thus giving cooperation for bringing Green Revolution. We have been successful to some due to their contribution, but they should make efforts to maintain the originality of crops.

Madhya Pradesh is a State which generate more electricity. It has done well in the field of rural electrification. But the agriculturists is being supplied electricity at the rate of 37 paise per unit whereas the capitalists and the industrial establishments are being supplied at the rate of 5.5 paise to 9 paise per unit. The Madhya Pradesh Government should provide relief to farmers by electrifying all the villages in the State.

SHRI BASHESHWAR NATH BHARGAVA (Ajmer) : I support the demands for the Ministry of Agriculture. It cannot be denied that inspite of weaknesses and deficiencies in certain sectors under the Ministry of Agriculture, our achievements and progress in certain fields deserve appreciation. However sound our policies, schemes and programmes might be, if their implementation is faulty and guided by vested interests, our achievements cannot create inspiration among the weaker section of our society.

It is felt by our great leaders and makers of our constitution that there should be decentralisation of powers for the security of democracy. With this object in view that Article 40 has been included in the constitution providing for the establishment of Panchayati Raj institutions. It is correct to say that the Central Government would provide guidelines for building up those institutions. But it is the power of the State which have to be decentralised. Unless we amend the constitution in order to give more powers to Panchayati Raj institutions, we cannot maintain the security of democracy in the country.

We have to make every citizen to participate in every scheme of development and in order to do that, the powers of State has to be decentralised. The failure of our schemes is mainly due to our failure to seek the envolvement of the people in the process of development and progress. Our schemes are very fine, but if steps are not taken in the direction of decentralisation, a very serious situation will arise. We would like to know for how many years, elections to village panchayats have not been held. The Election Commission should be entrusted with the responsibility of holding the elections to the panchayats well in time.

Some schemes like crash schemes for small, marginal farmers and agricultural labourers have been prepared, but it should be considered how far they would be benefitted by them. In Ajmer, only the amount of Rs. 59 lakhs has been spent for a scheme for marginal farmers and out of it about Rs. 12 lakhs were spent on marginal farmers are landless people and the rest of the help and the cooperation was given by other agencies. The administrative expenditure incurred on this undertaking is Rs. 4.5 lakhs. If we want to make our schemes successful, people should be envolved in their implementation.

SHRI LALJI BHAI (Udaipur) : Today an agriculturists in the country has to face several problems. Firstly all essential commodities, which are very necessary for existence have become so costly that it is beyond his reach. Secondly, there is problem of shortages also and it is difficult for him to obtain the necessary materials. Thirdly there is a problem of adulteration. We would like to know what measures have been taken by the Government to help the farmers to face these problems.

The question of landless people in our agricultural economy is also a very serious one. Lands has not been given to landless people and the State Governments have failed to provide land to them. I want to tell you that in most of the States cases of encroachment of lands have been filed. The amount of Rs. 500 per bigha is being charged from a landless person, who has got the illegal occupation of the land. Due to non-implementation of the measures worked out by the Government, the landless farmers are facing great hardships. I would like to see that the land is given to them in each State after deciding their cases. At the same time, the forests are being destroyed in an undesirable manner as a result of which plains are turning into deserts.

All the small picnic dams in the States should be utilised to produce electricity so that the farmers may be benefited.

SHRI NAGESHWAR DWIVEDI (Machhlishahr) : Had adequate attention been paid to agriculture immediately after independence, the present grim situation with regard to shortage of foodgrains would not have arisen.

The pastures in rural areas have been disappearing gradually which has adversely affected our agriculture. Lands for common pastures should be earmarked. Deforestation is going on now-a-days. It has resulted in deterioration of fertility of land.

Fertilisers are not available to the farmers because the black-marketeers earn profits in an unwanted manner. The Government should look into it.

Agriculture is a basic industry but it is being neglected. The Government should pay attention to agriculture because the majority of people depend on it.

If we want to bring about economic reforms, the role of cooperatives is very necessary. To-day corruption has crept into the co-operative societies. The Government should try to eradicate corruption and form more and more co-operatives.

The Gram Panchayats are being neglected entirely. The Central Government does not want to confer powers on the Zila Parishads. The Gram Panchayats are the backbone of the administration. They should be taken into confidence. They can help tackle the problems of unemployment and corruption.

With these words I support the demands.

श्री एस० एन० सिंह देव (बांकुरा) : यदि हम अपने राष्ट्रीय जीवन में प्रगति या विकास करना चाहते हैं तो हमें कृषि को प्राथमिकता देनी चाहिये ।

चौथी योजना में कुल परिव्यय के कृषि के लिये निर्धारित किये गये 35 प्रतिशत परिव्यय की तुलना में पांचवीं योजना में यह परिव्यय कम करके 33 प्रतिशत कर दिया गया है । ऐसा नहीं किया जाना चाहिये था । पांचवीं योजना में कृषि के लिये और अधिक राशि आबंटित की जानी चाहिये क्योंकि देश में खाद्यान्न की भारी कमी है । मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मुझे सरकार के एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ कोई समन्वय नहीं दिखाई देता है ।

विभाजन के पश्चात्, पश्चिम बंगाल में कुल कृषि योग्य भूमि में से एक तिहाई भूमि में पटसन की खेती की जाती है । इसके परिणामस्वरूप वहां खाद्यान्न की कमी हो गई है । मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन बातों को नोट करें और राज्य में कृषि के विकास के लिये अधिक धन आवंटित करें ।

पुरुलिया और बांकुरा जिले चिर सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं । वहां अधिकांशतया निर्धन किसान और श्रमिक रहते हैं । वहां राहत कार्यों के लिये प्रति वर्ष करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं परन्तु कोई स्थायी निर्माण कार्य नहीं हो सका है । इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वहां अनेक छोटी-छोटी नदियां और नाले हैं । उन पर तटबन्धों का निर्माण किया जाये और जल इकट्ठा करके उसे सिंचाई के लिये काम में लाया जाये ।

पुरुलिया और बांकुरा में बारानी खेती के वैज्ञानिक तरीके लागू किये जाने चाहियें । जब तक ऐसा न किया जाये तब तक वहां खाद्यान्न पहुंचाया जाये और धन दिया जाय ।

वहां लोग घास की जड़ें और पत्तियां खाते हैं । अतः मंत्री महोदय इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें ताकि लोगों को भुखमरी से बचाया जा सके ।

इन शब्दों के साथ मैं, प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं ।

SHRI SHIV SHANKAR PRASAD YADAV (Khagria) : The Department of Agriculture is a quite important one and the Demands for Grants put before the House are not adequate. Larger demands should have been put forth. I am sorry to say that even after 27 years of independence adequate attention has not been paid to agriculture and this fact is evident from the present turmoil in the country.

The treatment meted out by the Government to agriculturists is step-motherly because it supplies electricity to farmers at a much higher rate than it supplies to industries.

It seems from the statistics placed before the House that there is no dearth of foodgrains but if one comes to know as to how these statistics are prepared, he will not believe them.

With regard to the purchase of levy wheat, I would like to say a few words. I am not against levy in principle but there should be some practical approach in this matter. The responsible persons in Government declared it in Bihar that the farmers have to spend Rs. 105/- for producing one quintal of wheat. But the price of levy wheat was fixed at Rs. 76/- per quintal. The levy wheat was procured from the small farmers forcibly but the big farmers sold only fifteen to twenty quintals of wheat. Corruption is rampant. There were specific charges against a B.D.O. of Sahebpur Kamal, but he was transferred from there and later on he was appointed as Private Secretary by a Minister. In Bihar, ample water resources are available, but they have not been utilized for irrigation purposes. Corruption in granting dealership in wheat should be put an end to.

SHRI DALIP SINGH (Outer Delhi): The entire country is facing hardships due to acute shortage of foodgrains. The main reason for decline in agricultural production is that the farmers do not get fair and remunerative price for their produce. Since the farmers do not get remunerative price, they do not sow wheat to the required extent. This has resulted in decline in production. Apart from this, the natural calamities and other factors are also responsible for this decline.

Has the hon. Minister got definite information about the actual quantity of wheat purchased by the personnel engaged in public distribution system? Will he try to remove corruption?

Agro-industries should be set up in each village in order to provide jobs to small farmers and agricultural labourers.

I would like to request the hon. Minister to accord permission to those farmers, who are residents of Delhi and who cultivate land in Haryana to bring their produce to Delhi for their own families. With these words, I support the demands.

SHRI N. R. YADAV (Sitamarhi) : I sent a letter to the Minister of Agriculture on the 5th April about the damage caused to the wheat crop because of heavy rains followed by hailstorms in Sitamarhi District in Bihar. I wrote that letter requesting the hon. Minister to provide immediate assistance for relief work but I am sorry to say that in reply to that given on the 22nd April, Shri Shinde has said that his Ministry has forwarded a copy of my letter to the State Government. But the State Government has neither provided foodgrains nor given any financial assistance.

I request that one of the hon. Ministers should visit Bihar and see the damage personally and give necessary assistance to the State.

There is no proper distribution of sugar. The Ration Card holders get it at Rs. 2.20 per kg., while those who do not have ration cards have to purchase it at the rate of Rs. 4.50 per k.g. The Government should provide sugar to all the persons on equal basis.

There is shortage of tube-wells in North Bihar. At least 500 tube-wells should be provided there so that foodgrains may be grown.

(अन्तर्बाधाएं)

सभापति महोदय : मैंने किसी सदस्य को अनुमति नहीं दी है। कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव कृपया अपनी सीट पर बैठें। श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव।

SHRI R. P. YADAV (Madhepura) : The progress of agriculture depends mainly upon irrigation facilities, seeds and fertilizers. The irrigation facilities are available only for 25 per cent of the total cultivable land out of which, in 15 per cent land, there is assured irrigation. I come from Bihar where irrigation is done with the channel of the Kosi river. When the Kosi Project was started, the people had great hopes but now their hopes have been belied because the farmers do not get water at the time when they need it.

So far as the seeds are concerned, the National Seeds Corporation is responsible for supplying good quality of seeds. But this Corporation is not functioning well and since 1971 snags have developed in it. The officers have become corrupt. The case of supplying potato seeds to Bangladesh has been discussed in this House. This is the condition of the National Seeds Corporation. I would like that there should be a thorough probe into its functioning and it should be reorganised.

To-day, there is a dearth of fertilizers in the country. The farmers do not get fertilizers easily. It is available only in black-market. If we want to improve agricultural production, improved implements should be made available.

The tractor which is produced in our country costs about rupees 2500 to 3000. But in view of recent Land Ceiling, Government should take steps to make small tractors, costing up to Rs. 5,000, available to farmers. At the same time it is submitted that necessary arrangement for the repair of defective tractors should also be made at block level.

There has been much talk about the land reforms but it has remained confined only to papers. The land ceiling law should be strictly enforced and surplus land should be distributed amongst the Scheduled Caste people.

At the time of nationalisation of Banks, it was hoped that the small farmers would get loan for agriculture purposes. But I am sorry to state that by the end of 1969, when Banks were not nationalised big business houses and capitalist were given a loan of 440 crore. 20 lac rupees but within the one year of nationalisation this loan to big business houses touched the figure of 535 crores rupees. So, who was benefited by nationalisation? We have observed that rich class has been benefited. This should be ratified.

KUMARI MANIBEN PATEL (Sabarkantha) : The Indian Diary Development Board prepared a project report in 1969 but the same was sanctioned by the Ministry only in 1972. It is not proper. In case the Government is really interested in the development of dairing in the country, then such projects should be sanctioned with much loss of time.

Regarding warehousing, it is submitted that instead of constructing werehouses in the cities, it is better to construct them in the rural areas. The farmers themselves should be asked to look after them as they are possessed with requisite experience.

It has been claimed by the Government that prices of foodgrains have come down but as a matter of fact, it has not happened. Nothing is available in the market at the prices fixed by the Government.

Lastly, I want to make a mention about ration shops. The staff of foodgrains which is supplied at ration shops is of very poor quality. Sugar is not available every month and we are at a loss to understand where did the quota go. Incase, Government is not capable of managing the things nicely, let the rationing be scraped.

SHRI JAGANNATH MISHRA (Madhubani) : Agriculture is the very backbone of our economy. We can make our country prosperous only by the development of agriculture. This was well realised by our Government and that is why much stress was given on it in the Five Year Plans. Consequently we noticed a revolution in the field of agriculture. Our production has considerably been increased. But these has been some basic mistakes in this regard. The benefit of agricultural development has confined to rich class only and the poor class has been neglected. The agricultural labour who is mainly responsible for feeding the countrymen should be given due honour. This Ministry is faced with similar challenges.

The land ceiling law has not been a success because those who had surplus land with them transferred the same to their relatives. Even the little land which has made available could not be distributed because of litigation. So the poor people have not got the same so far.

When the banks were nationalised, the main object was the poor people should get the loans easily so that they can carry on their small agricultural and on industrial operations. But this object of nationalisation has not been realised because poor farmers are not getting adequate loans from these banks. The Government should ensure the availability of loans to the needy and poor.

Regarding irrigation and electricity projects, about Rs. 3500 crores have been spent by the Government so far. But many of the projects have not been completed so far. For instance the Gandak and Kosi projects of our State are not yet complete. Due attention should be given to irrigation projects and necessary funds should be made available.

In the Madhubani area of Bihar, there are two canals—Bhalwa and King. If both these canals are properly repaired, the production of the area can increase considerably. So necessary steps should be taken in this direction also.

There are large number of forests in our country but we are having very little income from them. Therefore it is necessary that more attention should be given to the development of forests. Similarly more money should be provided for the works started in Bihar under the crash programme.

Lastly, the question of nationalisation of sugar industry should be considered by the Government at the earliest.

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : इसमें कोई संदेह नहीं है कि खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि तथा दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था के कारण देश के विभिन्न भागों विशेषकर बिहार में दंगे हुये हैं। जमशेदपुर में भारतीय खाद्य निगम का कोई गोदाम नहीं है जिससे कभी कभी खाद्यान्न की कमी के कारण वहां स्थिति बहुत खराब हो जाती है। सरकार को इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने चाहिये ।

खाद्यान्न की दृष्टि से बिहार का सिंहभूम और जमशेदपुर क्षेत्र कमी वाला क्षेत्र है। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम पटना में हैं जहां से जमशेदपुर और रांची के लिये खाद्यान्न ले जाने में दो-तीन महीने लग जाते हैं। मेरा सुझाव है कि बड़े नगरों को खाद्यान्न की सीधी सप्लाई होनी चाहिये।

मुझे यह समाचार पढ़कर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि महाराष्ट्र सरकार को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ी। सरकार को इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिये। 1972 में मंत्री महोदय ने सभा में यह घोषणा की थी कि 1973 तक खाद्यान्न की दृष्टि से देश आत्मनिर्भर हो जायेगा। किन्तु अब हमें अन्य देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। ऐसे वक्तव्य नहीं दिये जाने चाहियें।

मेरा यह भी सुझाव है कि किसानों को कृषि आय कर से छूट मिलनी चाहिये। खाद्य नियंत्रण अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये तथा जमाखोरों और चोरबाजारी करने वाले व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास की व्यवस्था की जानी चाहिये। प्राकृतिक संकटों का प्रभाव दूर करने के उपाय किये जाने चाहिये जिसमें उत्पादन में कमी न हो। भारत से खाद्यान्न का निर्यात तब तक न किया जाये जब तक हमारे यहां उसकी कमी है।

बिहार के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। यदि सुवर्णरेखा बांध परियोजना आरम्भ कर दी जाये तो उससे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। किसानों को दिये गये पम्प सैट घटिया किस्म के हैं। उसके लिये दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जाना चाहिये।

अन्त में मेरा सुझाव है कि भारत में रूस की भांति सरकारी कृषि तथा सामुदायिक कृषि की व्यवस्था होनी चाहिये। इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी। इन शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

SHRIMATI SAHODRABAI RAI (Sagar) : I rise to support the demands of the Ministry of Agriculture. There has been considerable progress in the field of agriculture since 1947 and a large area has been brought under cultivation.

It has become difficult for the Government to allot land to the landless because of the fact that all the land has been utilised. There is no land left to be given to them. But even if some land is given to them somehow, they do not have the necessary money for the purchase of bullocks which are so necessary for agriculture.

As regards distribution of land to the Adivasis and Harijans, the Government has given 4 to 6 acres of land which is not enough to earn a living for the whole year. The result is that they dispose of their land and migrate to the cities in search of alternative job. If Government really want them to take to agriculture they should be given at least ten to twelve acres of land. I also suggest that irrigation facilities should be provided in the areas where these facilities are not available at present.

Sir, about 25,000 to 30,000 civilians have been living in Sagar Cantonment area of Madhya Pradesh. They have been cultivating the land. Now Army authorities want to settle some retired persons there. They have served notices to these civilians to vacate this land. I wrote letters to Shri Maurya and to the Prime Minister in this regard. This has created great resentment among the local people and trouble is brewing there. I request that the Government should reconsider the matter.

There is no doubt that the schemes formulated by the Government are appreciable. But they are not implemented properly at the lower levels like District and Tehsil level. Corruption is prevalent almost all the public institutions. Bank loans are not granted to the farmers unless they bribe the bank employees. One can get as much milk as one desires but in black market. These evils should be removed as soon as possible by the Government.

In the end I would urge upon Shri Maurya ji who is a young blood to make sincere efforts for the progress of our country. He should not give any opportunity to the opposition to criticise us.

SHRI PANNA LAL BARUPAL (Ganganagar) : Sir, there is no use saying that certain commodities are in short supply. If it is so low are they available in the black market in sufficient quantity ? The fact is that distribution system is not proper and that it needs to be improved. When the farmers do not get the agricultural inputs at a fair price how can they be encouraged to produce more ?

I am the only Congress Member, who is elected to this House from the whole Division. I have been Member of this House for the last 23 years. I am sorry to mention that the farmers of my area do not get water for irrigation. I have been raising this grievance for the last many years. It has not been remedied as yet. I suggest that a special committee should be appointed to go into the problems of my area so that it can suggest a solution for the same. An Agricultural College should also be opened there. This area should also be declared as backward area. So long as this declaration is not made, industries will not come up and the whole area will remain undeveloped.

Much is said about the allotment of land to the Harijans and other measures for their welfare. But the fact is that this is all on papers. Actually the Harijans have not been benefited much. In Rajasthan about 15,000 persons are allotted land in the canal area. But most of the names included in that list are bogus. A committee was appointed by the State Government to inquire into the matter. Three years have passed but it has not met even once. I demand that the enquiry should be expedited and so long as it is not completed the allotment should not be confirmed. I have got this bundle of papers. I throw it here. Let this matter be enquired into first.

सभापति महोदय : श्री बारुपाल जी ! आप एक वरिष्ठ और विनम्र सदस्य हैं। आपने सम्भवतः यह बन्डल उत्तेजनावश फेंक दिया है। आशा है आप इसके लिये सभा से क्षमा याचना करेंगे ।

SHRI PANNA LAL BARUPAL : I don't believe in apologising. You may ask for my resignation. I have never apologised.

सभापति महोदय : यह उचित नहीं है । आप को सभा से माफी मांगनी चाहिये ।

SHRI PANNA LAL BARUPAL : The high powered committee was set up by the Rajasthan Government only when I raised the matter persistently. But it did not meet even once. Even then I am asked to apologise. It should be inquired into fully. Any how I apologise to you.

डा० हरिप्रसाद शर्मा : यदि आप रिकार्ड देखें तो ज्ञात होगा कि उन्होंने "सॉरी" शब्द कह दिया है । मेरे विचार से यह पर्याप्त है ।

सभापति महोदय : उन्होंने जो कुछ किया है अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की स्थिति से दुःखी होकर किया है । उन्होंने 'सॉरी' शब्द कह दिया था । माननीय सदस्य इस घटना की ओर ध्यान न दें । श्री बारुपाल अपना भाषण जारी रखें।

SHRI PANNA LAL BARUPAL : Sir, we are being befooled by the officers. Corruption and black marketing are increasing day by day and we are not able to face the people in these days. I have a D.M.S. token for two bottles of milk but I do not get my full supply. Similarly, we are not getting our ration at proper time. Government should look into these things and try to improve them.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : Sir, I shore the feelings expressed by Shri Barupal here. Due to the wrong policies pursued by the Government we have reached a situation where there is all round shortage, the prices are sky rocketting and the poor people are dying of starvation.

Although this is the position throughout the country, the situation in Bihar is worst. Even in the Capital city of Patna sixty per cent people do not have enough money to have two meals a day and even those who have got money they can not get food. The ration shops are almost empty. At present 25,000 tones of foodgrains are being supplied to Bihar. It is extremely necessary to supply one lakh tonne of foodgrains every month so that people can get foodgrains regularly and adequately.

There is discontentment among the students, workers and employees in the whole Bihar as they are facing price-rise and scarcities. In order to persuade the Government to change its pro-profiteer policy, they are agitating.

There are officers in this Ministry who favour the profiteers and foodgrain hoarders. They do not want to allow the public distribution system to run smoothly for the hon. Minister is in a position to get the policies implemented by the officers.

I would like to request that if the Government wants to save people from hunger, scarcity, corruption and bribery, it should introduce rationing system throughout India and supply adequate foodgrains to the existing Fair Price Shops. Land should be distributed properly. Give land to the tillers. The profiteers and hoarders who indulge in corruption should be tried under the D.I.R. and the M.I.S.A. This Ministry is needed to be overhanded.

SHRI R. S. PANDEY (Rajnandgaon) : It is necessary to strengthen the Ministry of Agriculture. The basic thing about agriculture is irrigation, electricity is also needed for irrigation. Therefore, I suggest that the land should be given to the farmers and electricity should be provided in the Ganges belt where there is enough ground water. This Ministry is separate from the Ministry of Irrigation and Power. I suggest that there should be a comprehensive Ministry and it does not matter if there are five or six Ministers in that comprehensive Ministry.

It is our experience of 25 years of independence that we should spend more and more money in the agriculture sector out of the provision of Rs. 53 thousand crores for the Fifth Five Year Plan. It should not be forgotten that we get 79 per cent of the total foreign exchange earnings from jute and tea etc. But even then this sector is neglected. We shall have to give top priority to the agriculture sector. The Ministry of Agriculture is responsible for all these things. If all the works are stopped in the Fifth Five Year Plan and the whole amount of Rs. 53 thousand crores is invested in the agriculture sector, the processing industry may benefit thereby, there may be co-ordination between electricity and water and also the cultivation may be divided. Instead of importing foodgrains, it is necessary for us to live with honour, grace and dignity in international politics.

Our's is the largest republic in the world. But the production of every item in our country is less. There are rivers, wells and irrigation facilities in our country but to-day the scientific techniques of agriculture are required. Such sources should be mobilised.

SHRI R. R. SHARMA (Banda) : If I have followed the Minister of State in the Ministry of Agriculture, Shri Maurya properly, he has said that due to the increase in population, a situation has arisen that about fifty per cent of the population have to live half-fed.

There was no birth-control before 1947. Therefore, the Government cannot conceal its failure on food front by putting the blame on the natural vagaries. If the Government had paid adequate attention to minor irrigation and lift irrigation from the beginning, our agricultural production would have increased considerably and we would not have faced the present difficulties.

6 to 10 bighas of land was distributed among Harijans in a place like Banda where the land is not fertile. At least 14-15 bighas of land should be given to these people so that they can maintain their families. It should be ensured that whatever land is given to them, they should get its possession and also the fertilizers, seeds and other facilities should be given to them.

SHRI M. C. DAGA (Pali) : It is not known as to what is the outcome of the net-work of community development schemes. 79 per cent of the funds allotted for these schemes is being spent on the Government employees. Elections to Panchayats have not been held for the last 9 years.

There are Development Officers, Veterinary Doctors and Sanitary Inspectors. What are their functions ?

The aim of setting up these Panchayats Raj institutions has not been achieved. It appears that there is no use of these institutions.

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने गत तीन दिन से हो रहे वाद-विवाद में भाग लिया और अपने सुझाव दिये ।

मैं यह तो नहीं कहता कि कृषि मंत्रालय द्वारा जो कुछ किया गया वह सब ठीक ही था या इसने कोई त्रुटि नहीं की परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने केवल आरोप लगाये हैं कि गत कुछ वर्षों में कुछ भी नहीं किया गया, वे आंकड़ों से अनभिज्ञ हैं ।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : हमें भोजन चाहिये, आंकड़े नहीं ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय मित्र ने कहा कि हमें भोजन चाहिये, आंकड़े नहीं । मैं कहना चाहूंगा कि खाद्यान्नों की कमी के लिये कृषि मंत्रालय नहीं अपितु विरोधी दलों के सदस्य उत्तरदायी हैं . . . (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि मंत्री महोदय विरोधी पक्ष के सदस्यों को जमाखोरी और चोर-बाजारी के लिये उत्तरदायी ठहराते हैं तो वह उचित कथन नहीं है **(व्यवधान)**

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यदि दो-तीन बातें स्वीकार की जायें तो हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन इतना होता है कि समूचे देश की आवश्यकता पूरी की जा सकती है ।

सर्वप्रथम इस बात को मानना होगा कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में उत्पादन में असमानता है । कुछ बहुतायत वाले राज्य हैं और कुछ कमी वाले ।

श्री पीलू मोदी : तीसरी योजना और चौथी योजना में क्रमशः प्रतिव्यक्ति उत्पादन कितना था ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं आंकड़े दे चुका हूं । यदि उत्पादन की वर्तमान दर से हम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 150 कि० ग्रा० दे तो वह समूचे देश के लिये पर्याप्त है परन्तु समूचे देश में उत्पादन समान नहीं है ।

अपने भाषणों के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने असंतोष व्यक्त किया कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है । यह कहा गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में लगभग 20.7 प्रतिशत पूंजी-निवेश की व्यवस्था थी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में यह निवेश कम करके 20.1 प्रतिशत कर दिया गया है । मैं कहना चाहूंगा कि तीसरी-योजना में 1672 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था थी उसे बढ़ा कर पांचवीं योजना में 7411 करोड़ रुपये कर दिया गया है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण के रुपये में 1700 करोड़ उपलब्ध होंगे ।

मध्यम और दीर्घावधि ऋण के रूप में चौथी योजना के 1200 करोड़ रुपये की तुलना में पांचवीं योजना में 2400 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे ।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य निस्संदेह यह मानेंगे कि विद्युत और मशीनों के निर्माण में काफी पूंजी-निवेश किया गया है । उर्वरकों के उत्पादन के लिये भी काफी पूंजी-निवेश किया गया है । यदि हम इन सब बातों पर ध्यान रखें तो हमें पता चलेगा कि सीमित संसाधनों के भीतर हमने कृषि मंत्रालय की ओर काफी ध्यान दिया है ।

लघु सिंचाई के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि हमने लगभग 70 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया है और हम लक्ष्य से आगे बढ़ कर 80 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था कर पाये हैं ।

यह सही है कि छोटी सिंचाई सुविधाएं देश की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं हैं । हमने सही दिशा में एक नीति निर्णय किया है । हम गत दो वर्षों से छोटी सिंचाई पर अधिकाधिक धन खर्च कर रहे हैं ।

55 प्रतिशत क्षेत्र में छोटी सिंचाई सुविधाएं हैं और 45 प्रतिशत में मध्यम और बड़ी ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कृषि के विकास के लिये भूमि-सुधार आवश्यक है । त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़कर, जहां कानून नहीं बनाया गया है, अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में कानून बनाये गये हैं । हमें यह जानना है कि कितनी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई गई है । आज तक सभी राज्यों

से उत्तर नहीं मिला है परन्तु कुछ राज्यों से उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 37 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि वितरित की जायेगी। मुझे आशा है कि वे इस राज्य उस भूमि को शीघ्र ही भूमिहीनों में वितरित करने का प्रबन्ध करेंगे।

जहां तक श्री भट्टाचार्य के इस सुझाव का सम्बन्ध है कि सिंचित भूमि की अधिकतम सीमा 25 एकड़ होनी चाहिये, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने जांच की और उसने दो या उससे अधिक फसल होने वाले क्षेत्र की सीमा दस से अठारह एकड़ रखने का निर्णय किया और जहां एक फसल होती है उसके लिये 27 एकड़ की अधिकतम सीमा का निर्णय किया। क्या माननीय सदस्य यह समझते हैं कि भूमिहीनों में अतिरिक्त भूमि के वितरण से देश के 4 करोड़ 70 लाख लोगों की आवश्यकता पूरी हो जायेगी? मैं नहीं समझता कि हमारे पास उन्हें वितरित करने के लिये पर्याप्त भूमि है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि भूमि के वितरण के मामले में हमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का ध्यान रखना चाहिये। यह सुझाव हमने राज्य सरकारों को भेज दिए हैं और वे उन लोगों को प्रथम प्राथमिकता देंगे।

श्री भट्टाचार्य ने टिप्पणी की कि लगभग 10 प्रतिशत किसान दो-तिहाई कृषि-योग्य भूमि में खेती करते हैं और लगभग 50 प्रतिशत उत्पादन उनके प्रभाव के अधीन है। मुझे नहीं पता कि उन्हें यह जानकारी किस स्रोत से मिली। जनगणना के बाद जो आंकड़े उपलब्ध होंगे उनसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति के पास कितनी भूमि है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि ऋण सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं और छोटे और सीमान्त किसानों को वित्तीय संस्थानों से आवश्यक सहायता नहीं मिल रही है। इस सम्बन्ध में मैं आंकड़े दे चुका हूं और मैं वित्त मंत्रालय से समय-समय पर सम्पर्क बनाये रखता हूं। हमने वित्तीय संस्थानों से कह दिया है कि वह उत्पादन प्रधान कार्यक्रम के लिये ऋण दें और छोटे किसान और कमजोर वर्गों को उनकी भूमि गिरवी रखने या प्रतिभू देने के सम्बन्ध में परेशान न किया जाये। हमने उनसे यह भी कह दिया है कि दो-तीन हजार रुपये के ऋण के लिये प्रतिभू न मांगे। हमने यह भी कह दिया है कि वे ऋण देने की व्यवस्था इस प्रकार करें ताकि छोटे किसानों और कमजोर वर्गों को उसके भुगतान में कोई कठिनाई न हो।

इन सब उपायों से उत्पादन में वृद्धि होगी।

गत कुछ वर्षों में हमने देखा हैं कि उर्वरकों की आवश्यकता बहुत बढ़ रही है जिसे पूरा करना हमारी क्षमता से बाहर है। उर्वरकों के उत्पादन की हमारी 22 लाख टन की क्षमता के स्थान पर हम केवल 13 लाख टन उत्पादन कर पाते हैं।

पश्चिम एशियाई संकट के कारण वे देश उर्वरक उत्पादित नहीं कर सके जिनसे हमें उर्वरक आयात करना था। जिसके परिमाणस्वरूप रबी की फसल पर भारी प्रभाव पड़ा।

खरीफ की फसल के सम्बन्ध में राज्यों ने 44 लाख टन उर्वरक की मांग की थी जिसे हम जैसे-तैसे पूरा करने का प्रबन्ध कर पाये हैं परन्तु 1974-75 की रबी की फसल की आवश्यकता के लिये अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि आन्ध्र प्रदेश को अपर्याप्त मात्रा में उर्वरक दिया गया। यह गलत है। हम प्रत्येक राज्य की खपत और प्रत्येक राज्य द्वारा भेजे गये उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर उन्हें उर्वरक आबंटित करते हैं। आन्ध्र प्रदेश के मंत्री ने त्रुटि स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अधिक उपज वाली किस्म के अन्तर्गत जो क्षेत्र आता है उसे 7 लाख एकड़ बताया जबकि वह 13 लाख एकड़ थी। अतः हमने आन्ध्र प्रदेश को लगभग 10,000 टन और उर्वरक दे दिया।

जहां तक उर्वरक के वितरण का सम्बन्ध है आयातित उर्वरक या 'पूल' उर्वरक में से राज्यों को कोटा दिया जाता है राज्य और उसका वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से करते हैं। देश में उत्पादित उर्वरक में से 50 प्रतिशत का वितरण सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है और 50 प्रतिशत का वितरण व्यक्तिगत व्यापारियों द्वारा। इस सम्पूर्ण उर्वरक का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से नहीं किया जा सकता क्योंकि आधे उर्वरक को गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा बेचे जाने की शर्त उस करार में थी जिसके अन्तर्गत गैर-सरकारी उर्वरक कारखाने स्थापित किये गये हैं। जहां तक उर्वरक के वितरण को वसूली से जोड़ने का सम्बन्ध है, यदि राज्य सरकारें ऐसा करती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण से परे होती हैं। यदि मौसम और मानसून अच्छे रहे तो खरीफ की फसल भी अच्छी होगी और हम कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खरीफ सम्बन्धी लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिये थे और रबी सम्बन्धी लक्ष्य हम प्राप्त करने ही वाले थे कि लगातार दो वर्ष खराब रहे और अनाज का जमा भण्डार भी खर्च हो गया। इसी वजह से देश में अनाज की उपलब्धता कम हो गई। हम आशा करते हैं कि अगली फसलें अच्छी होंगी और हम विद्यमान कठिनाइयां को दूर कर सकेंगे। जहां तक ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम का सम्बन्ध है इसे पांचवीं योजना में जारी नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि पांचवीं योजना में 'प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र कार्यक्रम' 'बिना वर्षा वाले क्षेत्र कार्यक्रम', 'ग्रामीण मार्ग कार्यक्रम', 'न्यूनतम आश्वयकता' कार्यक्रम आरम्भ किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण रोजगार की सम्भावनाएं पर्याप्त हैं। ये सब कार्यक्रम कृषि उत्पादन में सहायक होंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि किसानों को गेहूं का उचित मूल्य नहीं दिया गया है। परन्तु उपलब्ध आंकड़े के आधार पर हमने यह हिसाब लगाया है कि गेहूं का 105 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य उचित है। माननीय सदस्य एक ओर तो किसानों को अधिक मूल्य देने का समर्थन करते हैं और दूसरी ओर उपभोक्ता को अधिक मूल्य पर अनाज बेचे जाने का विरोध करते हैं। ये दोनों बातें कैसे सम्भव हैं ? यदि उत्पादक को अधिक मूल्य देना है तो उपभोक्ता से भी अधिक मूल्य वसूल करना पड़ेगा।

वस्तुतः हम अपने देश के किसानों के आभारी हैं जो कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें हर सम्भव सहायता दी जाये और वे उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठायें। किसानों को फसल-व्यवस्था (क्रोप मेनेजमेंट) पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे उत्पादकता बढ़ती है। जहां तक सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है, यह कार्यक्रम आरम्भ में विदेशी सहायता से आरम्भ किया गया था। यह अभी तक चालू है और कई स्थानों पर इसे काफी सफलता मिली है। उदाहरण के लिए पंजाब के लुधियाना जिले को लिया जा सकता है।

वहां पर गेहूं की उपज 33 क्विटल प्रति हैक्टेयर है जो अमरीका की प्रति हेक्टेयर औसत उपज से भी अधिक है। इस समय हमारे देश में गेहूं की औसत उपज प्रति हेक्टेयर 13 या 14 क्विटल है। यदि पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में गेहूं की उपज 33 क्विटल प्रति हेक्टेयर हो जाये तो हमारे देश में गेहूं की उपज बहुत अधिक हो सकती है। अत कुछ वर्षों में गेहूं की उपज दुगनी हो गई है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में सिचाई की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और अधिक से अधिक उर्वरक दिया जा रहा है।

हम किसानों की हर प्रकार की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना फालतू अनाज मंडियों में लाकर बेचें और सरकार की सहायता करें। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि कोई किसान अपना अनाज अधिक मूल्य पर बेचने के लिए महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल ले जाना चाहता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उसे ऐसा करने के लिए सरकार से अनुमति अथवा लाइसेंस लेना होगा और अपना आधा अनाज सरकार को बेचना होगा।

कुछ सदस्यों ने इस बात का विरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार ने मोटे अनाज के लाने ले जाने पर लगा प्रतिबन्ध क्यों उठाया है। जहां तक अनाज का मामला है, भारत एक एकक है और फालतू अनाज वाले राज्य को कमी वाले राज्य की सहायता करनी चाहिए। तमिलनाडु की ओर से यह मांग की गई है कि मैं उन्हें चावल के बारे में आश्वासन दूं। चावल के मामले में मैं क्षेत्रीय प्रतिबंध उठाने जा रहा हूं। मैं तमिलनाडु से यह चाहूंगा कि वे हमें करार के अनुसार केन्द्रीय पूल के लिए चावल दें। तमिलनाडु सरकार की ओर से एक आवश्यक वस्तु अधिनियम विधेयक हमारे पास अनुमोदनार्थ भेजा गया है। केन्द्रीय सरकार इसी सत्र में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करना चाहती है जिससे जमाखोरों आदि से सख्ती से निपटा जा सके। इस से तमिनाडु सरकार का उद्देश्य पूरा हो जायेगा।

अन्त में, मैं गेहूं के व्यापार के सरकारीकरण सम्बन्धी नयी नीति के बारे में जो गलत धारणाएं हैं उन्हें मैं दूर करना चाहता हूं। नयी नीति के तीन उद्देश्य हैं—उत्पादकों को उचित मूल्य देना ताकि उन्हें अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले, पूरे देश में अनाज उपलब्ध हो तथा समाज के कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर अनाज मिले। जहां तक इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का प्रश्न है वह साधन है, साध्य नहीं। इसके लिए पहले हमने एक तरीका अपनाया था और अब दूसरा अपनाया है। मुझे आशा है कि यह तरीका सफल होगा और इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों। हमारे और व्यापारियों के बीच कोई करार नहीं है, बल्कि उन्हें लाइसेंस लेकर कुछ शर्तों और प्रतिबन्धों के अनुसार व्यापार करना है। यदि वे शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी और उनके लाइसेंस रद्द कर दिये जायेंगे।

SHRI LALJI BHAI : Sir, some tribal people in Rajasthan have been facing trial in the courts for unauthorised occupation of land since 1966. These people should not be evicted. I request the Minister that their cases should be disposed of soon and the land they are occupying should be regularised in their names.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य इसे लिख कर मेरे पास भेजें और मैं इसे राज्य सरकार को भेज दूंगा।

सभापति महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या 1 पर अलग से मतदान कराया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित संशोधित कानूनों को लागू करने और फालतू भूमि विशेषकर संघ राज्य क्षेत्रों में, भूमिहीनों में वितरित करने में असफलता। [1]

लोकसभा में मतविभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 12	Ayes 12
विपक्ष में 91	Noes 91

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

सभापति द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 2, 12, 15 और 16 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions No. 2, 12, 15 and 16 were put and negatived.

श्री भोगेन्द्र झा : कटौती प्रस्ताव संख्या 17 पर मतदान अलग से किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया कम किया जाए।"

ग्रामीण, नगरीय तथा औद्योगिक क्षेत्रों में दुर्बल वर्गों को नियंत्रित मूल्यों पर खाद्यान्नों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सभी अनाजों के थोक व्यापार का सरकारीकरण करने और विपणन योग्य समस्त फालतू अनाज की ग्रेडिड लेवी प्रणाली के माध्यम से वसूली करने में असफलता। [17]

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 9	Ayes 9
विपक्ष में 89	Noes 89

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

सभापति द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 19 से 23, 39 से 43, 49, 51 से 53, 54 से 59, 60 और 61, 69 से 71 और 74 से 81 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Cut Motion Nos. 19 *to* 23, 39 *to* 43, 49, 51 *to* 53, 54 *to* 59, 60 *and* 61, 69 *to* 71, 75 *and* 74 *to* 81 *were put and negatived.*

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 72 पर मत विभाजन अलग से होना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। [72]

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 12 — Ayes 12

विपक्ष में 87 — Noes 87

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands in respect of the Ministry of Agriculture were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	कृषि विभाग	1,36,02,000	—
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	6,50,000	—
3.	कृषि	65,23,26,000	306,60,42,000
4.	मछली पालन	6,17,97,000	1,06,50,000
5.	पशु पालन और डेरी विकास	26,41,11,000	2,40,33,000
6.	वन	7,49,00,000	45,83,000
7.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगी	29,11,80,000	—
8.	खाद्य विभाग	1,00,10,53,000	10,99,83,000
9.	सामुदायिक विकास विभाग	24,65,11,000	—
10.	सहकारिता विभाग	5,53,68,000	17,59,37,000

*देना बैंक द्वारा लिपिक संवर्ग में भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का चयन

**SELECTION OF SCHEDULED CASTES CANDIDATES FOR RECRUITMENT TO CLERICAL GRADE BY DENA BANK.

SHRI CHANDRA SHAILANI (Hathras) : Mr. Chairman, Sir, the atrocities committed on the Scheduled Castes often constitute the subject matter of discussion in and outside Parliament. Such discussion will continue to be raised till suppression and exploitation of these people will continue. Today also I am going to raise discussion on this subject. I am not satisfied with the answer given by the Minister of Finance to starred question No.

*आधे घन्टे की चर्चा।

**Half-an-Hour Discussion.

575 on 5th April. There are 14 nationalised banks in our country and Dena Bank is one of them. On 28th April 1973 letters of appointment were issued to the ten candidates belonging to the Scheduled Castes by the Personnel Manager of the Dena Bank. It was mentioned in the letters that the candidates had been selected for appointment in the Bank, subject to their being found medically fit. The candidates were asked to report to the Regional Manager, New Delhi with copies of certificates etc. Full one year has clapsed since these letters were issued. But none of the ten Scheduled Caste candidates has been posted to any branch of the Bank, while caste Hindu candidates, who were included to the same list, have been posted in the Bank soon after their selection.

I came to know through reliable source that there is a dispute between the management of the Bank and the Bank employees union. This dispute arose just at the time the letters were issued and when the selected persons were to be appointed. The root cause of the disputes is that some of the candidates, who are related to people in the employees union were not selected and therefore they raised some objections.

The role of high officials of the Bank has not been impartial to this matter. I would like to know the fault of the Scheduled Caste candidates who qualified the test/interview and were also found medically fit. The Bank officials again issued advertisement in the 'Times of India' of 8th December 1973 inviting applications for the same vacancies. It is a very sad affair. The officers who these unfortunate candidates contacted in the matter, did not pay due attention to their matter simply saying that it was an administrative matter and they could not interfere in it. The Finance Minister has himself admitted while replying to a question on this subject that the delay in this regard was caused by the objections raised by the employees union. He had given an assurance in regard to the posting of these candidates but he had not indicated the time by which this would be done.

They could not get justice even from the high officials. Now we have been forced to raise this matter in this House. If justice is not provided here, where should the poor go for justice ?

There is a provision for reservation of Government posts for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in our constitution. Government should take strong action against the managers of nationalised banks, who are openly violating Government orders in this regard.

You would be surprised to know that the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in all the fourteen nationalised Banks in the country is very low. According to a statement given by Finance Minister on 31st December, 1972, the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees among supervisory staff, clerical staff and sub-ordinate staff is 0.2, 1.5 and 12.7 respectively.

A competition was held for certain posts in a State Bank at Aligarh and candidates belonging to Scheduled Castes had also qualified, but appointments were offered to the relatives of the Bank employees only. I would like to know the rule under which preference is given to the sons and daughters of the Bank employees ? I would also like to know whether the Scheduled Castes employees who have been issued appointment letters, would be given some wages or allowancs ?

The people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are the back-bone of this Government and these people have always supported the Government. I would like to know as to how long would it take to decide their future ?

SHRI T. SOHAN LAL (Karol Bagh) : Mr. Chairman, I am concerned with this matter. I have written six letters . . .

सभापति महोदय : नियमों के अधीन मैं आपको बोलने के लिए अनुमति नहीं दे सकता।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : 5 अप्रैल के अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि बैंक के प्रबन्धक मामले का अध्ययन कर रहे हैं और शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है। श्री शैलानी ने यह प्रश्न ठीक ही उठाया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से सभी प्रकार का समर्थन मिलना चहिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों में रोजगार के मामले में एकाधिकार बरता जा रहा है। क्या मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे ? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत बकों की छोटी, मध्यम और बड़ी शाखाओं के प्रबन्ध की जांच करने के लिए गैर-सरकारी सलाहकार समितियों का गठन किया जायगा और यदि हां, तो कब तक ऐसा किया जायगा ?

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुर) : 5 अप्रैल के तारांकित प्रश्न सं० 575 के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह कहा था कि कथित अनियमितताओं के आधार पर मजदूर संघों ने भर्ती के बारे में आपत्तियां की हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मजदूर संघ ने किस प्रकार की आपत्ति की है ? अनुसूचित जाति के 22 उम्मीदवार नियुक्ति के लिए चुने गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की भर्ती के बारे में बैंक की नीति पर मजदूर संघ ने आपत्ति की है ? देना बैंक ही नहीं, बल्कि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक भी संविधान के अनुच्छेद 335 के अधीन उपबन्धों का पालन नहीं कर रहे हैं ? स्थिति में सुधार करने के लिए मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने अनुच्छेद 335 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को भी कोई निर्देश दिया है। अन्त में, मैं यह चाहता हूं कि जैसा कि श्री नायक ने कहा कि देना बैंक तथा अन्य बैंकों द्वारा संवैधानिक उपबन्धों का पालन न करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक जांच आयोग स्थापित किया जाय।

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (औसग्राम) : बैंकों में भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण करने के बारे मे सरकार ने 1966 में आदेश जारी किये थे। राष्ट्रीयकृत बैंककों के बारे में इस आशय का आदेश वर्ष 1970 में जारी किया गया था। वर्ष 1972 में स्टेट बैंक में कुल सुपरवाइजरी पदों में केवल 0.25% पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारी नियुक्त थे और इन पदों पर अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता केवल 0.02% ही थी। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में सरकार को इस बात की सूचना देते हैं कि कुल इतने रिक्त पदों पर नियक्ति की जायेगी और उनमें इतने पद अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित किये जायेंगे ? क्या बैंक रोजगार दफ्तरों को भी इस बात की सूचना देते हैं कि इतने पद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित हैं ? आई० ए० एस० की परीक्षा से पूर्व जिस प्रकार अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों

---

* बंगाली में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसी प्रकार बैंकों की परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायगा ?

रोजगार दफ्तर ने 610 व्यक्तियों के नाम प्रेषित किये थे, जिनमें से 224 परीक्षा में बैठे और 41 व्यक्तियों को नियुक्ति के लिए चुना गया, जिनमें 12 अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे। दूसरी बार 22 व्यक्तियों को नियुक्ति के लिए चुना गया, जिनमें से 10 अनुसूचित जाति के थे। इस बीच कर्मचारियों को यूनियन ने अनियमिततायें बरते जाने का आरोप लगाया है। इन पदों के लिए विज्ञापन 1972 में जारी किया गया था और आज 24 अप्रैल, 1974 है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बीच अनियमितताओं के आरोपों के बारे में जांच पूरी कर ली है और यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

SHRI RAMAVTAR SHASTRI (Patna) : I have also raised questions regarding the appointment and promotion of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and I have found that the nationalised banks have been violating rules in this connection. All India Bank Employees Association and other unions have always demanded that the quota prescribed for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes must be filled. I would like to know if the Dena Bank Employees Association has pointed out certain irregularities, if so, why there is delay in taking a decision? I would also like to know as to how many vacancies have been filled by the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and how long would it take to fill the remaining vacancies? I would also like to know as to what is the criterion of making appointments? Is there anybody for making such appointments, and if so, whether the representatives of Bank employees are also associated with such a body?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SMT. SUSHILA ROHTAGI) : Shri Shailani has said that such incidents of injustice have been going on for long. It is a matter of deep regret and shame that such incidents have been going on. All of us have to work unitedly to avoid such incidents in future.

I would like to tell the House that in this particular case, the Bank has not done any sort of injustice. According to the prospective planning, Dena Bank had selected 63 persons for the appointment. Letters were sent to 41 persons including 12 Scheduled Castes and 6 Scheduled Tribes candidates. These 18 persons are 45% of the total of 41 candidates selected. Therefore, the allegation of injustice and partiality is baseless.

The appointment of 22 candidates including 10 Scheduled Castes candidates has not been made so far. The Bank has never held up the matter. The union made certain allegations of malpractices, which were enquired into by a high official. The appointment of these 22 persons was held up till the enquiry is completed. These persons had not received the letters of appointment, but they had recived the letters of intimation only.

Our party has always situated for providing justice to the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would also like to assure the House that the recruitment policy of the nationalised Banks would not be politically motivated. Persons would be selected on merit irrespective of their political affiliations.

There is a high-powered committee under the chairmanship of the Prime Minister, which looks after the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and reviews proper representation in various services. The last meeting of this Committee was held on 9th April, 1974. There is also a Parliamentary Committee which examines the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Shri Shailani has quoted certain figures, but

at the moment I am not in a position to say whether they are right. I have got the figures of Dena Bank, which show that the figures of recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are comparatively better. Though, there is still scope of further improvement. We are also examining the question of improvement which could be brought about in various nationalised Banks. The recommendation of the Banking Commission to bring about a uniform pattern in various Banks is under consideration. We hope to bring forward a bill in this connection in this session.

In 1970, 12 per cent and 5 per cent posts were reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively. Now the reservation quota has been raised to 15 per cent and 7 per cent respectively.

The honourable Member mentioned certain incident of Aligarh State Bank. If he gives this information to the Ministry, the matter would be enquired into.

It was also asked whether priority is given to the relatives of the Bank employees. There is no such rule, but if a Bank employee dies while in service, priority is given to the near relative of the deceased employee on compassionate grounds.

Time and again certain allegations are made that mal-practices and irregularities have been committed. I would like to tell the House that a high-powered committee has been appointed especially in Dena Bank to suggest ways and means to bring about uniformity in recruitment.

It has been asked whether some sort of compensation or allowance would be given to those candidates who had received the letters of intimation. Letters of intimation is not a letter of appointment and therefore, there was no commitment. I have talked to the Chairman and the Manager also. They have taken a decision on the objection made and these ten Scheduled Castes persons would be appointed within a week. The matter is under consideration at the Chairman's level and a decision would be taken within a week about other selected candidates

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 25 अप्रैल, 1974/5 वैशाख, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 25, 1974/Vaisakha 5, 1896 (Saka).

M296LSS/74—490—3-12-74 GIPF.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

23 LSS/74—1.